लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[पाँचवाँ सत्र / Fifth Session]

[खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol.XIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 13, बुधवार, 7 अगस्त, 1968/ 16 श्रावण, 1890 (शक)

No. 13–Wednsday, August 7, 1968/Sravana 16, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता.प्र.संख्या / S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
361	फालतू विमान इंजनों की बिक्री	Sale of spare Aero-Engines ..	401-404
362	नागाओं के पास भारतीय हथियार	Indian Arms with Nagas	404-409
363	भारतीय वायुसेना के एक विमान का दुर्घटना ग्रस्त होना	Crash of IAF Dakota	409-410
364	श्री मोहन रानाडे की रिहाई	Release of Shri Mohan Ranade ...	410-412
365	चलचित्र वित्त निगम	Film Finance Corporation	412-415
366	सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी	Border roads organisation Employees ...	415-417
367	वृत्त चित्रों का निर्माण	Production of Documentaries	417 420
अ. सू. प्र./S. N. Q.			
2	मक्का का हरियाणा से बाहर ले जाया जाना	Movement of Maize out of Haryana	420-425

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता० प्रश्न संख्या/ S. Q. Nos.			
368	पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग	Indian High Commission in Pakistan... ...	425
369	भूटान में भारत का विशेष अधिकारी	India's Special Officer in Bhuttan	425-426

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

370	नौसेना का आधुनिकीकरण	Modernisation of Navy	426
371	आपात कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को सेवा मुक्त किया जाना	Release of Emergency Commissioned Officers	426
372	आजाद हिन्द सरकार का रजत जयन्ती समारोह	Silver Jubilee Celebration of Azad Hind Government	427
373	भूमि सुधार विधान	Land Reforms Legislation	427–428
374	चतुर्थ योजना संबंधी दृष्टिकोण पत्र	Approach Paper on Fourth Plan ...	428
375	विभिन्न राज्यों में समान आधार पर उद्योगों की स्थापना	Equal Distribution of Industries to States ...	429
376	विद्रोही नागाओं के शिविर	Naga Hostiles Camps ..	429
377	अनुसंधान अधिकारियों तथा पुस्तकालय कर्मचारियों के बारे में भारतीय वैदेशिक सेवा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	IFS Committee's Report re. Research Officers and Library Staff	429–430
378	1968–69 में सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाएं	Public Sector Industrial Projects During 1968-69 ..	430
379	कीनिया में ब्रिटिश पारपत्रों वाले भारतीय लोगों के बारे में ब्रिटेन के साथ करार	Agreement with U.K. re. Indians in Kenya having British Pass-ports	430–431
380	गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों को प्रतिरक्षा सामग्री के क्रयादेश	Defence Production supply order with Private Sector	431
381	अठारह राष्ट्रों का निरस्त्रीकरण सम्मेलन	18–Nations Disarmament Conference... ...	431–432

ता. प्र. सं./S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.			
382	जंजीबार सरकार द्वारा भारतीय सम्पत्ति का जब्त किया जाना	Indian Property Seized by Government of Zanzibar	432-433
383	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका तथा पुर्तगाली प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाना	Participation of South African and Portuges Delegatese in UNCTAD Conference	433
384	गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन	Defence Production in Private Sector... ..	433–434
385	भारत-पाकिस्तान वार्ता	Indo Pak. Talks ..	434
386	श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय के कलाकार कर्मचारियों को भुगतान	Payments to Artist Employees of Directorate of Audio Visual Publicity	434
387	श्रीमती स्वेतलाना का पत्र	Letter from Madam Svetlana	435
388	चीन की धमकी	Chinese Threat	435
389	सैगौन में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के पास भारतीय सैनिक टुकड़ियां	Indian troops with ICC at Saigon ..	435–436
390	स्वेज नहर के बन्द होने से हानि	Losses Due to Closure of Suez Canal	436
अता. प्र. सं./U. S. Q. Nos.			
3058	अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण	Compulsory Military Training ...	436–437
3059	छावनियों के सिविल क्षेत्रों में ओल्ड ग्रांट लैंड	Old Grant Land in Civil areas of Cantonments ..	437–438
3060	उत्तर प्रदेश में आयुध कारखानों में उत्पादन	Production in Ordnance Factories in U.P. ...	438
3061	मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों को विज्ञापन	Advertisements to Madhya Pradesh Papers ...	438–439
3062	मध्य प्रदेश रेजिमेंट	Madhya Pradesh Regiment ...	439

अता. प्र. संख्या. U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ / Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
3063	भारी जल (हैवी वाटर) कारखाना — Heavy Water Plant	439–440
3064	आकाशवाणी से कलाकारों द्वारा गीतों का प्रसारण — Broadcasts of Songs by Artistes	440
3065	संस्कृत श्लोकों का प्रसारण — Broadcast of Sanskrit Slokas	441
3066	रायपुर और जबलपुर में ट्रांसमिटर — Transmitters in Raipur and Jabalpur	441
3067	पाकिस्तान में मुजाहिद दल — Mujahid Force in Pakistan	441-442
3068	उत्तर प्रदेश की चौथी योजना के लिए साधन — Resources of UP for Fourth Plan	442
3069	पनडुब्बी निर्माण कारखाना — Submarine Manufacturing Factory	442
3070	ऋषिकेश–बद्रीनाथ सड़क — Rishikesh-Badrinath Road	442 443
3071	मंत्री की बद्रीनाथ की यात्रा — Minister's Visit to Badrinath	443
3072	दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका — South West Africa	443
3073	संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर का मामला — Kashmir Issue in UNO	444
3074	नागाओं का राजद्रोही आन्दोलन के साथ सम्पर्क — Nagas link with Insurgency Movement	444-445
3075	हिंडन हवाई अड्डे के असैनिक कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि का लेखा — G.P.F. Accounts of civilian Employees at Hindon Airport	445
3076	परमाणु शक्ति उत्पादन केन्द्रों के निकट कृषि उद्योग समूह — Agro-Industrial Complex near Atomic Energy Production Centres	445
3078	कानपुर के लिये शक्तिशाली ट्रांसमिटर — Powerful Transmitter for Kanpur	445–446
3079	हथियारों तथा उपसाधनों का वैज्ञानिक मूल्यांकन — Seientific Assessment of Weapons and Accessories	446

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3080 पुर्तगाली अंगोला तथा अन्य अफ्रीकी बस्तियों में स्वतन्त्रता आन्दोलन	Liberation Movement in Portuguese Anglo and other African Territories – ...	446–447
3081 मलयेशिया फिलीपीन विवाद	Malaysia-Philippines Dispute ..	447
3083 कच्छ पंचाट की कार्यान्विति के सम्बन्ध में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के आरोप	Pak. Accusation Against India on Implementation of Kutch Award	447–448
3085 सैगोन में भारतीय वाणिज्य दूतावास	Indian Consulate in Saigon ...	448
3086 सोवियत भूमि नेहरू पारितोषक	Soviet-land Nehru Award	448–449
3087 फास्ट टैस्ट ब्रीडर रिएक्टर	Fast Test Breeder Reactor –	449–450
3088 तारापुर परमाणु बिजली घर के लिये यूरेनियम	Uranium for Tarapore Atomic Power House	450
3089 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ईधन के रूप में यूरेनियम मोनो कारवाइड का प्रयोग	Uranium Mono Carbide as Fuel for Fast Breeder Reactor ...	450
3090 स्थल, सेना नौसेना और वायु सेना के जवान और अधिकारी	Jawans and Officers in Army, Navy and Air Force	450–451
3091 समाचार पत्रों में एकाधिकार वाली प्रवृत्तियों के बारे में प्रेस परिषद् की उप–समिति	Sub–Committee of Press Council on Monopolistic Tendencies in Press	451
3092 कीनियां में भारतीय लोग	Indians in Kenya ...	451–452
3093 भारत और श्री लंका के अधिकारियों का सम्मेलन	Conference of Officials a and Ceylon	452
3094 न्यूयार्क स्थित भारतीय दूतावास का पुस्तकालय	Librarian in Indian Embassy in New-York...	452

अता. प्रश्न संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd		
3095 वैदेशिक कार्य मंत्रालय के ऐतिहासिक प्रभाग का पुस्तकालय	Library of Historical Division of External Affairs Ministry	453
3096 लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग में पुस्तकाध्यक्ष	Librarians in Indian High Commission, London	453 454
3097 विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में पुस्तकालय	Librarians in Indian Embassies Abroad ..	454
3098 गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता	Garden Reach Workshop, Calcutta	454–455
3099 भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के सम्बन्ध में पश्चिम जर्मनी में प्रकाशित हुई पुस्तक	Book on India's Freedom Struggle Published in West Germany	455
3100 पाकिस्तान में गुरुद्वारा डेरा साहिब तथा गुरुद्वारा ननकाना साहिब के दान पात्रों को उठा लिया जाना	Renewal of Cash Collection Boxes of Gurdwara Dehra Saheb and Gurdwara Nankana Saheb in Pakistan	455–456
3101 भारत में तिब्बती लोग	Tibetans in India	456
3102 गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता मे समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण	Manufacture of Marine Diesel Engines at Garden Reach Workshop, Calcutta	456–457
3103 वारंट अफसरों का प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा करने का अधिकार	Warrant Officers Entitlement to Class I Railway Travel	457–458
3105 आकाशवाणी कलकत्ता	All India Radio, Calcutta ...	458–459
3106 प्रधान मंत्री का जापान का दौरा	Prime Minister's visit to japan ...	459
3107 सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समिति	Advisory Committees of Ministry of Information and Broadcasting ...	459–460

3108	अमरीका के सैक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement by United States Secretary of State ..	460
3109	दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय के प्रदर्शनी कक्ष का पुनर्गठन	Reorganisation of Exhibition wing of Directorate of Audio Visual Publicity	460
3111	राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन	Regional Imbalances in National Economy ..	460-461
3112	राजदूतों के सैनिक सहकारियों का सिक्किम की सीमा का दौरा	Visit of Military Attaches to Sikkim Border	461
3113	आयुध कारखानों के असैनिक कर्मचारी	Civilian employees in Ordnance Factories ..	461
3114	भारत के विरुद्ध नेपाल के समाचार पत्र का आरोप	Nepali Paper's allegation against India ...	462
3115	दिल्ली में अधिक मनोरजन कर का प्रभाव	Effects of higher entertainment tax in Delhi ...	462
3116	आस्ट्रेलियन ब्राडकास्टिंग कमीशन के लिये भारतीय कामेंटेटर	Selection of Indian Commentator for Australian Broadcasting Commission	462-463
3117	नागा विद्रोह के बारे में 'आब्जर्वर' में लेख	Article in 'Observer' re. Nagas Rebellion ...	463
3118	अधिक ताप वाला थोरियम रिएक्टर	High Temperature Thorium Reactor	463-464
3119	हथियारों तथा युद्धोपकरणों का निर्माण	Manufacture of Arms and Ammunition ...	464
3120	चित्रपट पर चुम्बन तथा आलिंगन	Kissing and embrassing on the screen	464

अता.प्र.संख्या / U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3122 आकाशवाणी द्वारा संगीत कलाकारों के साथ अनुबन्ध करने पर प्रतिबन्ध	Ban on booking ofmusic artistes by A.I.R. ...	464-465
3125 टी. एम. बी. लारियों में खराब बैटरियां	Unserviceable batteries in TMB Lorries ...	465
3126 मोटर गाड़ी डिपो, दिल्ली छावनी	Vehicle depot, Delhi ..	465
3127 505 आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी	505 Army Base Workshop, Delhi Cantt.	465-466
3128 राष्ट्रीय युद्ध ललकार	National War Cry ..	466
3129 भारतीय भूमि में पाकिस्तान का कब्जा	Pak. Occupation of Indian land	466–467
3130 अमरीका की नई आप्रवास विधि के अन्तर्गत भारतीयों का प्रव्रजन	Migration of Indians under New USA Immigration Law	467
3132 विजयन्त टैंक	Vijayanta Tank	467
3133 मध्य प्रदेश की संयुक्त विधायक दल सरकार के बारे में समाचारों का प्रसारण	News Broadcastes about SUD Government of Madhya Pradesh	468
3134 भारतीय तथा विदेशी चलचित्रों का सेंसर किया जाना	Censoring of Indian and Foreign Films ...	468-469
3136 उड़ीसा में सूखे की स्थिति सम्बन्धी समाचारों का प्रसारण	News Broadcasts about Drought in Orissa ..	469
3137 नागालैंड के मामलों का गृह-कार्य मंत्रालय को हस्तांतरण	Transfer of Subject of Nagaland to Ministry of Home Affairs	469
3138 राज्यों को सिनेमा घरों के लिये अनुदान	Grants for establishing Cinema halls in States ...	469–470

3139	राज्यों में जनसंख्या के आधार पर विकास परियोजनाएं	Development Projects in States on the Basic of Population	470
3140	संगणकों का निर्माण	Manufacture of Computers	470
3141	उड़ीसा में छावनी	Cantonment in Orissa ...	470-471
3142	पश्चिम एशिया संकट के लिये नया पांचसूत्री सिद्धान्त	New Five-Point formula for West Asia Crisis ...	471
143	दानापुर छावनी में भूमि का अर्जन	Acquisition of land in Danapur Cantonment	471–472
3144	बिहार सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में समाचारों का प्रसारण	News Broadcasts on strike by Bihar Government employees	472
3145	छावनी क्षेत्रों में भूमि का अर्जन	Acquisition of land in Cantonment areas ..	472–473
3146	सैनिक सेवा	Military Service	473–474
3147	केरल में चौथी योजना के लिये केन्द्रीय सरकार की योजनायें	Centrally sponsored Schemes in Kerala during Fourth Plan ...	474–475
3148	कोलम्बो बन्दरगाह में तूतीकोरिन बोट को रोक लिया जाना	Detention of Tuticorin Boat at Colombo Port	475
3149	"एप्रोच टु दी फोर्थ फाइव इयर प्लान" सम्बन्धी पत्र	Paper on 'Approach to the Fourth Five Year Plan'	475-477
3150	प्रतिरक्षा पर व्यय	Expenditure on defence –	477
3151	नसीराबाद छावनी में वार्डों का पुनर्गठन	Reorganisation of Wards in Nasirabad Cantonment ...	478
3152	भारत–पाकिस्तान सीमा के सीमांकन के बारे में बातचीत	Talks on Demarcation of Indo-Pak. Boundaries –	478

3153 चीन द्वारा नेफा–लद्दाख सड़क का निर्माण	Construction of NEFA-Laddakh Road by China	478–479
3154 जामनगर में प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये भूमि	Defence Services land in Jamnagar ... —	479
3155 इलेक्ट्रानिक उद्योग	Electronic Industry	479–480
3156 चीन का अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र	Chida's I.C.B.M. ..	480
3157 पाकिस्तानी नागरिकों के अनुरोध पर फिल्मी गीतों का प्रसारण	Broadcast of Film Songs on request of Pakistani Citizens	480
3158 प्रसारणों में स्टूडियो में हो रही बातों तथा आवाजों का सुनाई देना	Broadcasts of Voices and side-talks in the Studios	480–481
3159 चीन के सैनिक उपकरण के मुकाबले में भारतीय सैनिक उपकरण	Indian Military Equipment vis-a-vis Chinese Equipment ... —	481
3160 तुलिहाल हवाई अड्डा	Tulihal Aerodrome ...	481–482
3161 टैगोर संगीत के प्रसारण पर पाकिस्तान द्वारा प्रतिबन्ध का लगाया जाना	Pak ban on Broadcast of Tagore's Music ...	482
3162 पश्चिमी जर्मनी से टैंक	Tanks from West Germany ...	482–483
3163 विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी में काम	Work in Hindi in Indian Missions Abroad ...	483
3164 सैनिक शिक्षा दल (कार)	Army Education Corps ... —	483–484
3165 केन्द्रीय मंत्रियों की विदेशी यात्राएं	Foreign visits of Union Ministers	484
3166 एशिया फाउंडेशन कार्यालय	Asia Foundation office — ...	484

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
3167 क्षय रोग के कारण सैनिक का असमर्थ हो जाना	Disability of Soldiers due to T.B.	484–485
3168 रूस, पाकिस्तान अफगानिस्तान तथा भारत को मिलाने वाली सड़क	Road linking USSR, Pakistan, Afghanistan and India	485
3169 व्यापार तथा औद्योगिक आयोजन	Trade and Industrial planning – ...	485
3170 पश्चिम एशिया के बारे में आकाशवाणी द्वारा समाचारों का प्रसारण	A.I.R. Broadcasts of news on West Asia	486
3171 भारतीय वायु सेना का भविष्य संदिग्ध	I A.Fs' future in the Balance –	486
3172 एक कांग्रेसी नेता की वार्ताओं को रिकार्ड किया जाना	Recording of talks by a Congress leader	486–487
3173 विद्रोही नागाओं को सशस्त्र विद्रोह की तैयारी	Hostile Nagas preparations for Armed Rebellion	487
3175 हथियारों के सौदे के बारे में पाकिस्तानी प्रचार	Pak Propaganda on Arms Deal ...	487–488
3176 हथियारों की खरीद के लिये बेल्जियम द्वारा पाकिस्तान को ऋण	Belgium loan to Pakistan for purchase of Arms ...	
3177 पाकिस्तान द्वारा भारत से खतरे की झूंठी चेतावनी	Pakistan's False Alarms about Indian Threat	488
3178 हिमालय के सीमावर्ती देशों की परियोजना को अमरीका द्वारा वित्तीय सहायता देना	Financing of Himalayan Border countries' Project by USA ...	489
3179 केनिया से भारतीय	Indians from Kenya ..	489
3180 चीनी दूतावास के अधिकारियों की गति विधियों पर प्रतिबन्ध	Restriction on the movements of Chinese Embassy Officials ...	489–490

3181 ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारतीय गोरखों की भर्ती	Recruitment of Indian Gurkhas by U.K. Government	490
3182 पूर्वी यूरोपीय देशों से शस्त्रों की खरीद	Purchase of Arms from East-European Countries	490-491
3183 गुजरात में जवानों के लिये भूमि	Land for Jawans in Gujarat ..	491
3184 आदिम जाति विकास सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Team on Tribal Development	491-492
3185 लन्दन में हिन्दू मंदिर बन्द किया जाना	Closure of the Hindu Temple in London ..	492-493
3186 आगरा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र सैनिक	News Paper 'Sainik' from Agra ...	493-494
3187 पश्चिमी बंगाल में भूमि अर्जन	Acquisition of land in West Bengal ..	494
3188 नांगलोई, दिल्ली में आकाशवाणी ट्रांसमिशन भवन में आग लगना	Fire in A.I.R. Transmission Tower Buildidg in Nangloi, Delhi	494-495
3190 उत्तर प्रदेश का विकास	Development of U.P. ..	495
3191 सामुदायिक श्रवण योजना, उत्तर प्रदेश	Community Listening Scheme U.P.	495-496
3192 पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाले देश	Countries supplying Arms to Pakistan ...	496
3193 पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर गोली चलाया जाना	Firing by Pakistani Forces on Indian Troops	496-497
3194 मबीद्दापुरम, जाफना (श्री लंका) में मन्दिर प्रवेश हेतु सत्याग्रह	Temple Entry Satyagraha Maviddapuram, Jaffna (Ceylon)	497
3195 टेलिविजन सेट	Television Sets	497

अता.प्र.संख्या./U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
3196 पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन का विकास	Development of Sunderbans in West Bengal	497–498
3197 अमरीका से संचार उपकरण	Communication Equipment from USA ...	498
3198 फिल्मी अभिनेताओं की विदेश यात्रा के लिये आचार संहिता	Code of Conduct for tours abroad by Film-Stars	498–499
3199 हिन्द महासागर में रूसी नौसेना का जमाव	Soviet Build up in Indian Ocean	499
3200 सैनिक स्कूल	Sainik Schools ..	499–500
3201 चलचित्र उद्योग के बारे में विधान	Legislation on Film Industry	500
3202 नाथूला के निकट चीनी टेलीस्कोप	Chinese Telescope near Nathu-La ..	500
3204 साम्यवादी संसद सदस्यों द्वारा साम्यवादी देशों की यात्रा	Visit to Communist Countries by Communist M.Ps.	500–501
3205 साम्प्रदायिक मेल मिलाप सम्बन्धी अपीलों का आकाशवाणी से प्रसारण	Broadcast of Appeals for Communal Harmony ...	501
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	501–503
छिपे नागाओं के नेता श्री कैतो सेमा की कथित हत्या	Reported assassination of underground Naga Leader Shri Kaitor Sema	501
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	503
चौतीसवां प्रतिवेदन	Thirty Fourth Report ...	503

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
संसद् सदस्यों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of Joint Committee on Salary, Allowances and other amenities to Members of Parliament ...	503
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurances ...	504
तीसरा प्रतिवेदन तथा साक्ष्य	Third Report and Evidence	504
कोचीन शिपयार्ड के बारे में वक्तव्य	Statement re. Cochin Shipyard	504–505
डा. वी. के. आर. वी. राव	Dr. V.K.R.V. Rao	504
निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा उसके सम्बन्ध में सरकार का उत्तर	Statement by Member under Direction 115 and Government's reply thereto	505–506
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	505
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	506
उप-प्रधान मंत्री के विरुद्ध सूचनाओं के बारे में	Re. Notices Against Deputy Prime Minister	506–507
सरकारी परिसर (अप्राधिकृत दखल कर लेने वालों की बेदखली) संशोधन विधेयक	Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill —	507–519
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	507
श्री दी. चं, शर्मा	Shri D.C. Sharma	507
श्री कृ. मा. कौशिक	Shri K.M. Kaushik	507
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsinghka ..	508
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	508

विषय	Subject			पृष्ठ Pages
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra		...	509
श्री एस. कंडप्पन	Shri S. Kandappan		..	509
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	..		510
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	..		510
श्री रा. ढो. भण्डारे	Shri R.D. Bhandare	...		510
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh		...	511
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar			511
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao			512
खण्ड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	...	...	512
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	...	...	514
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	..	—	514
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	...	...	518
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu		—	518
श्री अब्दुलगनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	...	..	518
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	Advocates (Amendment) Bill			519–526
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	...		519
श्री मु. यूनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem			519
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	...	...	520
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	...		520
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shrichand Goyal		...	521
श्री शिवाजी राव शं. देशमुख	Shri Shivaji Rao S. Deshmukh	...	..	521
श्री वि. कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	—	—	522
श्री ही. ना.मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee		...	523

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji ...	523
श्री जे. एच. पटेल	Shri J.H. Patel	524
श्री क. लकप्पा	Shri K. Lakkappa ...	524
खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	526
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	526
पश्चिम बंगाल में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये निवास स्थान–आधे घंटेकी चर्चा	Half an Hour Discussion Re. Homes for freedom fighters in West Bengal ...	526–527
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	526
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidhya Charan Shukla	526
सदस्य की गिरफतारी	Arrest of Member ... —	527

लोक-सभा

LOK-SABHA

बुधवार, 7 अगस्त, 1968/16 श्रावण, 1890 (शक)

Wednesday, August 7, 1968/Sravana 16, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फालतू विमान इंजनों की बिक्री

*361. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सात लाख रुपये से अधिक मूल्य के दो फालतू विमान इंजनों को, जिन्हें प्रतिरक्षा स्टोर में रखा जाना चाहिए था, अन्ततोगत्वा 1967–68 में केवल 2,320 रुपये पर एक गैर-सरकारी फर्म को बेच दिया गया था;

(ख) क्या उस फर्म से अब उन्हें फिर से खरीदने के लिये प्रयास किया जा रहा है ताकि इंजनों के ऐसे पुर्जों को निकाला जा सके जिनका प्रयोग किया जा सकता है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सौदे के बारे में जांच की है तथा क्या सरकार ने इस संबंध में किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग) शायद इशारा आडिट रिपोर्ट डिफेंस सर्विसिज 1968 के पैरा 19(1) में उल्लिखित एरोइंजनों की ओर है, जो पब्लिक अकाऊन्टस कमेटी के सामने आने वाली है । ऐसा तो मामले की छानबीन की जा रही है, और मैं सदस्य महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह पी० ए० सी० के निर्णय की प्रतीक्षा करें ।

Shri Yajna Datt Sharma : Mr. Speaker, this question indicates that the Government have adopted such a careless attitude towards the military equipment. It has been informed that the matter is before the Public Accounts Committee and the discussion should not be raised until the report is received. I want to say that the Public Accounts Committee will go deep into this matter and consider all other subjects. If some items pertaining to military equipments are sent outside and on coming back they simply lie on the port without any proper care. The military equipment are not an ordinary items. Any one can take the boxes containing the weapons. It is a important matter. In view of this, I want to say if there is any provision in the department to see the movements and exact time of arrival of these items.

श्री मं० रं० कृष्ण : दो इंजन फ्रांस में मरम्मत के लिए भेजे गये थे, फ्रांस में उनकी मरम्मत होने के बाद पुनः उनको वापिस भेज दिया गया, इंजन को बम्बई में भेजा जाना था, दुर्भाग्यवश कुछ भूलों के कारण ये इंजन मद्रास पहुंच गये और बन्दरगाह के अधिकारी इनके स्वामित्व का पता न लगा सके, इसलिए इसमें देरी हो गई, यह गलती बन्दरगाह स्तर पर हुई, अतएव जांच जारी है ।

Shri Yajna Datt Sharma : Mr. Speaker, the fact is that it reached Madras. Whether the investigation was conducted when it did not reach at Bombay. Had there been an agency then it would have not happened. The authorities at the port of Bombay informed that they received less consignment and the rest of it was received at Madras. The port authorities at Madras contacted the military authorities but they failed to identify it. And later on two engines worth Rs. 7 lakhs were auctioned for two thousand rupees. I want to know whether the boxes were opened at the time of auction. If so, then why not the military authorities were contacted: I want to ask if there is any agency working in this department. I think some malpractices are going on. This case is under P. A. C. Whether the Government will conduct an enquiry into this matter or not.

श्री मं० रं० कृष्ण : यह वास्तव में एक गलत मामला हैं, परन्तु सारा दोष रक्षा मंत्रालय पर नहीं डाला जा सकता, हमने इंजनों को फ्रांस मरम्मत के लिए भेजा था : यह उस एजेन्सी के ऊपर है कि वह उन्हें ठीक पते पर भेजे । उनका बीमा भी किया गया है...

एक माननीय सदस्य : वह कौनसी एजेंसी है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : जो धन हमने वसूल करना है और जो धन उन्होंने नियत किया है वह बहुत कम है । इसलिए हम इस धन को समुद्री बीमा नीधि से प्राप्त करने की कोशिश कर रहें हैं । इन सब मामलों पर अभी बातचीत चल रही है, इसके बाद अन्तिम प्रतिवेदन उपलब्ध हो जायेगा ।

Shri Yajna Datt Sharma : My question has not been answered. It was my direct question whether the military authorities were contacted when the engines worth Rs. 7 lakhs were auctioned for Rs. 2 thousand.

श्री मं० रं० कृष्ण : जी नहीं । उन्होंने रक्षा मंत्रालय को इसके बारे में कुछ नहीं कहा । चूंकि पैकेज पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, अतएव वे सही व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सके, उन्होंने इस बारे में कुछ कदम उठाये हैं, परन्तु वे सब ठीक नहीं है । इसलिए इन सब पर जांच करनी होगी ।

Shri Atal Behari Vajpayee : Mr. Speaker. No reply has been given. The question of Shri Sharma is whether the boxes were opened or not before the auction

श्री मं० रं० कृष्ण : बक्से खोले गए थे, परन्तु जांच करने वाले यह पता न लगा सके कि क्या ये वायु सेना के हैं अथवा नौ-सेना के इंजन हैं ? बन्दरगाह अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता था । अगर उन्होंने वायु-सेना को कुछ कहा होता तो वायु-सेना के अधिकारी तुरन्त इसको पहचान जाते परन्तु बन्दरगाह अधिकारियों को पता नहीं था कि ये वायु-सेना के मतलब के हैं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : यह तो केवल एक उदाहरण है जो कि हमारे सामने लाया गया है परन्तु यह तो अब रोज की बात है कि सैनिक सामग्री बन्दरगाह में पड़ी रहती है और रक्षा मंत्रालय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा यह देखा जाय कि सामान बन्दरगाह में महीनों में न पड़ा रहे, यह तो एक घटना है, जो हमारे ध्यान में लाया गया है । क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि वे यह देखें कि आयातित सामान बन्दरगाहों में इस प्रकार न पड़ा रहे और कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे कि उन्हें समय पर पता लगाया जा सके ।

श्री मं० रं० कृष्ण : यह बहुत आवश्यक है कि कोई ऐसा फूल-प्रूफ तरीका ढूंढ निकाला जाय परन्तु इस विशेष मामले में नौ-सेना अधिकारी भी आश्वस्त थे और उन्होंने यह सर्टिफिकेट भी दिया था कि ये सामान बम्बई बन्दरगाह में कम उतरे हैं । वे हमें इसकी क्षतिपूर्ति देने को भी तैयार हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि देश में वैमानिक इंजन विशेषकर आरफियस और डार्ट इंजन बनाने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि आजकल वैमानिक इंजनों को विदेशों में मरम्मत के लिए भेजना क्यों आवश्यक है ? मैं नहीं जानता कि हम अब भी वैमानिक इंजनों का आयात कर रहे हैं ? इस बात को देखते हुए कि हममें अधिकतम क्षमता है तो वैमानिक इंजनों का आयात करना क्यों आवश्यक है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : ये इंजन मिस्टरी विमानों के मतलब के थे और उन्हें फ्रांस में मरम्मत कराना था ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह 6 वर्ष पहले की बात है । जहाज में माल की लदाई 1962 में की गई थी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हममें मशीनों को अपने ही देश में मरम्मत करने की क्षमता है अथवा क्या हम उनको अब भी विदेशों को भेज रहे हैं ?

श्री मं० रं० कृष्ण : अब हमारे देश में भी मरम्मत की सुविधाएं हैं ।

श्री मनुभाई पटेल : उत्तर से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि क्या ये सब सामान प्रतिरक्षा भण्डार में पहुँचा ? क्या प्रतिरक्षा भण्डार अथवा बन्दरगाह अधिकारियों ने बेच दिया था ?

श्री मं० रं० कृष्ण : इसे बन्दरगाह अधिकारियों ने बेच दिया था। इसको प्रतिरक्षा बल के ध्यान में नहीं लाया गया था।

श्री गिरिराज शरण सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या ये जेट इंजन अथवा टरबो-प्रोप इंजन अथवा पिस्टन इंजन थे, वे किस प्रकार के इंजन थे ?

श्री मं० रं० कृष्ण : वे मिस्टरी विमानों के मतलब के इंजन थे, माननीय सदस्य जानते होंगे कि ये इंजन मिस्टरी विमान में प्रयोग किये जाते हैं।

Shri Om Prakash Tyagi : These engines which were sent for over-hauling and when the company sent it back after over-hauling, then whether they did not inform to the department that they were despatching engines by so and so ship. If your department did not receive that information then whether your department informed them that these engines have not been received so far.

श्री मं० रं० कृष्ण : उन्होंने मरम्मत करने वालों से पूछ-ताछ की और जब उन्हें मालूम हुआ कि वे हम तक नहीं पहुंचे हैं तो वे क्षतिपूर्ति देने को तैयार हो गए, ये सब बातें बाद में हुई।

Shri Om Prakash Tyagi : I am asking whether the over-hauling company informed your department or not that the engines are being sent to you. When it did not reach you then whether you wrote them that engines have not been received then what was their reply ?

श्री मं० रं० कृष्ण : हमें मालूम था कि किस जहाज द्वारा इन सामानों को लाया जा रहा था और यह जहाज बम्बई बन्दरगाह कब पहुंचा था। बम्बई बन्दरगाह में जांच-पड़ताल करने के बाद हमने आश्वस्त होकर यह सार्टिफिकेट दिया था कि जहाज द्वारा भेजा जाने वाला वह इंजन नहीं है।

नागाओं के पास भारतीय हथियार

*362. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री वेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 और 18 जून, 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स् में "विद्रोही नागा हथियारों के करार के लिये तैयार हैं" (नागा होस्टाइलज रेडी फार आर्म्ज डील) तथा "नागा भारतीय हथियारों के साथ लड़ रहे हैं" (नागाज़ फाइटिंग विद इण्डियन आर्म्ज) शीर्षकों के अन्तर्गत प्रकाशित वक्तव्यों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन समाचारों की जांच की है;

(ग) क्या विद्रोही नागाओं को हथियारों की सप्लाई के बारे में जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) 18 जून, 1968 को प्रकाशित रिपोर्ट 16 जून, 1968 को "ऑब्जर्वर" में प्रकाशित श्री मिचाईल रोस के एक लेख पर आधारित है ।

इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया अतारांकित प्रश्न संख्या 672 के लिये दिये गये उत्तर में बता दी गई है ।

जहां तक 17 जून, 1968 को प्रकाशित रिपोर्ट का सम्बन्ध है सरकार को ज्ञात है कि भूमिगत नागा चीन से शास्त्रास्त्र प्राप्त कर रहे हैं । स्थिति से निपटने के लिये यथोचित उपाय किये जा रहे हैं ।

Shri Shri Chand Goyal : About two months have elapsed since this report was published. Has it been brought to the notice of Govt. of India whether these arms were made available to the hostile Nagas through the Armed Forces or any other sources ? If the Govt. of India have got any indication that these arms were received by the Nagas from the Indian Army or for some officer, have our Government collected some information whether there are certain elements in our Army who are helping these hostile Nagas in this way ? If so, what action is the Govt. taking against that element ?

Shri Surendra Pal Singh : Information was collected and an inquiry was held in this regard, and it was found that this news is wrong. They never got those arms through our Army at any time.

Shri Shri Chand Goyal : As these hostile Nagas were getting cooperation from Burma and we solved this problem by sealing the Burma border upto 25 Kilometers; similarly, wherever there are Chinese boundries and knowing that those are quite open to all and they go for training there and come back; may I know whether the Govt. of India proposes to seal those of Chinese boundaries as it was done in the case of Burma ?

Shri Surendra Pal Singh : As has been stated that they go to China through Burma; so we have taken several steps to check them; we have enhanced patrolling, pickets and many more things.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इसके अतिरिक्त, भूगोल के हिसाब से माननीय सदस्य जानते होंगे कि नागालैंड राज्य का कोई भाग चीन के साथ लगा हुआ नहीं है ।

Shri A. B. Vajpayee : Almost the same is the case with him in regard to knowledge of Geography.

Shri Rabi Ray : We are glad to know that you have learnt Geography.

श्री दी० चं० शर्मा : ऐसी टिप्पणियां करना दुर्भाग्य की बात है ।

श्री बेदव्रत बरुआ : उस क्षेत्र में ज्यादातर यह आरोप लगाया जाता है कि ये शस्त्र हमारी सेना के भण्डारों से नहीं प्राप्त किये जाते बल्कि वहां कुछ ऐसे स्वतंत्र व्यापारी हैं जो कि इतने 'देशभक्त" हैं कि उन्हें ऊँचे दामों पर बेचते हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि जो हथियार

पकड़े गये हैं क्या उन पर इन साधनों के कोई चिन्ह मिलते हैं क्योंकि वे चिन्ह मिटे नहीं हैं तथा स्पष्ट हैं ? क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार का ध्यान **'टाईम्स ऑफ इन्डिया'** के प्रधान सम्पादक श्री मनकेकार द्वारा लिखित उस लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि उनके क्रय के लिये भी परोक्ष रूप से भारत सरकार के ही स्रोतों द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा भारत सरकार 24 करोड़ देती है जिसमें से 20 प्रतिशत विद्रोही नागाओं को प्राप्त होता है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : भूमिगत नागाओं के पास पाये गये अग्नि-शस्त्रों पर पड़े विभिन्न प्रकार के चिन्हों के बारे में कहा गया है कि वे चीनी और पाकिस्तानी मार्कों के हैं तथा वहां से पकड़े गये अधिकतम शस्त्रों पर पड़े चिन्ह हटा या मिटा दिये गये हैं, अतः यह कहना कठिन है, उनमें से कुछ हथियार दूसरे महायुद्ध के समय के हैं जिन्हें अंग्रेज लोग पीछे छोड़ गये थे । इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं है कि ये शस्त्र हमारी सेना से निकले हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या भारत सरकार इसके लिये धन दे रही है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह कहना ठीक नहीं है कि हम धन दे रहे हैं परन्तु भूमिगत नागाओं के पास धन प्राप्त करने के अपने ही निजी साधन हैं ।

श्री हेम बरूआ : पहले पहल जब ये विद्रोही नागा शस्त्रों के साथ हमसे लड़े तो सदन में यह कहा गया था कि ये शस्त्र पिछले महायुद्ध में छोड़े गये किसी भण्डार के हैं । दूसरी बार यह कहा गया कि ये पाकिस्तानी हैं और अब यह कहा गया है ये चीन की ओर से उन्हें प्राप्त हुए हैं; तथा यह बताया गया है इन विद्रोही नागाओं के उग्रवादी पक्ष ने, जिसने चीनियों के साथ सहयोग किया था, चीनी सहायता से नागालैंड के गावों में अस्त्र-शस्त्रों के भण्डार निर्मित कर लिये हैं; और कि इस चीनी समर्थक उग्रवादी दल ने नागा समस्या पर गहरा प्रभाव डाला है—इसका रहस्य अभी हाल ही में हुई श्री केटो सेमा की हत्या से खुलता है । कुछ भी हो, क्या मैं जान सकता हूं नागा उग्रवादियों द्वारा चीनी अस्त्र-शस्त्रों से, भीतर गांवों में निर्मित इन भण्डारों को नष्ट करने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

दूसरे, मंत्री महोदय ने कहा है कि **'हिन्दुस्तान टाईम्स'** में प्रकाशित यह लेख **'लन्दन ऑब्जर्वर'** में प्रकाशित श्री मिचाईल रोस की एक रिपोर्ट पर आधारित है । जब मिचाईल रोस आज्ञा-पत्र के बिना तथा सरकारी अधिकारियों की जानकारी के बिना नागालैंड में घुस सकता है तथा वहां एक मास तक रह सकता है, तो क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि अब तक कितने चीनी एजेन्ट सरकार की जानकारी के बिना नागालैंड में घुस पाये हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सबसे पहले में मिचाईल रोस सम्बन्धी पहला प्रश्न लूँगा । यह कहना सत्य नहीं है कि मिचाईल रोस नागालैंड में घुसने में सफल हो गया । यह बताया गया है कि एक विदेशी तो अवश्य ही बिना आज्ञा नागालैंड में घुस आया था; परन्तु वह मिचाईल रोस नहीं बल्कि कोई अन्य व्यक्ति था । उसका नाम रोबिन्सन है । पूरा नाम मुझे याद नहीं है । प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, मैं निवेदन करूंगा कि भूमिगत नागाओं द्वारा भारत के बाहर से, चीन अथवा पाकिस्तान से, शस्त्रों का लाया जाना युद्ध-विराम समझौते की शर्तों के

विरुद्ध हैं। हमने अपनी सुरक्षा सेनाओं को ऐसी घटनायें रोकने के लिये तथा उनके सभी ठिकानों का निरीक्षण करने और शस्त्रों को एकत्रित होने से रोकने के लिये निर्देश दे दिये हैं।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैं तो यह जानना चाहता था कि विद्रोही नागाओं द्वारा निर्मित शास्त्रों के भण्डारों को नष्ट करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं। वह कहते हैं कि युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन हुआ है। यह तो सब जानते हैं। शस्त्रों के भण्डारों को नष्ट करने में आप कहां तक सफल हुए हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सुरक्षा सेनाओं को आदेश दे दिये हैं।

श्री स्वैल : जोत सोमा की झड़प के पश्चात् विद्रोही नागाओं द्वारा चीन से प्राप्त हथियारों के बारे में खूब प्रचार किया गया, परन्तु नागालैंड में प्रायः हर स्थान पर यह कहा जाता है कि विद्रोही नागाओं ने हमारे लोगों से भी भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र छीने हैं तथा यही बात नागा विद्रोहियों तथा सुरक्षा सेनाओं के मध्य हुई अनेक झड़पों में रही है। इस स्थिति में, मैं सरकार से स्पष्ट रूप से यह कहलवाना चाहता हूँ कि ये नागा केवल विदेशी शस्त्रों से लड़ रहे हैं, भारतीय शस्त्रास्त्रों से नहीं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि भूमिगत नागा तीन स्रोतों से शस्त्रास्त्र प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात् चीन, पाकिस्तान तथा द्वितीय महायुद्ध के समय छूट गये भण्डारों से। मैं निश्चय ही कह सकता हूँ कि वे हमारी सेना से शस्त्र प्राप्त नहीं कर सके हैं।

श्री स्वैल : क्या मैं इससे यह समझूँ कि हमारी सेना और सुरक्षा सेनाओं द्वारा एक भी शास्त्रास्त्र नागाओं के हाथ नहीं आने दिया?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई कैसे कह सकता है;

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जैसा कि आपने ही अभी कहा है, यह कहना सम्भव नहीं है कि उन्होंने कभी कोई हथियार नहीं छीना है। सम्भव है उन्होंने कोई एक हथियार छीना हो। परन्तु यह सत्य है कि जोत सोमा पर धावे के बाद से वे अपने अड्डे भीतर गहरे जंगलों में ले जा रहे हैं, यह सिद्ध करता है कि हमारी कार्यवाही प्रभावपूर्ण रही है।

श्री बी० चं० शर्मा : कुछ समय हुआ, हमारी सरकार ने वियतनाम की पद्धति पर लोगों के दल बनाने की नीति चलाई तथा यह कहा गया कि ये गांव ही किसी भी प्रकार की घुसपैठ तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाही के विरुद्ध एक प्रमाण हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इन छोटे ग्रामों के निर्माण के बाद भी, सरकार चीनी हथियारों के एकत्रित होने को नहीं रोक सकती है, क्या सरकार को मालूम है कि ये हथियार कहां एकत्रित होते हैं तथा सरकार इस एकत्रण को कैसे रोकेगी?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जैसा कि कहा गया है, हम इस बात का निश्चय करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि बाहर से—चीन अथवा पाकिस्तान कहीं से भी शस्त्र न आने पायें।

हम सीमाओं पर निगरानी करते हैं तथा जब भी कोई सूचना मिलती है हमारी सुरक्षा सेनायें उनके अड्डों का निरीक्षण करती है ।

Shri Rabi Ray : I want to know that when an Article was published in the observer on 16th June, 1963 and the Govt. of India came to know that such allegations were made, then, did the Govt. of India sent a letter to the Editor of the Observer in order to contradict those allegations ? If so, whether that letter was published or not ?

Shri Surendra Pal Singh : We did write to that newspaper when they published those. But we came to know that they had refused to publish our version.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यदि हमारी अधिक सतर्कता तथा समझौते के द्वारा सख्त दबाव के कारण ये नागा पीछे हट रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि वे लोग गुरिल्ला-युद्ध के उपाय अपना रहे हैं । क्या सरकार उन्हें घेरने तथा काबू करने के लिये स्वयं भी गोरिल्ला-युद्ध की तरह के तरीके अपनाने को तैयार हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : परिस्थितियों के अनुसार स्थिति पर काबू पाने के लिये जो भी आवश्यक होगा किया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा प्रतीत होता है कि विद्रोही नागा पाकिस्तान आदि हर देश से शस्त्र प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं । क्या यह सच है कि कुछ विद्रोही नागा तथा उनके नेता अब भी नियमित रूप से श्री फिजो के साथ निकट का सम्पर्क बनाये हुए हैं; और यदि हां, तो इस शृंखला को तोड़ने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : उसके कुछ अनुयायी पाकिस्तान अथवा चीन जाते हैं तथा वहां से वे श्री फिजो से सम्पर्क स्थापित करते हैं । हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं ?

श्री हेम बरुआ : यह गलत उत्तर है । वे कोहिमा तथा नागालैंड के विभिन्न भागों से श्री फिजो को पत्र लिखते हैं । आप उन्हें रोक नहीं सकते ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे पता लगा है कि वह लन्दन में है; हर व्यक्ति जानता है कि वह लन्दन में है तथा वहां घूमता है तथा कुछ व्यक्ति उसे लगातार सहायता पहुंचाते हैं । वे उसके साथ समीप का सम्पर्क बनाये हुए हैं । मेरे प्रश्न है कि सरकार ने इस शृंखला अथवा सम्पर्क को तोड़ने के लिए क्या उपाय किये हैं; यह उस शृंखला की प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसी कोई शृंखला नहीं है; यह हो सकता है कि यहां से कुछ पत्र श्री फिजो तक पहुंच रहे हों ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has just now said that he wrote a letter to the Observer but it was not published. I know that through a number of articles published in several newspapers and in British Press, an impression is being given that a fight like that in Vietnam is going on in Nagaland. So, I want to know whether our High Commission there has, in any way, contradicted this propagenda ? If so, how ? Secondly, I want to know whether you have put any restrictions on the foreigners entering into Nagaland ? And lastly, I want to know that as per the report that you have sealed borders

but that rebel Nagas cross the borders through the tunnel they have constructed, have you got any information to this effect.

Shri Surendra Pal Singh : As regards the Observer, I may submit that the underground Nagas have vested their cause into it and they are being helped by it. Now so far as other newspapers are concerned, there come out certain articles which are in Nagas favour and against us. But our High Commissioner has always opposed that and has told them.....(interruption).

Shri Kanwar Lal Gupta : What has been done ?

Shri Surendra Pal Singh : I do not have the details regarding that.

As regards the Observer, we are not prepared to admit what that paper has said. The Nagas have vested their cause into that paper and our letter was not published by that.

Now, as regards foreigners entering into Nagaland, so they cannot enter into the inner line without a permit.

Mr. Speaker : And what about tunnels ?

Shri Surendra Pal Singh : There are no tunnels.

भारतीय वायु सेना के एक डकोटा विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

*363. **श्री निहाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1968 में भारतीय वायु सेना का एक डकोटा विमान मिजो पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इसके फलस्वरूप कितनी जान व माल की हानि हुई; और

(ग) जांच पूरी होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) एक आई० ए० एफ० डकोटा विमान 11 मई, 1968 को (सिलचर क्षेत्र में) कुम्भीग्राम से 2 किलोमीटर दूर क्षतिग्रस्त हो गया था ।

(ख) दुर्घटना का कारण था, उड़ान लेने से शीघ्र ही पश्चात् पोर्ट इंजन में आग लग जाना । कार्मिक दल के चारों सदस्य निधन को प्राप्त हुए । ईंजेक्शन कार्मिकदल के पांच सदस्यों में एक सख्त घायल हो गया था, और शेष चार को मामूली चोटें आई थीं । कुल क्षति लगभग 3,85,000 रुपये निर्धारित की गई थी ।

(ग) कोर्ट आफ इन्क्वायरी सम्पूर्ण हो चुकी है ।

Shri Nihal Singh : May I know whether the enquiry committee consisted of both civil and military officers, which looked into this matter ?

श्री मं० र० कृष्ण : उसमें सभी सैनिक अधिकारी थे और असैनिक अधिकारी एक भी नहीं था। जांच सदैव ही हमारे अपने कर्मचारियों द्वारा कराई जाती है।

Shri Nihal Singh : We have heard about a number of incidents of Dakota aircrafts. It appears that they have become too old. May I know whether they are being replaced by new ones; if not, the other steps being taken in lieu thereof, so that the accidents may be avoided ?

श्री मं० र० कृष्ण : डकोटा विमान वस्तुतः पुराने विमान हैं परन्तु वे मजबूत हैं और उन पर विश्वास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के नये विमान डकोटा का स्थान ले रहे हैं।

श्री मोहन रानाडे की रिहाई

*364 **श्री अविचल :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री मोहन रानाडे को पुर्तगाल के बन्दीगृह से जल्दी रिहा करने के लिये सरकार ने और क्या प्रयास किये हैं; और

(ख) क्या निकट भविष्य में उनकी रिहाई की कोई संभावना है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री : (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे को रिहा कराने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उनके ब्यौरे क्रमश : 13 नवम्बर और 18 दिसम्बर 1967 को आतारांकित प्रश्न संख्या 94 और 4694 के, तथा 6 मार्च 1968 को तारांकित प्रश्न सख्या 451 के उत्तरों में दिए जा चुके हैं।

राजनयिक स्रोतों द्वारा हमारे प्रयास जारी हैं। हम पुर्तगाल सरकार को बराबर यह महसूस कराते रहे हैं कि वे कम से कम मानवता के ही आधार पर श्री रानाडे को नजरबन्दी से रिहा करने के प्रश्न पर विचार करें क्योंकि उन्होंने 26 वर्ष के कारावास के मूल दन्ड को आधे से अधिक भोग लिया है, और उनकी बूढ़ी मां की आंखें तेजी के साथ कमजोर होती चली जा रही हैं।

श्री रानाडे की पुर्तगाल के कारावास से रिहाई के लिए यदि पैसा खर्च करना पड़ेगा तो सरकार उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है।

श्री अविचल : क्या सरकार ने वैटिकन से इस बात का अनुरोध किया है कि वह पुर्तगाल सरकार पर श्री रानाडे को छोड़ने के लिए दबाव डालें। क्या जेल में रहने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमने सब उपाय और रास्तों से श्री रानाडे को छुड़ाने का प्रयत्न किया है। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में अधिक बताने के लिये मेरे पर दबाव न डालें।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री रानाडे का गोवा के स्वतन्त्रता संग्राम में अत्यधिक योगदान रहा है; क्या सरकार इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग में उठायेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जी, नहीं ।

Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Mohan Ranade, who had been with us in Goa prison, is now prison of Lisbon. He has completed the 12 years of his imprisonment for 26 years. Still our Government has made no solid efforts to get him released. May I know whether Government will consider the probability of getting him released from the prison and will do some thing in order to Persuade the Portugal Government to get him interned in some residential accommodation outside the prison; whether Government is really prepared to meet any financial commitments, but the Portugese Government is not prepared to accept this offer; the steps taken by Government in this direction ?

Shri Surendra Pal Singh : It is wrong to say that Government did nothing for getting him released. We did every thing possible to get him released, but unfortunately the Portugese Government did not release him. We will continue our efforts in this direction in future also. Moreover, we are prepared to meet any financial commitments which may arise for his release from prison in Portugal.

श्री सेक्वीरा : क्या यह सच है कि श्री रानाडे की माताजी ने लिस्बन की जेल में अपने पुत्र से मिलने का प्रबन्ध करने के लिये सरकार को लिखा था; यदि हां तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : श्री रानाडे की माताजी ने सरकार से ऐसा अनुरोध किया था और 1965 में सरकार ने इस सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से बातचीत भी की थी, परन्तु उस समय हमारा अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया । इसके पश्चात 1967 में पुनः पुर्तगाल सरकार से इस सम्बन्ध में अनुरोध किया गया । इस बार उन्होंने यह बात इस शर्त के साथ मान ली कि भारत सरकार भी पुर्तगाल के दो राष्ट्रजनों को गोवा में अपने सम्बन्धियों से मिलने की अनुमति दे । इस समय श्री रानाडे की माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है । जैसे ही वह स्वस्थ हो जायेंगी, हम उनकी यात्रा का प्रबन्ध कर देंगे ।

Shri D. N. Tiwari : May I know the number of Indians other than Mr. Ranade Who are in prison in portugal and whose health is deteriorating; whether Government have made such an arrangement as will enable us to know the latest position about their ailment so that some thing may be done in the hours of need ?

Shri Surendrapal Singh : There is only one Indian other than Mr. Ranade, whoes name is Mr. Meskerin. About his nationality a legal conflict is going on. We say that Mr. Meskerin is Indian citizen will Protugese Government claims that he is a protugese citizen. Nevertheless our efforts for his release are also going on with the same spirit and manner as in the case of Mr. Ranade.

श्री रंगा : क्या सरकार ने श्री रानाडे की माता तथा उसके आश्रितों की आर्थिक सहायता की कोई व्यवस्था कर रखी है ? क्या सरकार उन्हें पुर्तगाल तक आने जाने का खर्चा भी देगी ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक–कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : उन्हें हम आने जाने का खर्च अवश्य देंगे । मुझे ठीक पता नहीं है कि उन्हें अब तक कुछ आर्थिक साहयता उनके इलाज आदि के लिये दी जाती रही है अथवा नहीं । परन्तु भविष्य में हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं ।

Shri George Fernandes : May I know whether Government will take some such action against those Portugese nationals who are living in India as will mobilize the conscience of Portugese Government to release our two freedom fighters-Sarvashri Mohan Ranade and Meskerin.

Shri Surendra Pal Singh : No, Sir, We are not prepared to do so.

चलचित्र वित्त निगम

*365. **श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**

क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चलचित्र वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को ऋण दिये जाने में पक्षपात करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख) : किसी भी अभ्यावेदन में किसी विशिष्ट प्रकार के पक्षपात का कोई उल्लेख नहीं है । कुछ फिल्म निर्माताओं ने, जिनके ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्र चल चित्र वित्त निगम द्वारा रद्द कर दिये गये थे, निगम के निर्णयों के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं । इन अभ्यावेदनों की छानबीन की गयी थी और जिस मामले में आवश्यक समझा गया था, उसकी जांच करने के लिये चेयरमैन से अनुरोध किया गया था ।

श्री पी० पी० एस्थोस : क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या भारतीय फिल्म निगम के कुछ सदस्य अपने सहयोगियों पर अपनी ऐच्छित कम्पनियों को ऋण के लिये प्रभाव डाल रहे थे, और यदि हां, तो ऐसी कुरीतियों को रोकने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि ऋणों की एक तिहाई से अधिक प्राप्त किस्तें शेष हैं तथा उनमें से बहुत सी किस्तों के बट्टे-खाते में जाने की सम्भावना है ? उस स्थिति में क्या यह अपेक्षित होगा कि जनता का पैसा ऐसे अत्याधिक पूर्वानुमानित कार्यों पर लगाया जाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं यह नहीं मानता कि यह केवल पूर्वानुमानित कार्य हैं। पहली तो यह बात है कि इस भारतीय फिल्म निगम की स्थापना का उद्देश्य ही यह था कि उन ठोस प्रभावशाली व्यक्तियों को सहायता दी जाये जिनके पास अपनी इस प्रतिभा को चलचित्र का रूप के साधन नहीं हैं।

श्री पीलू मोदी : आप ठोस प्रतिभा का कसे पता लगाते हैं।

श्री के० के० शाह : इस विचार से, वर्ष 1960-61 में 1.63 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया तथा 1.35 करोड़ रुपया दिया गया और 65 लाख रुपये वापस वसूल हुए।

श्री विक्रम चन्द महाजन : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि हम उनको आर्थिक सहायता देते हैं जिसके पास ठोस प्रतिभा है। ऐसे व्यक्तियों को ढूढ़ने के लिए क्या मानदंड है कि वे ठोस प्रतिभा वाले हैं अथवा नहीं ?

श्री के० के० शाह : जो प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है वह यह है। 5 सदस्यों की एक समिति है (व्यवधान)

श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वे भी प्रतिभाशाली हैं।

श्री के० के० शाह : प्रतिभाशाली होने के बारे में मेरी और आपकी परिभाषायें शायद मेल न खायें। मेरी और आपकी धारणायें सम्भव है एक न हों (व्यवधान)

पांच व्यक्तियों की एक पांडूलिपि-समिति है। एक निगम के अध्यक्ष हैं, दूसरे फिल्म उद्योग के एक निर्माता अथवा निर्देशक हैं, दो फिल्म सेंसर के केन्द्रीय बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हैं, दो निर्णायक है, जिनके नाम निदेशकों के बोर्ड द्वारा स्वीकृत नाम-सूची में से लिये जाते है, इन में फिल्म आलोचक तथा अन्य विख्यात व्यक्ति होते हैं।

Shri Prem Chand Verma : The hon. Minister just now mentained about the script panel. Is it true that about one of the scripts they received last, was 'Shehar Aur Sapna' about which they saids that no money can be given ? But the very picture, finally, got the President's award by the President. The very picture for which the penal refused to grant money got the President's award. This is the one instance which shows how the panel works. Likewise "Godan" and "Nai Umar ki Nai Fasal" failed in the market and did not prove worth earning money whereas both of these were granted money by the script panel. I want to know how much of the Film Corporation's money is at present a bad debt ?

श्री के० के० शाह : कुल 1,65,00,000 रुपये में से बट्टे-खाते में डाली गई धन-राशि 12 लाख रुपये है।

मेरे माननीय मित्र को ठीक जानकारी नहीं दी गई है। गोदान को सहायता दी गई यह ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता कि वह किस फिल्म के बारे में जिक्र कर रहे हैं परन्तु राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक एक बंगाली चित्र चारुलता ने प्राप्त किया था तथा उसकी भी सहायता की गई

थी। इसके बाद, बंगाली फिल्म नायक को भी वर्ष 1966 के बर्लिन फिल्म उत्सव में फिल्म आलोचकों का एक विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

Shri Prem Chand Verma : I want to ask about that 'Shehar Aur Sapna' film which was directed by K. A. Abbas.

श्री ए० श्रीधरन : क्या यह सच है कि फिल्म उद्योग में पैसे का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है तथा इस उद्योग में प्रतिभाशाली कलाकारों को हर प्रकार दबाया तथा हताश किया जा रहा है ? इस दृष्टि से कि यह देश का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है तथा इसमें आश्चर्यजनक सामर्थ्य है, क्या सरकार फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिये उपाय करेगी ?

Shri Sitaram Kesari : When we provide loans for certain film to some part or firm what is the method of assessing that firm whether they will pay back the loans ? If it is there, how so much money formed bad debts?

श्री के० के० शाह : मेरी इच्छा थी कि मेरे माननीय मित्र मेरा उत्तर सुनते। मैंने कहा था कि पहले तो पांडुलिपि समिति द्वारा पांडुलिपि की जांच होती है तथा इसके बाद यह रिपोर्ट ली जाती है कि क्या पांडुलिपि स्वीकार होने योग्य है तथा तदोपरान्त फिल्म निर्माता यह देखते हैं कि क्या आर्थिक दृष्टि से बनाई जा सकती है तथा क्या बाक्स आफिस पर। यह आशा अनुसार उतना ही धन लायेगी। यह होने के बाद यह मामला बोर्ड आँफ डायरेक्टर्ज के पास जाता है। माननीय सदस्य के सूचनार्थ मैं कह सकता हूं कि बोर्ड आँफ डायरेक्टर्ज में फिल्म फेडरेशन आफ इण्डिया के प्रधान श्री रोशनलाल मलहोतरा, सुविख्यात आलोचक चिदानन्द दास गुप्त, सुविख्यात लेखक श्री प्रमेन्द्र मित्र, फिल्म इस्टीट्यूट आँफ पूना के प्रिन्सिपल श्री जगत मुरारी, श्री महाजन तथा अन्य लोग हैं।

डा० रानेन सेन : पिछले वर्ष, पश्चिम बंगाल के कुछ जाने माने निर्देशक तथा निर्माता कई संसद-सदस्यों से मिले जो कि कलकत्ता की यात्रा पर थे; तथा उन्होंने शिकायत की कि यद्यपि पिछले 2–3 वर्षों के दौरान सहायता के लिये वित्त निगम को अनेक प्रार्थना पत्र भेजे गये हैं। फिल्म वित्त निगम की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है। क्या मैं जान सकता हूँ कि देश के विभिन्न महत्वपूर्ण भागों के लिये जहां फिल्म का निर्माण होता है, कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

श्री के० के० शाह : मैं उनमें से कुछएक के बारे में बता सकता हूं :—

घूम भांगर गान (बंगाली)	-1,75,000 रु०,
सत पाके बांधा (बंगाली)	-2,30,000 रु०,
स्वर्ग होते विदाय (बंगाली)	-2 लाख रु० ;
पंकस्वर (बंगाली)	-2,24,000 रु० ;
चाचलता (बंगाली)	-3,24,000 रु०,
कांच कता हीरे (बंगाली)	-3,50,000 रुपये
और नायक (बंगाली)	-3,50,000 रु०

सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी

*366. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतांग दर्रा क्षेत्र में अथवा इससे भी दूर कार्य करने वाले सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन्हें कुछ अतिरिक्त भत्ता देने के बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) सिवाय उन लोगों के जो कि वेतन की संचित दर पर हैं, जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स के सभी कारूका रोहतांग पास से अग्रिम क्षेत्रों में की गई अपनी सेवाओं के लिये विशेष प्रतीकारात्मक भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि रोहतांग के पार अर्थात कि आलोंग तथा स्पीती घाटी में सीमा सड़क संस्थान में सर्व प्रथम काम करने वाले तथा दूसरे लोग इस विशेष भत्ते को प्राप्त करने के पात्र हैं जो कि उन लोगों को प्राप्त है जो कि रोहतांक पास के क्षेत्र में अथवा वहां तक कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो यह इस प्रकार का भेद भाव क्यों किया जा रहा है तथा क्या स्वंय सीमा सड़क संस्थान द्वारा कोई प्रतिवेदन भेजा गया है तथा क्या ऐसा है कि वित्त मंत्रालय के लोग उन्हें यह विशेष भत्ता नहीं देना चाहते ?

श्री मं० रं० कृष्ण : प्रतिरक्षा मंत्रालय में अभी तक कोई प्रतिवेदन नहीं आया है। जिन व्यक्तियों को 90 रु० तक का संचित वेतन मिलता है उन्हें दूसरी सुविधायें जैसे मुफ्त निवास आश्रय... ...।

श्री रंगा : सीमा क्षेत्रों में कोई मकान नहीं हैं।

श्री मं० रं० कृष्ण : मुफ्त धन भेजने की सुविधायें, अवकाश यात्रा रियायतें। उन लोगों को ये सब सुविधायें दी जाती हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : आप मुफ्त जूते की जोड़ी के बारे में भी क्यों नहीं कहते। श्रीमान, मैंने उन्हें रोहतांग पास में कार्य करते देखा है। कमान अधिकारी ने इसकी सिफारिश की है। इन्हें कार्यवाही करनी चाहिये थी। उन लोगों को केवल 90 रुपये का संचित वेतन मिलता है। यह राशि उससे भी कम है जितनी कि एक सार्वजनिक कार्य विभाग का मजदूर लेता है। वे लोग 14,000 फिट की ऊंचाई पर तथा 15 फिट बर्फ में काम करते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन आधार बनाने वाले लोगों को, जिनका भाग्य

केवल 90 रु० से बंध गया है, कम से कम 110 या 120 रुपये जो कि केन्द्र सरकार के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्राप्त है, देने का विचार रखती है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : उन लोगों को क्या सुविधायें तथा क्या धन राशि दी जानी चाहिये उस पर सरकार विचार करेगी। यदि आप कहते है कि यह वहां के स्टेशन कमांडरों की सिफारिश जो कि वास्तव में वहां के कार्य की कमान कर रहे हैं, के अनुसार तय किया जाता है तो प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये यह सम्भव होगा कि वह उनकी सहायता के लिये यथोचित उपाय करे।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं एक स्पष्टीकरण पा सकता हूं। केन्द्र सरकार के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को महंगाई भत्ता आदि सब मिलाकर कम से कम 120 रु० मिलते हैं। पर यहां लोगों को केवल 90 रुपये मिलते हैं। सरकार कहती है कि वह उन्हें आश्रय देती है। वहां पर तो केवल तम्बू हैं तथा वे वहां अपने परिवार नहीं ला सकते। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनको कम से कम एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितना वेतन प्राप्त होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं कि यदि इस बारे में वहां के अधिकारियों ने सिफारिश की है तो प्रतिरक्षा मंत्रालय उस पर अत्यधिक सहानुभूति से विचार करेगा।

Shri Balraj Madhok. He will be full of praise for the people of Border Roads Organisation who has seen them working in Laddakh or Rohtang Pass. They are doing a very difficult job and are constructing roads at rather in accessible places. There work is also very good. And I too have been given a complain not only by the workers but the authorities also, that the workers of the Border Roads Organisation are not being given those facilities which are being given to the army personnel there ; or leaving aside the latter; not equal to those being given to Kashmir Govt.'s P. W. D personnel ; they too are getting more. There the winds are very fast and the shelter provided to them are thus, of no use. A better arrangement for shelters is very essential. You will have to provide them with such working conditions as are commensurate with the nature of their work But I want to know whether the personnel of Border Roads Organisation will provided with the same pay, emoluments and allowances, as are being given to the Kashmir Govt. servants or others who are doing the same job?

श्री मं० रं० कृष्ण : जो लोग स्थानीय रूप से भर्ती किये जाते हैं उनके मासिक वेतन, भत्ता आदि के बारे में निर्णय तथा निश्चय उप-आयुक्त द्वारा होता है। कुछ मामलों में यह सच है कि उनके वेतन तथा कुल राशि उन लोगों से अधिक है जो कि संचित वेतन की दर पर वेतन पाते हैं। क्योंकि सीमा सड़क संस्थान एक अत्यन्त महत्व पूर्ण एकक है तथा वे बड़ा ही लाभदायक कार्य कर रहे हैं, तो प्रतिरक्षा मंत्रालय निश्चय ही यह विचार करेगा कि

(व्यवधान)

Shri Balraj Madhok : He says that those who reside with their families there are given incentive. You will find that most of them are ex-soldiers. They are very far off from the homes and cut off from their families,

So, they should get better facilities. But you are giving more to the locally recruited people. I want you to give a definite commitment in this regard.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : क्या मैं स्पष्ट कर सकता हूं ? वर्तमान स्थिति यह है कि रोहतांग पास से परे 90 रु० मासिक का संचित वेतन पाने वाले कर्मचारियों सहित सब को ये सुविधायें उपलब्ध हैं :-

(1) मुफ्त निवास-स्थान, जिसमें पानी बिजली भी है

श्री रंगा : जहां निवास-स्थान नहीं हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उस क्षेत्र में गया हूँ । वहां झोंपडे पड़े हैं । बिजली की सुविधा है. (व्यवधान)

श्री बलराज मधोक : सब के लिए नहीं, केवल कुछ लोगों के लिये ।

श्री स्वर्णसिंह : (2) मुफ्त पका खाना***

श्री स० मो० बनर्जी : बिना मांस । मांस की अनुमति नहीं है ।

श्री स्वर्णसिंह : मैं नहीं जानता कि मांस की अनुमति क्यों नही है ।

(3) मुफ्त चिकित्सा (4) मुफ्त कपड़ा

(5) मुफ्त रुपये भेजने के प्रबन्ध, और

(6) अवकाश यात्रा रियायत ।

इसके अतिरिक्त हम इन मामलों पर विचार करेंगे और यदि कोई भेद भाव होगा उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

Shri Ram Charan : The hon. Minister has stated that they get Rs. 90 per month. You will see that when an officer is sent to some other department he get deputation allowance, special pay and other facilities. I want to know why they are also not paid pay and allowances like other Govt. servants and also a special allowance in view of the nature of their work ?

श्री सं० रं कृष्ण : इसको भी ध्यान में रखा जायेगा ।

वृत्तचित्रों का निर्माण

*367 **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित 45 वृत्तचित्रों को, जिनके जनवरी से मार्च, 1968 तक की अवधि में आकाशवाणी के फिल्म डिवीजन द्वारा तैयार किये जाने की आशा थी, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर लिया गया है;

(ख) उनमें से कितने वृत्तचित्र परिवार नियोजन वृत्तचित्रों के सम्बन्ध में टेलीविजन पर दिखाने के लिये बनाये गये हैं और कितने शिक्षाप्रद वृत्तचित्र बनाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार "अधिक उपज देने वाली धान की किस्मों" नामक वृत्तचित्र की भांति "अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों" सम्बन्धी वृत्तचित्र तैयार करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी): (क) 31 वृत्तचित्र पूरी तरह से तैयार किये गये थे ।

(ख) कोई भी चित्र टेलीविजन में दिखाने वाली चित्र नहीं था, एक चित्र परिवार नियोजन के बारे में था तथा चार शिक्षाप्रद चित्र थे ।

(ग) "अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों" नामक वृत्तचित्र की भांति "अधिक उपज देने वाला गेहूं उगाना" नामक चित्र पहले ही तैयार किया जा चुका है ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : You have done a good thing by producing a film based on paddy high yielding varieties. In this connection may I know whether a proposal to produce a documentary film based on high yielding wheat varieties is also under consideration and if so, the time by which a decision is likely to be taken in is regard ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस विषय पर एक वृत्तचित्र पहले तैयार किया जा चुका है ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : He has already said that 31 documentaries have already been completed. But Gandhi centenury is going to be celebrated in 1969. May I, therefore, know whether any programme has been chalked out for that also i e. that so many documentaries will be produced for that purpose ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : हमने गांधी शताब्दी समारोह के लिये भी कार्यक्रम बनाया हुआ है । इस काम के लिये इस वर्ष अनेक वृत्तचित्र बनाये जा रहे हैं परन्तु मेरे पास उनके विस्तृत आंकड़े इस समय नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri : A complaint regarding the Bulletins broadcast from A.I.R. has been lodged many a times in this House that they generally contain news regarding the Ministers. In this connection may I know whether the documentaries are not produced in order to do propaganda work connected with the Ministers ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी नहीं ।

श्री अनन्तराव पाटिल : मैंने अधिक उपज वाले गेहूँ की किस्मों सम्बन्धी वृत्तचित्र देखा है । यह बहुत अच्छा था । परन्तु इसकी उचित रूप से व्यवस्था नहीं की गई थी । अतः क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूं कि इस सदन में तथा दूसरे सदन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें फोटोग्राफी अच्छी आती है तथा जो अच्छे लेखक और अच्छे फिल्म निर्माता हैं तथा यह जान सकता हूं कि क्या सरकार उनकी प्रतिभा का लाभ उठाना चाहेगी ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : फिल्म डिवीजन इस काम को अच्छी तरह से कर सकता है ।

श्री एस कंडप्पन : वृत्तचित्र प्राय: हिन्दी में तैयार किये जाते हैं तथा बाद में दूसरी भाषाओं में बनाये जाते हैं । प्राय: यह देखा गया है कि देहाती चित्रों में देहातों के वातावरण तथा देहाती जीवन आदि का चित्रण इस प्रकार किया जाता है जिससे देश के मेरे भागों के लोग अपरिचित होते है । अतः हमने इस सभा में इस बारे में कई बार इस बात का उल्लेख भी किया है । उदाहरणार्थ जबकि हमारी तरफ किसी का सिर ढका हो तो समझा जाता है कि किसी की मृत्यु हो गई है, परन्तु वृत्तचित्रों में किसानों और उनकी धर्म पत्नियों को सिर ढके दिखाया जाता है । इसलिये फिल्म डिवीजन भी कुछ वर्ष पहले यह विचार कर रहा था कि सभी क्षेत्रों में भारत के देहाती भाग का पूर्ण रूप से जानने के लिये वृत्तिचित्रों को इस प्रकार बनाया जाना चाहिये कि उनमें, भारत के देहाती क्षेत्र में होने वाली सभी घटनायें तथा सामुदायिक परियोजनाओं आदि का प्रचार आदि दिखाया जाय ताकि लोग इस बात की प्रशंसा कर सके कि वृत्तचित्रों में जो दिखाया गया है वह उन क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं के अनुरुप है । मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस बारे में क्या प्रयास किया है तथा क्या और प्रयास करने का उनका विचार है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : फिल्म डिवीजन सदा इस बात को ध्यान में रखता है तथा इस सुझाव को कार्य रूप दिया जा सकता है ।

श्री एस० कंडप्पन : कुछ वर्ष पहले एक यह सुझाव भी दिया गया था कि फिल्म डिवीजन का एक डिवीजन दक्षिण में होना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस सुझाव को कार्य रूप दिया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाही): जहां तक एक और डिवीजन बनाने का सम्बन्ध है वह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है । दिल्ली में एक डिवीजन बनाने का हमारा विचार था परन्तु धन न होने के कारण हम उसे नहीं बना सके हैं ।

Shri K. N. Tiwary : New seeds are being invented. May I therefore know whether Government is going to take any action to propagate the same in the rurel areas so that people came to khow of them ?

श्री के० के० शाह : वृत्तचित्रों को चलचित्र प्रचार डिवीजन के माध्यम से दिखाया जाता हैं । हमारे पास चलती फिरती गाड़ियां है जिनसे वे दिखाये जाते हैं ।

श्री क० लकप्पा : जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री एस० कडप्पन ने कहा है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देहाती जीवन और कृषि कार्यक्रम दर्शाने के लिये कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं बनाया है ताकि देहाती लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जा सके और उन्हें कुछ शिक्षा और हिदायतें दी जा सकें । अतः क्या सरकार का विचार ऐसा कोई कार्यक्रम बनाने का है ।

श्री के० के० शाह : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय हर वर्ष कार्यक्रम बनाता है । उदाहरणार्थ ये चलचित्र बनाये गये हैं । अधिक उपज देने वाली धान की किस्में, अधिक उपज वाला गेहूं उगाना, संकर मक्का उगाना, संकर बाजरा उगाना तथा संकर ज्वार उगाना ।

श्री क० लकप्पा : फिल्में बनाकर उनको रख लेने का क्या लाभ है ? वे लोगों को दिखाई जानी चाहिये ।

श्री के० के शाह : जैसाकि मैंने पहले कहा है हमारे पास 157 चलती फिरती गाडियां हैं, जो देहातों में जा कर लोगों को वृत्तचित्र दिखाती है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Just as pictures are prepared for temples etc. and the details are given on them, in the same way picture depicting technical aspect of agriculture and giving details in regard to that have not been prepared so far. May I know whether such pictures will be prepared with the help of agricultural universities so that the agriculturists may come to know the new details in regard to that.

Shri K. K. Shah : The hon. Members will not say so in case they visit our auditorium and see the documentaries there. They should see documentaries produced on paddy. These documentaries depict the information benefiting the agriculturists.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

मक्का का हरियाणा से बाहर ले जाया जाना

अ. सू. प्र. 2. श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० बरूआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनाज के ले जाने के बारे में सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध का उल्लघंन करके व्यापारियों द्वारा बड़ी मात्रा में मक्का अवैध रूप से हरियाणा से देश के अन्य भागों में ले जायी गयी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ सरकारी अधिकारियों की, जिनमें राज्य के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री भी शामिल हैं, इस मामले में हाथ था;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने इस मामले की जांच की है और सरकार को प्रतिवेदन पेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन पंजीकृत मामले उनके विचाराधीन हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री न० कु० सांघी : क्या केन्द्रीय सरकार अन्य राज्य सरकारों, मंत्रियों, और मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध भी वैसे ऐसी ही कार्यवाही करेगी जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया था जैसाकि उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च-अप्रैल में चने के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाकर 2 करोड़ 25 लाख रुपये कमा लिये थे और बाद में बहुत आग्रह किये जाने पर प्रतिबन्ध हटा दिया था। क्या सरकार अन्य राज्य सरकारों, मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के विरूद्ध केन्द्रीय जांच विभाग के माध्यम से जांच कराने के लिये वैसी ही कार्यवाही करेगी।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न इस मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय जांच विभाग को वह जांच करने का काम सौंप दिया गया है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या अन्य मामलों पर कोई कार्यवाही की जायेगी।

श्री न० कु० सांघी : क्या राज्य सरकार ने अनाज लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध हटाने के बारे में केन्द्र को कोई तार भेजा था तथा क्या मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई सलाह दी थी और यदि हां, तो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उन आदेशों को समाप्त करने में सरकार को कितना समय लगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस विशिष्ट मामले के सम्बन्ध में राज्य सरकार से हमारे पास तार आया था। तार 12 अक्टूबर, 1967 को दिया गया था तथा मंत्रालय में 13 अक्तूबर, 1967 को प्राप्त हुआ था तथा 14 और 15 तारीख को छुट्टी होने के कारण इसका उत्तर 16 अक्तूबर, 1967 को दिया गया। उस तार में यह लिखा हुआ था;

"हरियाणा से भारत के किसी अन्य देश भाग में बाजरा, ज्वार और मक्का लाने ले जाने पर लगे सभी प्रतिबन्धों को तुरन्त हटाने की अनुमति दिये जाने के लिये प्रार्थना की जाती है। उत्तरी अन्तर्राष्ट्रीय मक्का आदान-प्रदान नियंत्रण आदेश, 1967 में संशोधन किया जाये राज्य, के रक्षित भण्डार के लिये मोटे अनाज का समाहार करने का राज्य सरकार का विचार नहीं है।"

इसपर हमने यह उत्तर दिया :

"बालसुब्रह्मन्यम की ओर से-12 अक्तूबर के आपके तार के संदर्भ में हमें इस बात का खेद है कि हम ज्वार, बाजरा और मक्का को लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते।"

यह वास्तविक स्थिति है।

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether it is not a fact that the traders had moved their goods with the permission of Haryana Government. In that case how this position can be said to be illegal ? Whether it is also not a fact that the movement had taken place with the concurrence of Railway officers ? Whether an enquiry is being instituted against the Railway offices also ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक कानूनी स्थिति का सम्बन्ध है प्रत्येक बारे में जांच की जा रही है तथा न्यायिक जांच भी की जा सकती है···

अध्यक्ष महोदय : इसके इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह रेलवे अधिकारियों के सहयोग से किया गया था ? इस प्रश्न का उन्हें उत्तर देने दीजिये।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस मामले को चन्डीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को सौंपा गया था। न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि हरियाणा से पश्चिम बंगाल में अनाज का भेजा जाना गैर कानूनी था तथा इससे तत्सम्बन्धित अधिनियम का उल्लंघन होता है।

Shri Randhir Singh : Sir, this scandal of maize and foodgrains has a countryside importance and many a people are involved in it. Not only Shri Virendra Singh but thirty to thirty-two Ministers of the Coalition Government are in one way or the other involved in it. Big officers of Railways as well as of the Haryana Government have a hand in it. Permits valid or invalid to export maize have been issued to the traders. May I therefore know whether an enquiry against such Ministers and Officers will be instituted and prosecutions launched against them and whether the misappropriated goods will be auctioned and the amount thus collected given to the poor traders who had to suffer a lot on this account ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन मामलों पर विचार किया जा रहा है।

श्री रंगा : मैं इस मामले के बारे में मंत्रालय के साथ कुछ समय से पत्रव्यवहार कर रहा हूं क्योंकि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच गलतफहमी और कुप्रबन्ध से पीडित किसानों और व्यापारियों की ओर से हमारे पास अभ्यावेदन आये थे। तत्समय के मुख्य मन्त्री राव वीरेन्द्र सिंह द्वारा दिया गया ब्यान मेरे पास है। क्या यह सच नहीं है कि राव वीरेन्द्र सिंह ने बार-बार यह खुलेआम ब्यान दिया था कि मुख्य मन्त्री होने के नाते मैंने इस विशिष्ट प्रतिबन्ध को हटाया था तथा वहां के व्यापारियों को विभिन्न स्थानों में विशेषकर कलकत्ता में अनाज भेजने की अनुमति दी थी। क्या यह भी सच नहीं है कि भारत सरकार ने केन्द्रीय जांच विभाग को इस बात को सौंपना उचित समझा, जो मेरी दृष्टि से अनावश्यक है, कि राव वीरेन्द्र सिंह ने क्या किया है तथा वह इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिये उत्तरदायी है। वह वयैक्तिक स्पष्टीकरण की बात पर स्वयं खड़े होकर विधान सभा में कहने लग गये: —

> "कि राज्य सरकार को मोटा अनाज परमिट के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है तथा प्रतिबन्ध को हटाने के लिये दल के मंत्रिमण्डल का निर्णय ठीक था"

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसा किसानों, उत्पादकों एवं व्यापारियों के हित के लिये किया था क्योंकि वे इससे मुनाफा कमाना चाहते थे। ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय करने के लिये तथा उचित नीति बनाने के लिये तैयार न होने के क्या कारण है क्योंकि इस मामले को निपटा कर उन व्यापारियों को, जिन्होंने सद्भावना

में करोड़ों रुपयों का अनाज निर्यात किया था, न्यायालयों और अधिकारियों से होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति दी जा सकें !

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राव) : इसका कारण यह है कि मुख्य मन्त्री ने ऐसा ब्यान तो अवश्य दिया परन्तु ऐसा ब्यान देने का उनके पास कोई अधिकार नहीं था। यह प्रश्न प्रतिबन्ध को हटाने का नहीं है। यदि प्रतिबंध हटा दिया जाये तो कोई भी व्यापारी वहां से अनाज देश के किसी हिस्से में ले जा सकता है। स्थिति यह नहीं थी। हरियाणा के सभी व्यापारी ऐसा नहीं कर सकते थे। अनुमति केवल कुछ व्यापारियों को दी गई थी। ब्यान 11 तारीख को दिया गया था तथा ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारी अपने को तैयार किये हुए थे तथा सारा माल 12 तारीख को भेजा गया। अतः यह प्रश्न लोगों अथवा सभी व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का नहीं है। यह प्रश्न उन व्यापारियों के बारे में है जिनके साथ पक्षपात किया गया तथा जिन्हें वस्तु स्थिति का, मुख्य मन्त्री द्वारा ब्यान दिये जाने से पहले ही, पता लग गया था।

श्री रंगा : यही तो आपके परमिट लाइसेंस राज की खूबी है।

श्री जगजीवन राम : हरियाणा में दो दिन के अन्दर मूल्य बढ़ गये थे तथा भारत का खाद्य मन्त्री होने के नाते यह देखना मेरा कर्तव्य था कि हरियाणा में लोगों को अनाज खरीदने में कोई कठिनाई न हों। चूंकि मुख्य मन्त्री की कार्यवाही गैर-कानूनी थी इसलिये मुझे यह देखना था कि क्या कार्यवाही की जा सकती है। हमारी कार्यवाही उचित थी अथवा नहीं इसे न्यायालयों ने देख लिया है। व्यापारियों ने इस मामले को निम्न न्यायालय और अन्य न्यायालय में भेज दिया तथा उन्होंने यह निर्णय दिया है कि हरियाणा सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था तथा जो परमिट जारी किये गये थे वे अवैध थे।

तब निपटारे का प्रश्न आता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को नुक्सान हुआ हो परन्तु जब कभी ऐसी कार्यवाही की जाती है वह आवश्यक होती है।

आज स्थिति यह है कि सभी मामले न्यायालय में है तथा माल को जब्त कर लिया गया है, कुछ माल के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने रोक आदेश जारी किया है। जब्त किये गये माल को बेच दिया गया है और धन को न्यायालय में जमा करा दिया गया है। उन्होंने अपील की है और यदि न्यायालय आदेश दे दे कि उन्हें धन लौटाया जाना चाहिये तो उन्हें यह लौटा दिया जायेगा।

श्री चिन्तमणि पाणिग्रही : माननीय मन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि यह सौदा बिना वैध परमिटों के किया गया था तथा प्रतिबन्ध भी हटाया नहीं गया था। केन्द्रीय जांच विभाग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसमें उन रेलवे तथा अन्य अधिकारियों के नाम दिये गये हैं जिनका इस सौदे में हाथ था। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। जिनके बारे में यह साबित किया गया है कि उनका इस सौदे में हाथ था। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जांच कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा केन्द्रीय जांच विभाग ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : समाचारपत्रों में यह बताया गया है कि उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । हम जानना चाहते है कि क्या अभी जांच की जानी शेष है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने कहा है कि अभी जांच हो रही है ।

Shri Yajna Datt Sharma : Last time Government's congress Party had fought mid-term elections in Haryana making the question as the manifesto of election. In this connection may I know whether Government have received C.B.I. Report, as is given in the papers, and if not, whether the same would be placed on the Table of the House. When received, so that people may come to know the contents of the same ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं समझता हूं कि इस स्थिति में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । माननीय सदस्य इस प्रश्न को गृह कार्य मंत्रालय से पूछ सकते हैं ।

Shrimati Jayaben Shah : This whole humbug is on account of these zonal restrictions. May I know whether, keeping this thing in view that there was humbug crop last year too, the hon. Food Minister would issue orders to remove wheat zones as the whole corruption is going on this account ? There should not be zones restrictions in our country.

श्री सु० कु० शाण्डिया : माननीय मंत्री ने कानूनी स्थिति का बहुत बार उल्लेख किया था । मुझे शक है कि वह इसके नैतिक पहलू पर विचार करने को तैयार होंगे । हरियाणा के तत्समय के मुख्य मंत्री ने 10 अक्टूबर को घोषणा की थी जो 11 अक्टूबर को समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी तथा जिसे आकाशवाणी में भी प्रसारित किया गया था, चाहे उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था । फिर भी माननीय मंत्री कहते हैं कि सरकारी पत्र मिलने तक उनको प्रतिक्षा करनी पड़ी । जिसे उनके पास पहुंचने में छः दिन लग गये । इस अवधि के दौरान काफी गोलमाल होता रहा । रेलवे का भी इसमें हाथ था । रेलवे को इस बात की अच्छी तरह जानकारी थी कि माल को लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आता है तथा केन्द्रीय सरकार की सीधी और स्पष्ट हिदायतों के बिना माल को लाना ले जाना मना है । रेलवे भी तो केन्द्रीय सरकार का एक विभाग है । अतः क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या रेलवे ने भी कोई विभागीय जांच की है कि यह कैसे हुआ है तथा सरकार ने इस मामले में क्या किया है ? क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने रेलवे की भूल के बारे में जांच की है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक रेलवे की स्थिति का सम्बन्ध है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस बारे में जांच की जा रही है । जहां तक समाचारपत्रों में दिये गये बयानों आदि का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि समाचारों के आधार पर कार्यवाही करना भारत सरकार के लिये अपेक्षित है । सरकारी जानकारी प्राप्त होने पर ही हम कार्यवाही कर सकते है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरियाणा के व्यापारियों ने हरियाणा के किसनों से बहुत कम मूल्य पर अनाज खरीदा

था तथा प्रशासकों के समर्थन से एक गैर-कानूनी आदेश जारी करवाया था तथा ट्रक भर भर कर बाहर भेजे गये थे तथा केन्द्रीय अधिकारियों को छुट्टी वाले दिन तार के माध्यम से यह बताया गया था कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाये। केन्द्रीय प्रशासकों ने जो छुट्टी पर थे, अपने कानून सम्बन्धी और प्रशासनिक व्यक्तियों को छुट्टी पर जाने की अनुमति दे दी थी। इस बीच करोड़ों रुपयों का सौदा हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा इसकी जांच करवाई जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : वे अब यही कर रही है। अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना को लेते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Indian High Commission in Pakistan Question

***368. Shri Shiv Kumar Shastri :**
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the staff of Indian High Commission in Pakistan are experiencing considerable difficulty in discharging their functions;

(b) if so, whether any correspondence has been exchanged with the Pakistan Government in this regard; and

(c) if so, the reaction of the Pakistan Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c) On several occasions, Indian Missions in Pakistan have protested to the Government of Pakistan against incidents of harassment of Indian diplomats in violation of the Vienna Convention and of accepted international standards. These protests have not evoked suitable response from Pakistan. However, Government of India have not given up hope and are pursuing the matter with the authorities in Pakistan.

भूटान में भारत का विशेष अधिकारी

***369. श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान में भारत के विशेष अधिकारी के दर्जे को बढ़ाने के लिये सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री की हाल की वहां की यात्रा के समय इस विषय पर बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भूटान में भारत के विशेष अधिकारी का दर्जा बढ़ाने के लिये भूटान सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

नौसेना का आधुनिकीकरण

*370. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिये पंचवर्षीय प्रतिरक्षा योजना में कुल कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) इसमें से अब तक कितनी राशि व्यय हुई; और

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) रक्षा योजना 1964-69 में कोई विशिष्ट विनिधान आवृत नहीं था, बल्कि आवश्यकताओं का केवल एक व्यापक निर्धारण। 1968-69 में बजट शुदा राशि समेत योजना अवधि के दौरान नौसेना पर कुल खर्च की गई राशि 203.40 करोड़ रुपये हैं।

Release of Emergency Commissioned Officers

*371. **Shri Atal Bihari Vajpayee** :
Shri Sharda Nand :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of Emergency Commissioned Officers, who have so far been released;

(b) the number of those, among them, who are still out of employment;

(c) whether some of them have been recalled to military service; and

(d) if so, what is their number ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) 2,360 exculding Medical Officers. This number includes those whose services were terminated for disciplinary reasons or inefficiency or on other grounds or who were invalided out of service, upto 31st July, 1968. In addition, orders have been issued in the case of 694 Emergency Commissioned Officers for release after 1st August, 1968.

(b) 1061 released officers have so far been provided with alternative employment.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

आजाद हिन्द सरकार का रजत जयन्ती समारोह

*372. **श्री समर गुह :**
श्री श० न० माइत :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में बनाई गई आजाद हिन्द सरकार के स्थापना दिवस की रजत जयन्ती मनाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है तथा भूतपूर्व साम्राज्यवादी शासकों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिये, जो इस वर्ष 21 अक्टूबर को पड़ता है, क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभिवेदन में प्रार्थना की गई है :

(1) दिल्ली, माईरंग और कोहिमा में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा स्मारक सेवाओं के लिए;

(2) आई० एन० ए० वीरों को वीरता के मंडल और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए;

(3) आई० एन० ए० द्वारा स्वतंत्रता के संग्राम का एक सैनिक इतिहास तैयार करने के लिए एक कमेटी की स्थापना के लिए;

(4) भारतीय सैनिक अकादमी का नाम बदल कर नेताजी सैनिक अकादमी नामकरण के लिए;

(5) किसी एक सेना डिवीजन का नाम बदल कर 'आजाद हिन्द डिवीजन' रखने के लिए; और

(6) आई० एन० ए० द्वारा इस्तेमाल में लाए गए आयुधों और अन्य साजसामान के प्रदर्शन का प्रबन्ध करने के लिए।

मामला विचाराधीन है।

भूमि सुधार विधान

*373. **श्री लोबो प्रभु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि राज्यों में भूमि-सुधार विधान के अन्तर्गत सरकार द्वारा भूमि का स्वामित्व धारण किये जाने के कारण जमीनों के

उन मालिकों ने, जो कि स्थायी पट्टेदारी और अपने मुजारों से उपस्वामियों के नाते भी, उचित किराया लेने के पक्ष में हैं, न्यायालयों में मुकदमें दायर कर दिये हैं;

(ख) क्या योजना आयोग ने राज्यों को यह सलाह दी है कि वे उन मालिकों और मुजारों को जो उपस्वामित्व स्थापित करने के लिये सहमत हों, काश्तकारी कानूनों से बाहर रहने की अनुमति दें; और

(ग) क्या आयोग की राय में मुजारों के इस प्रकार के उपस्वामित्व अधिकारों से पट्टेदारी का मूल्य बढ़ जायेगा और ऋण भी अधिक सुरक्षित हो जायेंगे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यह सच है कि काश्तकारी सुधार उपायों के कार्यान्वयन से कुछ मुकदमेबाजी हुई है। मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से मुख्य भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नोवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चतुर्थ योजना सम्बन्धी दृष्टिकोण पत्र

*374. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री नायनार :
श्री उमानाथ :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चतुर्थ योजना सम्बन्धी एक दृष्टिकोण पत्र प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश की चतुर्थ योजना के लिये 5,000 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी; और

(ग) विदेशी सहायता की राशि का सरकार किस प्रकार विनियोजन करने का विचार कर रही है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक- कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय जो कार्यकारी दल अर्थ-व्यवस्था के साधनों और आवश्यकताओं का विश्लेषण कर रहे हैं उनके प्रतिवेदन योजना आयोग को प्राप्त होने पर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास कार्यक्रमों को वित्त उपलब्ध करने के लिए ऋण के रूप में विदेशी सहायता की राशि का निश्चय किया जायेगा और उसे योजना प्रारुप में अंकित कर दिया जायेगा।

विभिन्न राज्यों में समान आधार पर उद्योगों की स्थापना

*375. श्री हेम राज : क्या प्रधान मन्त्री 20 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 733 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा प्रदेशों में उद्योगों के विविधकरण तथा समान आधार पर उद्योगों की स्थापना की योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : जैसा कि पिछले प्रश्न के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है कि तकनीकी आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देश के सभी भागों में उद्योगों को समान रूप से वितरित करना सम्भव नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना अभी तैयार हो रही है और उद्योगों के क्षेत्रीय छितराव को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाए जाने वाले अतिरिक्त उपाय विचाराधीन है।

विद्रोही नागाओं के शिविर

*376. श्री रा० कु० सिंह : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने अपने शिविर गांवों से हटा कर जंगलों और पहाड़ियों में लगा दिये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी यह कार्यवाही गरिल्ला युद्ध पुनः आरम्भ करने की उनकी योजना का एक भाग है, जिसके लिये चीनियों ने उन्हें प्रशिक्षण दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिये पूरी तैयारी कर ली है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 7 जून को जोतसोमा में की गई कार्रवाई, तथा कार्रवाई बन्द रखने के समझौते को सुरक्षा सेना द्वारा कड़ाई के साथ लागू करने की वजह से, यह संभव है कि छिपे नागा अपने कुछ शिविरों को जंगलों और पहाड़ियों में ले गये हों।

(ग) जी हां।

अनुसंधान अधिकारियों तथा पुस्तकालय कर्मचारियों के बारे में भारतीय वैदेशिक सेवा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

*377. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान अधिकारियों तथा पुस्तकालय के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिये भारतीय वैदेशिक सेवा सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 108 में की गई सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख) इस सिफारिश पर विचार हो रहा है। संबद्ध मन्त्रालयों से और दूसरे सूत्रों से आवश्यक आंकड़े इकट्ठे कर लिये गये हैं और उनपर विचार किया जा रहा है। इस समय वेतन मानों के संशोधन पर आम प्रतिबन्ध लगा हुआ है। बहरहाल, सरकार विदेश मन्त्रालय अनुसंधान अधिकारियों के और पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतन-मानों को दूसरे मन्त्रालयों के इसी तरह के कर्मचारियों के वेतन-मानों के अनुरूप युक्ति संगत बनाने की सम्भावना पर विचार कर रही है। वह कुछ संबद्ध मामलों की जांच कर रहे हैं, जैसे संवर्ग रचना, पदोन्नति की सम्भावनाएं आदि।

1968-69 में सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाएं

*378. **श्री अंबुचेजियान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने 1968-69 के दौरान सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं के लिये कुल कितनी राशि उपलब्ध की है; और

(ख) योजना आयोग ने इस वर्ष के दौरान किन किन परियोजनाओं को आरम्भ करने की अनुमति दी है ?

प्रधान मन्त्री अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) औद्योगिक और खनिज क्षेत्र के लिए सरकारी क्षेत्र में 1968-69 के दौरान 539 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की कल्पना की गई है।

(ख) वार्षिक योजना 1968-69 में शामिल परियोजनाओं की ब्यौरेवार सूची, लोक सभा को प्रस्तुत किये गये वार्षिक योजना प्रतिवेदन में दी गई है।

कीनिया में ब्रिटिश पारपत्रों वाले भारतीय लोगों के बारे में ब्रिटेन के साथ करार

*379. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री ओमप्रकाश त्यागी :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कीनिया में इन भारतीय लोगों के बारे में, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं और जो भारत आने के इच्छुक हैं, ब्रिटिश सरकार के साथ कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अन्य अफ्रीकी देशों में भी भारतीयों को यही रियायतें दी जायेंगी ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप विदेश मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। उस प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है जिसमें ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर किये गये उन उपायों के बारे में जानकारी दी गई है जिनका संबंध यू० के० तथा उपनिवेशों के उन भारत मूलक नागरिकों से है जो कीनिया में रह रहे हैं।

(ग) अन्य अफ्रीकी देशों में स्थिति को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

प्रेस विज्ञप्ति

ब्रिटिश पासपोर्टधारी उन कीनिया वासी भारतमूलक व्यक्तियों के सम्बन्ध में, अब ब्रिटिश और भारत सरकारों के बीच समझौता हो गया है जिनको कीनिया छोड़ने के लिये विवश किया गया है और जो भारत आना चाहते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को निवास के लिए, अथवा उनके व्यापार एवं व्यवसाय के लिए, परमिट देने से इनकार कर दिया गया हो, अथवा उनके व्यापार करने के अधिकार पर पाबन्दी लगा देने से उनकी आजीविका में कटौती हो गई हो, तो ब्रिटिश हाई कमीशन उनके पासपोर्टों में एक उपयुक्त पृष्ठांकन भर देगा जिससे उन पासपोर्टधारियों को यू० के० में प्रवेश करने का अधिकार मिल जायगा। भारत सरकार का यह विचार है कि कीनिया में उचित भारतीय प्राधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों को बशर्ते कि उनको प्रवेश करने के लिये अन्यथा अयोग्य न ठहराया गया हो, अंततः भारत में बस जाने की संभावना की दृष्टि से भारत में प्रवेश करने के लिये वीजा प्रदान किए जाएं। नैरोबी-स्थित ब्रिटिश और भारतीय हाई कमीशन में आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाईयां शुरू की जा रही हैं।

गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों को प्रतिरक्षा सामग्री के क्रयादेश

*380. **डा० रानेन सेन** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों को प्रतिरक्षा की किन किन वस्तुओं का तथा कितने मूल्य की वस्तुओं का अब तक क्रयादेश दिया गया है ;

(ख) क्या वस्तुओं की किस्म तथा उन्हें समय पर सप्लाई करने के बारे में गैर सरकारी कारखानों द्वारा संतोषजनक ढंग से काम किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों को क्रयादेश देना बन्द करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) रक्षा सप्लाई विभाग द्वारा, 19.47 करोड़ रुपये की लागत के, 4650 मदों के लिये आर्डर निजी क्षेत्र को भेज दिए गए हैं। यह मदें विभिन्न वर्गों में आती हैं, जैसे कि संघटक और गाड़ियों के लिए स्टोर तथा आयुधों, बंधूती और इलेक्ट्रानिकी, मशीन, इंजीनियरी तथा सामान्य स्टोर।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

18–Nations Disarmament Conference Question

*381. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 18-Nations Disarmament Conference met in Geneva on the 16th July, 1968;

(b) whether it is also a fact that the representative of India moved a motion in which U. S. S. R. and U. S. A. were requested to associate China also in the resolution on Nuclear Non-proliferation;

(c) if so, the results thereof; and

(d) the reaction of these countries in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

जंजीबार सरकार द्वारा भारतीय सम्पत्ति का जब्त किया जाना

***382. श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जंजीबार सरकार ने 17 मार्च, 1964 को राष्ट्रपति की अज्ञाप्ति के द्वारा भारतीय लोगों और संस्थाओं की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति बिना मुआवजा दिये जब्त कर ली है और उसका दुर्विनियोग किया है ;

(ख) इस प्रकार से भारतीयों की अब तक जब्त की गई चल और अचल सम्पत्ति का स्वरूप, ब्यौरा और मूल्य क्या है और मालिकों के नाम क्या है ;

(ग) जब्त सम्पत्ति के लिये मुआवजा दिलाने के लिये और भविष्य में सम्पत्ति के जब्त किये जाने को रोकने के लिये सरकार ने सामान्य विरोध पत्र भेजने के अतिरिक्त क्या अन्य प्रभावी उपाय किये हैं; और

(घ) भारत में जंजीबार के कितने नागरिक रहते हैं और यदि भारत में उनकी कोई सम्पत्ति है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जंजीबार की सरकार ने 17 मार्च, 1964 को एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया था जिसमें इस बात की व्यवस्था है कि ऐसी अचल संपत्ति को जब्त किया जा सकता है जिसके बारे में जंजीबार का राष्ट्रपति यह समझे कि इस प्रकार का अधिग्रहण राष्ट्रीय हित में है, और इस प्रकार की अचल सम्पत्ति बिना मुआवजा दिए ले लेने से उसके मालिक को अनुचित रूप से कठिनाई नहीं होगी। यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जिसकी जंजीबार में संपत्ति है।

(ख) इस आदेश के अन्तर्गत, जंजीबार की सरकार ने एशियाइयों, अरबों तथा अन्य लोगों की अचल सम्पत्ति अधिग्रहीत कर ली है। तंजानियां में अपने हाई कमिश्नर से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार मई, 1968 तक 27 मकान, पत्थर तोड़ने की एक मिल और समुद्र तटवर्ती सभी कुटीर, जो सभी एशियाइयों के थे, जब्त किए जा चुके थे।

(ग) भारत सरकार जंजीबार सरकार के किसी आंतरिक मामले में दखल नहीं दे सकती।

(घ) तंजानिया के एक अंग के नाते जंजीवार एक राष्ट्रमंडलीय देश है और इसलिए इसके नागरिक पंजीकरण की औपचारिकताओं से मुक्त है। भारत में उनकी सम्पत्ति के बारे में सूचना सुलभ नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका तथा पुर्तगाली प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाना

*383. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिण अफ्रीका तथा पुर्तगाल के साथ व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के शिष्टमण्डल को किन परिस्थितियों में सम्मिलित किया गया था ?

गैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप विदेश मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महा सभा और सुरक्षा परिषद् ने कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं जिनमें सदस्य राज्यों से यह कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका तथा पुर्तगाल पर इस उद्देश्य से दबाव डालने के लिए कि वे अपनी निंदनीय नीतियों को छोड़ दें, वे अन्य कार्रवाइयों के साथ साथ उनके साथ व्यापार को भी निरुत्साहित करें।

(ख) महा सभा प्रस्ताव 1995 (XIX) की शर्तों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को, जिनमें दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल भी शामिल हैं, उकटाड में भाग लेने का अधिकार था। राष्ट्र संघ के साथ अपने समझौते के अधीन, निमंत्रक देश होने के कारण भारत का यह कर्तव्य था कि वह दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधियों को वीजा जारी करे। उसे यह अधिकार नहीं था कि वह सम्मेलन से उनका बहिष्कार कर सके। पुर्तगाल ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया।

गैर सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन

*384. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री ने उन्हें यह बताया था कि प्रतिरक्षा उत्पादन की ओर अधिक मदों का क्यादेश गैर सरकारी कारखानों को दिया जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मन्त्री महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार विकास व्यय को वहन करेगी तथा उत्पादन क्षमता का निरन्तर पूरा प्रयोग किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन सम्बन्धी नीति में हाल में कोई परिवर्तन किया गया है ; और

(घ) उत्पादन के लिये गैर सरकारी क्षेत्र को और कौन कौन सी मदें देने का विचार है तथा इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) मूल नीति जैसे कि वह औद्योगिक नीति संकल्प में दी गई है, यह है कि आयुध और गोली बारूद तथा रक्षा साजसामान की सम्बन्धित मदों का सरकारी उपकरणों में निर्माण किया जाए। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तदपि रक्षा आवश्यकताओं के लिए यथा संभव अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये, और अब तक आयात की गई मदों के देशीय निर्माण का शीघ्रगति से प्रबन्ध करने के लिये असैनिक क्षेत्र की क्षमता का प्रयोग करने के लिए बढ़े-चढ़े प्रयास करने होंगे। इस सम्बन्ध में निजी उद्योगों के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया था कि उन्हें रक्षा प्रयत्न में अधिक भाग लेना चाहिये, और कि उन्हें तकनीकी सहायता विकासात्मक लागतों में सहायता और यथासंभव निरन्तर आर्डर इत्यादि सुविधाएं दी जाएंगी।

Indo-Pak Talks

*385 **Shri Raghuvir Sing Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have made any fresh proposal to Pakistan to hold talks to resolve various problems; and

(b) if so, the reaction of Pakistan Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) The Government of India continue to make efforts to persuade Pakistan to agree to discussions for the normalisation of relations between the two countries.

(b) The response of the Government of Pakistan has hither to been negative or equvocal.

Payments to Artist Employees of Directorate of Audio Visual Publicity.

*386. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government pay sufficient amount to the Artist employees of the Directorate of Audio Visual Publicity towards the end of the year apart from their salaries; and

(b) if so, the name of the art or art piece in respect of which each Artist employee was paid this amount during the last three years, the exent thereof separately and the head under which such payment was made ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a)and(b) No. Sir. It may, however, be mentioned that recently Government had selected and purchased on an ad hoc basis 52 pieces of works of art from 32 Artists, all of whom usually sell their works in Art Exhibition galleries and many of whom have won national prizes, including 23 employed in the Directorate of Advertising and Visual Publicity, for being utilised for reproduction in Government publications, calendars, diaries, posters, folders, besides display in waiting rooms and other places to which the public has access. A statement giving the information sought in part (b) in respect of the art pieces of Artists of D.A.V.P. acquired by Government is laid on the Table of the House. These works of art were undertaken by them outside office hours at their own expense. [Placed in Library. See No. L. T. 1651/68]

श्रीमती स्वेतलाना का पत्र

*387. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीमती स्वेतलाना ने हाल में सरकार को एक पत्र लिखा है; जिसमें उसने भारत में स्थायी रूप से बसने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पत्र पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलिराम भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Chinese Threat

*388. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the press reports that China has prepared a Master Plan under which there will be an army of fifteen crores of soldiers who would advance at proper time in three directions and conquer the neighbouring countres;

(b) whether Government's attention has also been drawn to the press reports that the last target of the first attack of the said army would be Irac and the countries of South-East Asia including Australia and India; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c) Presumably, the Honable Member i sreferring to the contents of a book entitled 'Man, God, or Sphinx-A Political Spotlight of Mao Tse Tung', published in Colombo by the Tribune Press.

This is an assessment of an individual author and the question of Government's reactions does not arise.

सैगौन में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के पास भारतीय सैनिक टुकड़ियां

389. **श्री क० लकप्पा :**
श्री कु० मा० कौशिक :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैगौन में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के पास भेजी गई भारतीय सैनिक टुकड़ियां एक गन्दी बस्ती में बैरकों में रहती हैं जिन पर वियतकांग के राकेट के हमले का प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह बैरके जीर्णशीर्ण हालत में है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशों में तैनात भारतीय सैनिक टुकड़ियों के कल्याण की देखभाल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलिराम भगत) : (क) से (ग) 1954 से भारतीय सैनिक सैगोन में सेना शिविर के उन बैरकों में रह रहे है, जहां पर तीनों प्रतिनिधि मण्डलों (कनाड़ा–भारत–पोलेन्ड) के कार्यालय और अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन का सचिवालय स्थित हैं। इसको गंदा क्षेत्र (स्लम) नहीं कहा जा सकता है हालांकि इन बैरकों की दशा कुछ खराब हो गई है। इन कमीशनों में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों की समस्याओं तथा वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिये अधिकारियों का एक दल वियतनाम, कम्बोदिया और लाओस स्थित तीनों अन्तर्राष्ट्रीय कमीशनों के मुख्यालयों के दौरे पर जा रहा है।

स्वेज नहर के बन्द होने से हानि

390. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि स्वेज नहर के बन्द होने से भारत को कितनी वित्तीय हानि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस हानि को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जैसा कि 24 अप्रैल, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8350 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है, नुकसान का अनुमान लगाना तो संभव नहीं है लेकिन अधिक किराए के कारण, जो हमें पश्चिम से आयातित सामान पर देना पड़ता है, भारत को हर महीने कोई सवा दो करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आयात की गई सामग्री के किराए के चूंकि आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, इसलिए अपने आयात पर जो अतिरिक्त व्यय हुआ है उसे आंकना संभव नहीं है।

(ग) सरकार ने किराए की बढ़ी हुई दरों को 2–1/2 से 5 प्रतिशत तक कम कर लिया है।

अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण

3058. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्र सेना, प्रादेशिक सेना, असैनिक राइफल प्रशिक्षण स्कूल में तथा गृह रक्षियों के रूप में अलग अलग अब तक सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त और-अथवा आग्नेयास्त्रों के प्रयोग में पूरी तरह प्रशिक्षित नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने सब को अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर कभी विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एम० आर० कृष्ण) : (क) संख्याएं इस प्रकार हैं:—

(1) एन० सी० सी०	2696400
(2) प्रादेशिक सेना	40288

यह वर्तमान जनशक्ति है; उनके सम्बन्ध में आंकड़े कि जो प्रादेशिक सेना से रिटायर हो चुके हैं, त्यागपत्र दे चुके हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं और सभा के पटल पर रख दिये जायेंगे।

(3) असैनिक राईफल प्रशिक्षण स्कूल :

कोई असैनिक राइफल प्रशिक्षण स्कूल नहीं है, परन्तु 1966 अन्त तक 187000 असैनिकों को असैनिक राइफल प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया था। अधिक विस्तार इकट्ठे किए जाएंगे और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(4) होम गार्ड	291608

(ख) जनसाधारण को सैनिक प्रशिक्षण या ऐसे प्रशिक्षण के लिए कि जिसमें फायर आर्म्ज का प्रयोग अन्तग्रस्त हो उपरोक्त विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्राप्य हैं। किसी आपात स्थिति में यह रक्षा आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आधार प्राप्य करती है। देश की जनसंख्या की विशालता के लिए किसी भी प्रकार की अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की योजना प्रशिक्षण के लिए आवश्यक रक्षा सेविवर्ग की प्राप्यता और व्यय सम्बन्धी कठिनायों से पूर्ण है। संदेह है कि ऐसी किसी आयोजना की आवश्यकता भी है। इन स्थितियों में संक्रिय बुद्धि का तकाजा है कि उपरोक्त सीमित आधार पर अग्रसर हुआ जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Old Grant Land in Civil Areas of Cantonments

3059. **Dr. Govind Das** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the land called the "Old grant land" in the civil areas of Cantonments on which the people have built houses was given to them on the basis of some agreement and if. so, whether this agreement was in writing;

(b) whether Government have laid down some conditions under this agreement and if so, whether the persons owning the said land have been apprised of the said conditions and if so, whether Government propose to lay a copy thereof on the Table;

(c) whether one of the conditions is that while reconstructing a house, it is essential to secure the lease of the land;

(d) if so, the relevant Section of the Cantonment Act and the Rules under which the restrictions have been imposed; and

(e) the reasons for imposing these restrictions which are likely to prove deterimental in the development of the country ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) (a) and (b): The General Orders issued by the Governor General-in-Council laid down conditions under which the "old grants" were made. The conditions of the grant were required to be subscribed to by every

grantee as well as by those to whom his grant may subsequently be transferred. A copy of the General Order by the Governor-General-in-Council No. 179, dated 12th September 1836, is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library. See No. L T 1652/68]

(c) and (d) The conditions of the grant required to be concurred in by the grantee inter alia stipulate that the ground is the property of Government and that Government retains the power to resume the holding at any time on payment of the value of such buildings as have been authorised to be erected. Since reconstruction involves an increase in the resumption cost it is within the competence of Government to object to the same or agres thereto on appropriate conditions vide the first condition mentioned in para 6 of General Order No. 179 of 1836 read with Rule 43(i) of the Cantonment Land Administration Rules 1937 and Section 181(4) (b) of the Cantonments Act.

(e) These conditions were imposed at the time to safeguard the interests of Government in Cantonments which were intended premarily to cater to military requirements. The regulation of land rights by leaseholds will result in orderly development and will also ensure appropriate return to Cantonment Fund.

Production in Ordnance Factories in U. P.

3060. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the quantum of war material produced by Ordnance factories established in U. P. during the last five years, and the amount of foreign exchange saved thereby;

(b) whether their production was in accordance with the fixed targets; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence Production (Shri L. N. Mishra) : (a) It is not in the public interest to disclose the quantum of war material produced in individual Ordnance Factories, or sector wise.

(b) & (c) By and large, production in the Ordnance Factories is commensurate with the targets fixed.

Advertisemeats to for Madhya Pradesh Papers

3061. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are giving advertisements to the English and Hindi dailies of Madhya Pradesh;

(b) if so, the number of such dailies;

(c) the total amount spent by Government on the advertisements given to each newspaper in Madhya Pradesh during the last three years;

(d) the circulation of each of those newspapers during the above period; and

(e) the criteria for giving those advertisements ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) (a) Yes, Sir.

(b) English—2
Hindi – 20

(c) Information regarding the details of advertisements released to individual newspapers and the amounts paid to them is treated confidential between the Directorate of Advertising and Visual Publicity and the individual papers. It would not be good busi-

ness ethics to divulge this information unilaterally without the prior consent of the papers concerned.

(d) Details of circulation are given in the annual publication, "Press in India" Part II 1965, 1966 and 1967, compiled by the Registrar of Newspapers for India, copies of which have been laid on the Table of the House.

(e) The criteria kept in view while selecting newspapers and periodicals for advertisements are:

(i) effective circulation (normally, papers having paid circulation below 1000 are not used),

(ii) regularity in publication (a period of six months of uninterrupted publication is essential),

(iii) class of readership;

(iv) adherence to accepted standards of journalistic ethics;

(v) other factors such as production standards, the languages and areas intended to be covered within the available funds; and

(vi) advertisement rates which are considered suitable and acceptable for Government publicity requirements.

Advertisements are withheld from such newspapers and periodicals as indulge in virulent propaganda inciting communal passions or preach violence, or offend socially accepted conventions of public decency and morals, thus undermining the basic national interests.

Madhya Pradesh Regiment

3062. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government propose to from an armed forces regiment in Madhya Pradesh and to name it as "Madhya Pradesh Regiment";

(b) if so, when;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether Government propose to form such a regiment in any other State as well; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) (a) to (e) There is no proposal to form an armed forces regiment and name it after Madhya Pradesh or any other State. As regards the reasons therefor, the attention of the Hon. Member is invited to the answer given in this House to Unstarred Question No. 6836 on 10th April 1968.

भारी जल (हैवी वाटर) कारखाना

3063. श्री गा० शं० मिश्र : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा के भारी पानी (हैवी वाटर) कारखाने का मोटा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पहिले भारी पानी (हैवी वाटर) कारखाने को स्थापित करने के लिये प्रस्तावित स्थानों में से कोरबा भी एक था; और

(ग) यदि हां, तो भारी पानी (हैवी वाटर) कारखाने की स्थापना के लिये इस स्थान की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) प्रस्तावित भारी पानी संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 100 मीट्रिक टन होगी। यह तापक्रम के दोहरे आदान प्रदान तथा शून्य आसवन की संयुक्त विधियों पर आधारित होगा। राजस्थान परमाणु बिजलीघर में जो फालतू भाप पैदा होगी उससे इस बिजलीघर की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी की जायेंगी।

(ख) जी हां, भारी पानी संयंत्र लगाने के लिए जो स्थान विचाराधीन थे उनमें कोरवा भी एक था।

(ग) यदि यह संयंत्र राजस्थान परमाणु बिजलीघर के साथ लगाया जाये तो उसके निर्माण में कम समय लगेगा, संयंत्र पर कम खर्च आयेगा तथा वहां उत्पादित भारी पानी सस्ता पड़ेगा।

आकाशवाणी से कलाकारों द्वारा गीतों का प्रसारण

3064. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलाकारों द्वारा स्वयं गीतों के स्थान पर केवल रिकार्ड किये गये गीतों के प्रसारण को बढ़ावा देने की सरकार की नीति है

(ख) क्या यह सच है कि इस नीति के कारण देश में विभिन्न कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलता है; और

(ग) आकाशवाणी के नई दिल्ली, विजयवाड़ा तथा हैदराबाद केन्द्रों से प्रतिदिन औसतन कितने कार्यक्रम रिकार्ड किये हुए होते हैं तथा कितने स्वयं कलाकारों द्वारा प्रसारित किये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली, विजयवाड़ा तथा हैदराबाद केन्द्रों में प्रतिदिन औसतन रिकार्ड किये गये संगीत तथा केजुअल आर्टिस्टों के संगीत कार्यक्रम का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

	ग्रामोफोन रिकार्ड		आर्टिस्टों का कार्यक्रम	
	घण्टे	मिनट	घण्टे	मिनट
दिल्ली	5.	23	11.	02
*विजयवाड़ा	0.	55	2.	00
हैदराबाद	1.	54	5.	01

*यह आंकड़े केवल विजयवाड़ा केन्द्र के बारे में हैं। यह केन्द्र हैदराबाद से जो संगीत कार्यक्रम रिले करता है वह इसमें शामिल नहीं किया गया है।

संस्कृत श्लोकों का प्रसारण

3065. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत के श्लोकों के स्थान पर धार्मिक श्लोकों का प्रसारण सम्बन्धित प्रादेशिक भाषाओं में कराने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्रों से भक्ति गीत नियमित रूप से प्रसारित होते हैं। धार्मिक संगीत के कार्यक्रम में संस्कृत के श्लोक भी होते हैं। संस्कृत श्लोकों के स्थान पर प्रादेशिक भाषा में भजन प्रसारित करने का सुझाव जालन्धर केन्द्र के विचाराधीन है।

Transmitters in Raipur and Jabalpur

3066. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether the transmitters installed at Raipur and Jabalpur Radio Stations (Madhya Pradesh) are low-powered;

(b) whether Government propose to instal high-powered transmitters there;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The coverage in the State of Madhya Pradesh is proposed to be further extended by installing more medium wave transmitters rather than by increasing the power of the transmitters at Raipur and Jabalpur.

पाकिस्तान में मुजाहिद दल

3067. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान पुनः मुजाहिद दल बना रहा है जो पाकिस्तान की दूसरी प्रभावी रक्षा पंक्ति के रूप में काम करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान इन मुजाहिदों को 1965 के ढ़गों की तरह के साम्प्रदायिक दंगे करने के लिये काश्मीर भेज रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) मुजाहिद सेना के नाम की पाकिस्तान की पैरा मिलिटरी सेना कुछ समय से अस्तित्व में है। ऐसे इंगित पाए जाते हैं

कि इस सेना के प्रशिक्षण में सुधार किया जा रहा है। पाकिस्तानी एंजेट काश्मीर में नोटिस में आए हैं। जम्मू तथा काश्मीर में गड़बड़ करने के पाकिस्तानी इरादों को असफल बनाने, और अपने देश की सुरक्षा की हिफाज़त के लिए सरकार का प्रयास रहा है, कि जिस में जम्मू तथा काश्मीर शामिल है।

Resources of U. P. For Fourth Plan

3068. **Shri Molahu Prasad** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the amount to be collected by the Uttar Pradesh Government during the Fourth Five Year Plan from their own resources;

(b) the amount to be provided by the Centre; and

(c) the amount to be spent on each item, item-wise ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) (a) to (c) These have not yet been determined.

पनडुब्बी निर्माण कारखाना

3069. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962–63 में मद्रास में पोन्नेरी के निकट सरकारी क्षेत्र में एक पनडुब्बी निर्माण कारखाना, स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके स्थान के बारे में मंत्रालय के अधिकारियों, राज्य सरकार तथा रेलवे मंत्रालय के बीच कुछ आरम्भिक बातचीत हुई थी; और

(ग) इस प्रस्ताव को समाप्त कर देने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) जी नहीं। तदपि, मद्रास के निकट एन्नूर में मेरीन डीज़ल इंजन के लिए एक उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था। यूनिट को रांची में स्थित करने का अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा पश्चिमी जर्मनी के सर्वश्री एम० ए० एन० के तकनीकी अफसरों के एक दल की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् किया गया था, कि जो सहयोगी हैं। साथ ही केपिटल खर्च को कम करने के लिए सरकार ने फैसला किया कि छोटे संघटकों के निर्माण संयोजक और इंजनों के परीक्षण के यूनिक के कृत्य को सीमित रखा जाए।

ऋषिकेश-बद्रीनाथ सड़क

3070. **श्री यशपाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन द्वारा ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक और उसके आसपास बनाई गई सड़कें इस वर्ष कुछ स्थानों पर भूमि के धंस जाने के कारण बेकार हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस वर्ष में कुछ अवसरों पर भूसखलनों के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ पर सीधे यातायात में रुकावट पैदा हो गई थी। यात्रा के दिनों में तीन बार सड़क 24 घण्टों से अधिक रुक गई थी।

(ख) सड़क हिमालीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, जो भूशास्त्र के अनुसार अभी तरूण और अस्थाणु है। कई क्षेत्रों में भूपरत शैल की तहों से युक्त है। वर्षा के दौरान वह पानी के तेज बहाव के कारण नीचे खिसकने लगती है। अधिकतम हिमालीय प्रदेशों में वर्षा और बर्फबारी के कारण अकसर भूस्खलन और भूचलन होते रहते हैं। जभी ऐसा होता है स्खलनों/चलनों को साफ करने के लिए तुरन्त कार्य किया जाता है तथा सड़क को यथा शीघ्र यातायात के योग्य बनाने के लिए भी।

मन्त्री की बद्रीनाथ की यात्रा

3071. श्री वासुदेवन नायर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार के लिये किये जाने वाले प्रबन्धों का शीघ्र सर्वेक्षण करने के लिये बद्रीनाथ सहित सीमान्त क्षेत्रों में गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके आठ कारों के काफले के साथ आकाशवाणी के संगीत तथा नाटक विभाग का एक दस्ता ले जाने वाली एक गाड़ी भी थी;

(ग) क्या इस गाड़ी की दुर्घटना हो गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। जिस बदकिस्मत गाड़ी में संगीत और नाटक प्रभाग का ड्रामा ट्रूप जा रहा था, वह मेरे अमल के साथ नहीं थ।।

(ग) तथा (घ) ऋषिकेश से 18 मील जाने के बाद दुर्भाग्य पूर्ण गाड़ी सड़क से फिसल गई, सड़क के किनारे बनी नीची दीवार को पार करती हुई नीचे गहरी कन्दरा की ओर ढलान के साथ साथ 50 फुट तक वेग से गई, एक पेड के साथ टकराई और रुक गई। ड्राइवर के अनुसार स्टियरिंग व्हील ने काम करना बन्द कर दिया। गाड़ी में यात्रा करने वाले सभी व्यक्ति घायल हो गये और उनमें से संगीत और नाटक प्रभाग के रंगमंच सहायक श्री प्रेम सिंह की उसी दिन अस्पताल में मृत्यु हो गई। बाकियों को आवश्यक डाक्टरी इलाज के बाद जाने दिया गया।

दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका

3072. डा० रानेन सेन : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के प्रशासन को विश्व संघ को सौंपने के लिये दक्षिण अफ्रीका को बाध्य करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की महा-सभा परिषद् द्वारा किये गये सभी प्रयास असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका पर दक्षिण अफ्रीका का नियंत्रण शीघ्र बन्द हो इसके लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) महासभा ने अपने पिछले अधिवेशन में सुरक्षा परिषद से यह सिफ़ारिश की थी कि वह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीकियों को हटाने का सुनिश्चय करने के लिए और इसे स्वतन्त्र कराने के लिए कारगर उपाय करे। इन उपायों पर विचार करने के लिए अभी सुरक्षा परिषद की बैठक नहीं हुई है।

संयुक्त-राष्ट्र-संघ में काश्मीर का मामला

3073. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के विदेश मन्त्री द्वारा पाकिस्तान की विधान सभा में हाल ही में दिए गए इन वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान काश्मीर के लोगों को उनका आत्म-निर्णय का अधिकार दिलाने में सहायता करने के लिए दृढ़-संकल्प है और कि पाकिस्तान काश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं। पाकिस्तानी अखबारों के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मन्त्री ने यह कहा था कि पाकिस्तान काश्मीर-समस्या को राष्ट्र संघ में उस समय उठाएगा जब स्थिति बिल्कुल उपयुक्त होगी।

(ख) काश्मीर के सम्बन्ध में भारत की नीति को संसद् तथा सुरक्षा परिषद् में बार बार स्पष्ट किया गया है। उस नीति में केवल इसी बात से अन्तर नहीं आ सकता कि पाकिस्तान का इरादा इस प्रश्न को राष्ट्र संघ में उठाने का है। यदि इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद् में उठाया गया तो सरकार उस स्थिति से समुचित ढंग से निबट लेगी।

नागाओं का राजद्रोही आंदोलन के साथ सम्पर्क

3074. **श्री म० ला० सौंधी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विद्रोही नागाओं ने चीन में यूनान से लेकर उत्तरी बर्मा से होते हुए भारत के तिरप और नागालैंड सीमा तक के भू-क्षेत्र में चल रहे राजद्रोही आन्दोलन के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भारतीय लड़ाकू सैनिक दस्तों को सुदृढ़ बनाने तथा सीमा को पूर्णतया बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भारत सरकार को छिपे नागाओं और उत्तरी बर्मा के कुछ विद्रोही तत्वों के बीच सम्बन्धों की जानकारी है।

(ख) भारत-बर्मा सीमान्त पर सरकार ने अपनी सुरक्षा, गश्ती एवं गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया है।

G. P. F. Accounts of Civilian Employees at Hindon Airport.

3075. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Class III and Class IV civilian employees working at the Hindon Airport, Ghaziabad are not given the Annual Statements of the General Provident Fund, which is deducted from their salaries;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to supply such statements to these employees in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a)and(b): The annual statements of General Provident Fund are invaribly given to Class III and Class I civilian employees working in Hindon Airport, Ghaziabad. In certain cases, however, these statements could not be distributed to the subscribers, as they did not come forward to collect or because G. P. Fund Accounts Nos. could not be allotted due to pressure of work.

(c) Does not arise.

Agro Industrial Complex near Atomic Energy Production Centres

3076 **Shri Nihal Singh** :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5474 on the 27th March, 1968 and state:

(a) whether the working Group appointed by the Atomic Energy Commission have completed their study in regard to the settingup of an Agro-Industrial Complex near the Centres producing cheap atomic energy;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not; the further time to be taken in the matter ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) : A preliminary study has been completed by the working group, which has submitted a report. The details will be released as soon as the report has been scrutinized.

कानपुर के लिये शक्तिशाली ट्रांसमीटर

3078. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एक शक्तिशाली ट्रांसमिटिंग स्टेशन स्थापित किया गया है; और;

(ख) यदि नहीं, तो इसके चौथी योजना अवधि में स्थापित किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं । क्योंकि कानपुर तथा लखनऊ में जो वर्तमान व्यवस्था है, इससे कार्यक्रम अच्छी तरह सुने जा सकते हैं।

हथियारों तथा उपसाधनों का वैज्ञानिक मूल्यांकन

3079. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के पश्चात हथियारों तथा उपसाधनों के बारे में पहले किये गये अध्ययन के आधार पर एक विस्तृत वैज्ञानिक मूल्यांकन करने का है;

(ख) क्या अधिक ऊंचे स्थानों और रेगिस्तानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी इन हथियारों का विकास करने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि 1965 की योजना के आधार पर लगभग 88 वैज्ञानिकों को अग्रिम क्षेत्र-दलों तथा तटवर्ती क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि अनुसन्धान संगठनों तथा आधुनिक सेना के विकास के बारे में पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ङ) इसे कब क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री० ल० मा० मिश्र) : (क) आयुधों और साजसामान समेत विभिन्न विशिष्ट समस्याओं का वैज्ञानिक निर्धारण डिफेंस रिसर्च तथा डेवलपमेंट आर्गनाईजेशन के भिन्न दलों और सेवाओं द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। 1965 में गत भारत-पाक संघर्ष के पश्चात् विभिन्न आर० एड डी० दलों द्वारा किए गए अध्ययनों पर इस उद्देश्य के लिये विचार किया गया है।

(ख) अपनी सीमाओं पर ऊंचे स्थलों और मरुभूमियों समेत भू-प्रदेश सम्बन्धी विशिष्ट समस्याओं का अपने आयुधों और साजसामान के विकास में सामने रखा गया है।

(ग) 1965 से वैज्ञानिकी की कुल 779 संख्या ने अग्रिम क्षेत्रों में सक्रिय सेना यूनिटों के साथ अभिस्थापना अटेचमेंट सम्पूर्ण की है। यह योजना इसके पश्चात् नोसेना पोतों और तटीय सिव्बन्दियों के साथ वैज्ञानिकों के अटेचमेंट के लिए लागू की गई थी, और अब वायु सेना की सक्रिय यूनिटों विरचनाओं के साथ अटेचमेंट को आवृत करने के लिए लागू की जा रही है।

(घ) तथा (ङ) उपभोक्ताओं के साथ सलाह मशविरे से सेवाओं की ज्ञात तथा प्रत्याशित आवश्यकताओं के आधार पर आर० तथा डी० सिव्बन्दियों प्रयोगशालाओं के संबंध में 1964–74 अवधि के लिए पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाया गया है ;

पुर्तगाली अंगोला तथा अन्य अफ्रीकी बस्तियों में स्वतन्त्रता आन्दोलन

3080. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुर्तगाली अंगोला तथा अन्य अफ्रीकी बस्तियों में स्वतन्त्रता आन्दोलन को प्रभावी सार्थक समर्थन देने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा-गांधी) : (क) : जी हां :

(ख) : माननीय सदस्य का ध्यान निम्नलिखित प्रश्नों की ओर आकृष्ट किया जाता है; जिनके उत्तर लोकसभा में हाल ही में दिए गए थे :

(1) तारांकित प्रश्न सं० 454, दिनांक 6 मार्च, 1968,

(2) अतारांकित प्रश्न सं० 10111, दिनांक 8 मई, 1968, और

(3) अतारांकित प्रश्न सं० 676, दिनांक 24 जुलाई 1968 ।

मलयेशिया-फिलीपीन विवाद

3081. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया ने साबा पर फिलीपीन के साथ अपने विवाद में भारत से समर्थन मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा-गांधी) : (क) मलयेशिया और फिलीपीन ने सबाह के बारे में अपना-अपना दृष्टिकोण हमें बताया है ।

(ख) भारत सरकार आशा करती है कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके सौहार्द-पूर्ण तरीके से इस मामले को निबटा लेंगे।

कच्छ पंचाट की कार्यान्विति के संबंध में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के आरोप

3083. श्री नि० रं० लास्कर : (**श्री चेंगलराया नायडू** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार उनके भारत-विरोधी प्रचार के अंग के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत पर खुले रूप से कच्छ पंचाट की कार्यान्विति में देरी करने का आरोप लगाती रही है ;

(ख) : यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) : पंचाट की पूर्ण कार्यान्विति कब तक होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री. अणु-शक्ति मंत्री. योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंन्दिरा-गांधी) : (क) : अन्तर्राष्ट्रीय मैच पर पाकिस्तान की सरकार द्वारा ऐसा प्रचार किये जाने के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कच्छ न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार सीमांकन का कार्य मई, 1969 तक पूरा होने की संभावना है ।

सैगोन में भारतीय वाणिज्य दूतावास

3085. श्री नि० रं० लास्कर,
श्री चेंगलराया नायडू,
श्री बी० चं० शर्मा,

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैगोन नगर पर विएटकांग राकेट हमले के कारण 11 जून, 1968 को सैगोन में भारतीय वाणिज्य दूतावास का भवन बुरी तरह क्षति-ग्रस्त हो गया था।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस हमले के कारण कुछ कर्मचारी भी घायल हो गये तथा मारे गये थे ।

(ग) यदि हां, तो वहां पर हमारे वाणिज्य दूतावास को कुल कितनी क्षति हुई है ; और

(घ) सैगोन में कर्मचारियों तथा भवन की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) : जिस इमारत में भारत का प्रधान कोंसलावास है वह एक बहु-मंजिली इमारत है जिसमें बहुत से कमरे से बने हुए हैं । भारत के प्रधान कोंसलावास का कार्यालय इस इमारत की पहली मंजिल के एक हिस्से में हैं । 11 जून को सवेरे एक राकेट इस इमारत के सामने वाली पटरी पर आकर गिरा जिससे सबसे नीचे मंजिल की इमारत की एक दुकान को बहुत नुकसान पहुँचा; इस विस्फोट की वजह से इमारत के बहुत-से खिड़की-दरवाजों के शीशे टूट गये जिनमें भारत के प्रधान कोंसल के कार्यालय के शीशे भी शामिल हैं । प्रधान कोंसलावास के कार्यालय के एक कमरे की दीवाल में भी कुछ दरारें पड़ गई ।

(ख) : हमारे प्रधान कोंसलावास के अमले का कोई सदस्य नहीं मरा और न ही कोई घायल ही हुआ ।

(ग) : हमारे प्रधान कोंसलावास कार्यालय की जगह को जो नुकसान हुआ था उसकी मकान मालिक ने मरम्मत करवा दी है ।

(घ) : हमारे प्रधान कोंसलावास का अमला अपने आदमियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसे सम्भव उपाय बरतता है जो सैगोन की वर्तमान परिस्थितियों में बरते जा सकते हैं ।

सोवियत-भूमि नेहरु पारितोषक

3086. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय साहित्यकारों के नाम क्या हैं जिन्हें हाल ही में सोवियत भूमि नेहरु पारितोषक दिया गया है;

(ख) इस परितोषक का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार को कुल कितना धन खर्च करना पड़ा था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक--कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों को 1967 का सोवियत भूमि नेहरु पुरस्कार प्रदान किया गया है :

1. श्री रघुपति सहाय फिराक
2. श्री जी० शंकर कुरुप
3. श्री मन्मथ राय
4. श्री एल० एन० मावे
5. श्री बलराज साहनी
6. श्री के० के० नायर
7. श्री गोपाल हल्दर
8. श्री आर० वैंकटरामन

(ख) इन पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है :

(1) साहित्यक कृतियों के लिए आठ-आठ हजार रुपये के पांच पुरस्कार और पत्र-कारिता के कार्यों के लिए ढाई--ढाई हजार रुपये के पांच पुरस्कार तथा सोवियत संघ की दो सप्ताह की मुफ्त यात्रा जिसमें वापसी किराया भी शामिल है ।

(2) इसके अतिरिक्त, साहित्यक कृतियों के लिए एक--एक हजार रुपये के दस पुरस्कार और पत्रकारिता के कार्य के लिए आठ--आठ सौ रुपये के दस पुरस्कार जिसमें फोटोग्राफों की प्रकाशित सीरीज भी शामिल हैं ।

(ग) भारत सरकार को कोई खर्च नहीं उठाना पड़ा था ।

Fast Test Breeder Reactor

3087 Shri Maharaj Singh Bharati
Shri G. S. Mishra :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the progress made so far in the research work undertaken by the Bhabha Atomic Research Centre in connection with developing a fast test breeder reactor; and

(b) the time likely to be taken by the Reactor Engineering Division to develop the said reactor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Evaluation of different alternate concepts has been made and a system particularly appropriate to our needs is being finalised. A number of scientists and engineers have been trained in various aspects of fast reactor technology in different foreign laboratories and at the Bhabha Atomic Research Centre. A preliminary design report has been prepared and a detailed design study is now being taken up.

(b) It is too early to give a time schedule for the project, but it is being undertaken on a priority basis,

Uranium for Tarapore Atomic Power House

3088 **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision in regard to the project submitted by the Bhabha Atomic Research Centre for producing Uranium dioxide fuel for Tarapore Atomic Power House; and

(b) if so, the time by which this Project is likely to be completed ?

The Prime Minister (Shrimati Indira Gandhi): (a) The Proposal is still under consideration.

(b) Does not arise.

Uranium Mono Carbide as Fuel for Fast Breeder Reactor

3089 **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bhabha Atomic Research Centre has considered Uranium Mono Carbide as suitable fuel for Fast Breeder Reactor; and

(b) if so, the production cost thereof and the progress made in its Production ?

Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) Yes, Sir It is not proposed to use mixed carbides for fuelling the first generation fast breeder reactor .

स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवान और अधिकारी

3090 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना में इस समय जवानों और अधिकारियों की संख्या कितनी--कितनी है तथा उनका अनुपात क्या है;

(ख) विश्व के प्रमुख देशों में और हमारे पड़ोसी देशों में अधिकारियों और सैनिकों का अनुपात कितना--कितना है;

(ग) क्या इस अनुपात में कोई परिवर्तन करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : अफसरों और जवानों की संख्या भिन्न प्रकार की यूनिटों और विरचनाओं की आवश्यकताओं और कर्तव्यों पर निर्भर होती है।

प्रत्येक किस्म और उनके समय औस्तन अनुपात के संबंध में विस्तार प्रगट करना लोकहित में नहीं होगा ।

अन्य देशों के अनुपात के सम्बन्ध में सरकारी तौर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

समाचार-पत्रों में एकाधिकार वाली प्रवृत्तियों के बारे में प्रेस परिषद् की उप-समिति

3091 श्री रा० कृ० सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में एकाधिकार वाली प्रवृत्तियों के प्रश्न की जांच करने के लिये प्रेस परिषद् ने एक उप-समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति का क्षेत्राधिकार क्या है; और

(ग) क्या समिति की सिफारिशें अनिवार्यतः लागू की जाने वाली होंगी ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी हां, ।

(ख) समिति के अधिकार क्षेत्र का नियमन प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 12 (2) (4) द्वारा होता है जिसमें परिषद को समाचार-पत्रों के स्वामित्व या उनके आर्थिक ढांचे के अध्ययन सहित ऐसी गतिविधियों का अध्ययन करने का अधिकार दिया हुआ है जिनसे समाचार-पत्रों में एकाधिकार या एक मालिक के हाथ में कई समाचार-पत्र आने की प्रवृत्तियां बढ़े और यदि आवश्यक हो तो उन प्रवृत्तियों को रोकने के उपाय सुझाएं ।

(ग) जी, नहीं । उप समिति अपनी रिपोर्ट प्रेस परिषद् को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी । समिति की सिफारिशे अनिवार्यतः लागू की जाने वाली नहीं होंगी ।

कीनिया में भारतीय लोग

3092 श्री रा० कृ० सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि कीनिया सरकार ने सभी एशियाई लोगों से कहा है कि वे कुछ विशेष प्रकार के कारोबार कीनिया के नागरिकों को सौंप दिये जायें :

(ख) कीनिया सरकार के इस निर्णय से कितने भारतीय परिवार प्रभावित होंगे : और

(ग) प्रभावित भारतीयों की सहायता करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा-गांधी : (क) 12 जुलाई, 1968 की राजपत्र-अधिसूचना द्वारा, कीनिया सरकार ने यह घोषणा की है कि गैर-नागरिकों को कुछ विशिष्ट मदों के सम्बन्ध में दिए गए व्यापार लाइसेंसों का, 31 दिसम्बर, 1968 के बाद नवीकरण नहीं किया जाएगा ।

(ख) कीनिया में भारतीय राष्ट्रिकों की जनसंख्या केवल लगभग 4,000 है। उनमें से अधिकांश ऐसे पेशों में है जिन पर असर नहीं पड़ेगा। परन्तु इसका असर कुछ ऐसे एशिया-मूलक लोगों पर अवश्य पड़ेगा जो ब्रिटिश पासपोर्टधारी है और खुदरा व्यापार इत्यादि करते हैं। सही-सही संख्या मालूम नहीं है।

(ग) यदि इन पीड़ित व्यक्तियों में से कोई भी स्थायी रूप से बसने के लिये भारत आना चाहते हों तो उनको सीमा शुल्क और आयात--व्यापार--नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्धारित रिआयतें दी जायेगी।

भारत और श्रीलंका के अधिकारियों का सम्मेलन

3093 श्री रा० कृ० सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के प्रधान मंत्री द्वारा दोनों देश के अधिकारियों के एक सम्मेलन का कोई प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक के लिए किन-किन विषयों का सुझाव दिया गया है। और

(ग) इस बारे में श्रीलंका की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंन्दिरा-गांधी) : (क) (ख) और (ग) : सितम्बर 1967 में श्रीलंका और भारत के प्रधान मंत्री इस बात पर सहमत हो गए थे, कि सभी क्षेत्रों में भारत श्रीलंका संबंधों की प्रगति की समीक्षा करने और सामान्य हित के अन्य मामलों पर विचार-विनिमय करने के लिए, दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक वर्ष में एक बार होनी चाहिए। उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के लिए, श्रीलंका सरकार से राजनयिक स्रोतों द्वारा अनुरोध किया गया है। इस बैठक के लिए अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

Librarian in Indian Embassy in New York

3094 **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **External Affairs** be please to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3644 on the 29th August, 1966, and state :

(a) whether an India-based Librarian has been appointed on the post of Librarian in the Indian Embassy in New York;

(b) if so, since when; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay and when an Indian-based Librarian would be appointed ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) (a)and(b): No India based Librarian has yet been appoitned.

(c) A decision has been taken to covert the local post to that of an India based librarian but this could not be implemented during the current financial year on account of financial stringency. The matter will be considered again while framing the budget estimates for the next financial year.

Library of Historical Division of External Affairs Ministry

3095 **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of books in the Library of the Historical Division of the Ministry at present:

(b) the number of classified and unclassified books, separately;

(c) the reasons for not classifying the unclassified books;

(d) whether cases of purchase of some unclassified books twice and even thrice have come to the notice of Governmnet ; and

(e) if so, the action taken against the persons responsible for the same ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi : (a) 65,000 (in approximate round figure, excluding material other than books).

(b) 53,290 and 11,800 (in approximate round figure) respectively.

(c) The unclassified collection consists of publications meant for certain specific purposes and are not supposed to be taken in the regular classified collection of the Library.

(d) Multicopies of the same books have at times been purchased under certain circumstances and with specific purpose. The question of such duplication of purchase because of a part of the collection remaining unclassified does not arise.

(e) Does not arise.

Librarian In Indian High Commission, London

3096 Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3645 on the 29th August., 1966 and state :

(a) whether the appointment of India-based Librarian has since been made in the Indian commission in London;

(b) if so, the mode of his selection;

(c) whether similar procedure was followed in appointing India-based Librarians in our missions in Nepal and Dacca; and

(d) if not, the reasons therefore ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) : A person has been selected, in consultation with the U. P. S. C. and in accordance whith the Recruitment Rules, for appointment as Librarian in our High Commission in London, but he has not as yet been appointed to the post.

(c) The post in Kathmandu has been filled by transferring a qualified Librarian from the Ministry of External Affairs. There is no post of Librarian in the Deputy High commission of India, Dacca.

(d) Different methods were adopted in the recruitment for the two posts at London an Kathmandu on account of the differing importance and pay-scales of the posts. The Librarian's post at Kathmandu has a pay scale of Rs. 370–575, analogous to that in the Ministary of External Affairs. The India House post has a much higher pay scale of

Rs. 680–900 and has certain added responsibilities and duties. Recruitment for the London post was therefore from a wider field covering all the Government of India offices and was effected through the U. P. S. C. Librarians in the Ministary of External Affairs were also eligible to apply.

Librarians in Indian Embassies Abroad

3097 **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign and Indian Librarians separately, in the Libraries of the Indian Embassies abroad as on the 1st January. 1968;

(b) the number of trained and untrained out of them; and

(c) the steps being taken to post the trained Indian Librarians inplace of untrained ones ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता

3098. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेष घोष :
श्री भगवान दास :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में सहायक कनिष्ठ अधीक्षकों (असिस्टेंट जूनियर सुपरवाइजर) के पद के लिये क्या तकनीकी योग्यताऐं अपेक्षित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कई सहायक कनिष्ठ अधीक्षक निधारित अर्हता नहीं रखते हैं और कुछ तो मैट्रिक पास भी नहीं हैं;

(ग) कितने सहायक कनष्ठि अधिक्षक निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं; और

(घ) निर्धारित अर्हता न रखने वाले सहायक कनिष्ठ अधीक्षकों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) असिस्टेंट जूनियर सूपरवाईजरों के स्थानों के लिए पदोन्नति या सीधे भर्ती के लिए कोई कम से कम योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई । जहां तक पदोन्नति का सम्बन्ध है कम्पनी की नीति है, वर्कशाप में अधिक वर्षों के अनुभव और प्रमाणित कौशल वाले कार्मिकों से पदोन्नत करना । सीधे भर्ती केवल तकनीकी डिप्लोमा धारण करने वालों तक के लिए सीमित है, कि जो मेट्रिकुलेट होते हैं । सीधी भर्ती में अपवाद केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए बर्ते जाते हैं या विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के लिए ।

(ग) कम्पनी ने 11 भूतपूर्व सैनिकों को सीधे भर्ती किया है और 5 गैर मैट्रिकुलेटों को जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण पाया है। गार्डन रीच वर्कशाप लि० में असिस्टेंट जूनियर सूपरवाई-जरों की संख्या 116 है।

Book on India's Freedom Struggle Published in West Germany

3099. Shri Mohan Swarup : will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a book has been published in West Germany on India's freedom struggle;

(b) if so the detailed account there of; and

(c) whether this book would be made available to the public ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is obtained.

पाकिस्तान में गुरुद्वारा डेरा साहिब तथा गुरुद्वारा ननकाना साहिब के दानपात्रों को उठा लिया जाना

3100 श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर तथा गुरुद्वारा ननकाना साहिब के दानपात्रों को जिनमें क्रमशः 1180 रुपयों तथा 48,000 रुपये थे, सितम्बर 1967 में पाकिस्तान के मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अधिकारी भारतीय सिख सेवा दारों को बुरी तरह मारपीट कर जबर्दस्ती उठा ले गये थे ;

(ख) : इस धन को वापस प्राप्त करने तथा हिन्दुओं और सिखों के पवित्र धार्मिक स्थानों पर भविष्य में ऐसे अतिक्रमण न होने देने के लिये सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सामान्य विरोध पत्र भेजने के अतिरिक्त और क्या कार्यवाही की है; और

(ग) : यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री प्रणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी : (क) : सितम्बर 1967 में पाकिस्तान सरकार के वक्फ विभाग ने गुरुद्वारा डेरा साहिब, लाहौर से एक गोलक उठा ली थी, जिसमें रु० 118/– पाकिस्तानी मुद्रा में और कुछ धन भारतीय मुद्रा में था। इस गोलक के स्थान पर, जिसके अन्दर गुरुद्वारे का चढ़ावा था, पाकिस्तान वक्फ विभाग ने एक अन्य गोलक रख दी। इसी प्रकार, वक्फ के अधिकारियों ने गुरद्वारा ननकाना साहिब से भी गोलक उठाई उस गोलक में पड़े हुए धन की सही रकम मालूम नहीं है।

(ख) और (ग) : फरवरी 1968 में सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया। अब पाकिस्तान सरकार ने हमको यह सूचित कर दिया है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा स्थापित निष्क्रांत-व्यक्ति सम्पत्ति न्यास बोर्ड गैर मुस्लिम धार्मिक स्थानों के अनु

और देखरेख के लिए उत्तरदायी होगा। सिख सेवादारों को उनके सभी प्रशासनिक दायित्वों से वंचित कर दिया गया है। सरकार इस बात की जांच कर रही है कि इस मामले में और कौन से कदम उठाए जाएं।

भारत में तिब्बती लोग

3101 श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तिब्बती लोगों की शिक्षा, उनके पुनर्वास तथा उन्हें अन्य प्रकार की साहयता देने के कार्यों पर अब तक कुल कितनी धन राशि खर्च की है;

(ख) भारत में इस समय कैम्प-वार कितने तिब्बती हैं;

(ग) इन तिब्बतीयों ने भारतीय नागरिकता को जिसकी उन्हें पेशकश की गयी थी, स्वीकार करने से क्यों इन्कार किया है ;

(घ) क्या यह सच है कि इनमें से बहुत से तिब्बितयों ने हाल ही में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने विदेशों को जाने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने लोग हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमन्त्री अणु-शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) भारत में तिब्बती शरणार्थियों की सहायता, पुनर्वास बसापत और शिक्षा के ऊपर, भारत सरकार ने 31-3-68 तक कुल मिला कर रुपये 5.50 करोड़ की रकम खर्च की। 31. 3. 67 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय सम्बन्धी अन्तिम आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु ऐसा अनुमान है कि लगभग 90 लाख रुपए खर्च हुए होंगे।

(ख) भारत में तिब्बती शरणार्थियों की कुल संख्या लगभग 51,000 है। प्रति-शिविर विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1653-68]**

(ग) वर्तमान नियमों के अनुसार, भारतीय नागरिकता किसी विदेशी अथवा किसी समुदाय को नहीं दी जाती। जो लोग भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं उनको भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1935 के अनुसार अलग-अलग आवेदन करना होगा। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता कि तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता दी गई और उन्होंने उसको लेने से इन्कार कर दिया।

(घ) भारत सरकार के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण

3102. श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री गणेश घोष :**
श्री वि०कु० मोडक : **श्री भगवान दास :**

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिये 12,000 अश्व शक्ति के समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण करने के हेतु गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता तथा पश्चिमी जर्मनी के एम० ए० एन० के बीच कोई सहयोग सम्बन्धी समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सहयोग सम्बन्धी समझौते का ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक इंजन की उत्पादन-लागत और विक्रय मूल्य कितना है;

(ग) अब तक कुल कितने इंजिन बनकर तैयार हुए हैं और हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने कुल कितने इंजिन खरीदे हैं; और

(घ) निर्मित इंजिनों की संख्या तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा लिये गये इंजिनों की संख्या में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) लगभग 30,000 बी० एच० पी० तक के विस्तृत रेंज के एम० ए० एन० डीजल इंजनों का भारत में उत्पादन करने के लिए भारत सरकार और पश्चिमी जर्मनी के सर्व श्री एम० ए० एन० के बीच एक लाईसेंस समझौता तय पाया था। करार की कार्यान्विति गार्डन रीच वर्कशाप लि० कलकत्ता को सौंपी गई थी। करार के अनुसार सहयोगी आवश्यक तकनीकी दस्तावेज और इंजन के निर्माण के लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज्ञान सप्लाई करेंगे; अगर आवश्यकता हुई तो वह खास द्रव्य और औजार इत्यादि भी सप्लाई करेंगे ; वह भारती सेवि वर्ग को अपने कारखानों में प्रशिक्षण देना हस्तगत करेंगे, और निर्माण की स्थापना करने में सहायता देने के लिए अपने तकनीशियों की सेवाएं प्राप्य भी प्राप्य करेंगे। अन्तिम, प्रायोजना रिपोर्ट के अनुसार इंजनों के क्रय मूल्य अवमूल्यन से पहले के सी० आई० एफ० मूल्यों से अधिक होने की आशा नहीं है।

(ग) एक भी नहीं। उत्पादन 1969 में स्थापित होने की आशा है, और हिन्दुस्तान शिपयार्ड की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सर्व प्रथम बड़े आकार के इंजनों का उत्पादन हस्तगत किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वारंट अफसरों का प्रथम श्रेणी में रेल-यात्रा करने का अधिकार

3103 श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी वारंट अफसर प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा करने के अधिकारी हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो किन सेवाओं के वारंट अफसरों को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं है; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों के प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों को कितना यात्रा दर भत्ता दिया गया ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों का यात्रा भत्ता:--

(क) शान्ति वाले क्षेत्रों में यात्रा करते समय :-

(1) अस्थायी ड्यूटी पर:-

प्रत्येक 10 किलोमीटर अथवा 5 किलोमीटर से अधिक उसके प्रत्येक भाग के लिये 35 पैसे की दर से प्रासंगिक व्यय; अथवा 24 घन्टे की प्रत्येक रेल यात्रा अथवा उसके किसी भाग के लिये सामान्य दर पर एक दैनिक भत्ता, जो भी कम हो।

(2) स्थायी ड्यूटी पर :-

अपर भाग (1) में उल्लिखित दर से दुगनी दर पर प्रासंगिक व्यय परन्तु इसकी अधिकतम राशि 150 रुपए हो सकती है।

(ख) फ़ील्ड एरिया में अथवा वहां से जाने-आने की यात्रा के समय :-

(1) 10 रुपए प्रति दिन की दर से यात्रा दैनिक भत्ता

(2) जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों / वारंट अधिकारियों / अन्य सैनिकों तथा नौसेना तथा वायु सेना के समकक्ष अधिकारियों का यात्रा भत्ता :-

(क) ड्यूटी पर यात्रा के समय 4 रु० 50 पैसे प्रति दिन

(ख) अवकाश पर यात्रा के समय 3 रु० 50 पैसे प्रति दिन

टिप्पणी : तबादले के समय, दोनों ओर विवाहितों के लिये अधिकृत संस्थानों वाले अधिकारियों को, अथवा उन अधिकारियों को, जिन्हें तबादले के समय ड्यूटी के स्टेशन पर अपने परिवारों को रखने की अनुमती दी गई हो, निम्नलिखित नकद भत्ता भी दिया जाता है :-

जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी/ग्रो० पी० ओ०/ वारंट अधिकारी/फ्लाइट सार्जेंट	40 रुपए
अन्य	30 रुपए

आकाशवाणी कलकत्ता

3105. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के समूचे ढांचें के पुनर्गठन की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके कब कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) प्रशासनिक दृष्टिकोण से ढांचे में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है, परन्तु 21 जुलाई, 1968, से जब उच्चशक्ति का नया ट्रांसमीटर चालू हो गया, इससे कलकत्ता "क" का कार्यक्रम चालू किया गया। जिस ट्रांसमीटर पर कलकत्ता "क" का कार्यक्रम होता था उस पर अब "ख" कार्यक्रम होगा और जिस पर "ख" होता था उस पर विविध भारती कार्यक्रम चालू होगा। 21-7-68 से विविध भारती वाला ट्रांसमीटर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

प्रधान मन्त्री का जापान का दौरा

3106. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या आगामी अक्टूबर, 1968 में प्रधान मन्त्री की जापान की यात्रा की तिथि निश्चित कर दी गई है ;

(ख) : यदि हां, तो दोनों देशों के प्रधान मन्त्रियों की किन महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करने की सम्भावना है; और

(ग) : प्रधान मन्त्री द्वारा लौटते समय और किन देशों का दौरा करने की संभावना है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) : प्रधानमन्त्री की प्रस्तावित जापान यात्रा के ब्यौरों को, जापान सरकार के परामर्श से, अंतिम रूप दिया जा रहा है; इसकी औपचारिक घोषणा यथा समय कर दी जाएगी।

(ख) : आमतौर पर ऐसे मौकों पर दो राज्य अध्यक्षों के बीच बातचीत के लिए कोई कार्यसूची तैयार नहीं की जाती। वे सामान्यतः विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा पारस्परिक हित के मामलों पर विचार विमर्श करते हैं।

(ग) : इस मौके पर प्रधान मन्त्री का किसी अन्य देश की यात्रा करने का कार्यक्रम नहीं है।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की सलाहकार समिति

3107. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 24 जुलाई, 1968 के आतारांकित प्रश्न संख्या 739 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी सम्मितियां समाप्त कर दी गई हैं तथा प्रत्येक समिति कितने समय तक रही;

(ख) संघ समितियों को किन कारणों से आवश्यक समझा गया है तथा कृत्यों में क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं; और

(ग) वर्तमान समितियों के कृत्य क्या हैं तथा उनके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया-देखिये संख्या एल० टी० 1654-68]**

(ख) और (ग) शेष समितियों को रखना आवश्यक समझा गया है क्योंकि या तो वे किसी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत गठित की गई हैं या वे सरकार या उसके विभागों को उनसे सम्बन्धित मामलों पर सलाह देने के लिये उपयोगी पाई गई हैं। उन समितियों के कार्यों में परिवर्तन और उनकी सदस्यता और कार्यों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

Statement by United States Secretary of State

3108. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn the statement made by the United States Secretary of State, Mr. Dean Rusk, in the U.S.A. Committee on Foreign Affairs on the treatment of Chinese nuclear aggression against India to the effect that in the event of an atomic attack on any country, the Security Council will have to consider it; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes. Sir. We have seen press reports.

(b) The Government consider that aggression with nuclear weapons, or the threat of such aggression, aginst any-nuclear weapon State would creat a situation in which the Security Council would have to act in accordance with the U. N. Charter.

Directorate of Audio Visual Publicity

3109. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Exhibition wing of the Directorate of Audio Visual Publicity was reorganised in 1967 resulting in 20 per cent increase in its expenditure; and

(b) if so, the total amount of excess expenditure to be incurred on this wing and the nature of additional services and works to be done by the wing as a result of the reorganisation ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The Exhibition Wing of the Directorate of Advertising and Visual publicity was reorganised in implementation of the recommendations of the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance. No extra expenditure was involved in the reorganisation.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन

3111. श्री मधु लिमये :
श्री देवराव पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अर्थ व्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन पर वित्त मंत्री के भाषण की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या योजना आयोग ने इन विषमताओं को समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सहायता के बारे में कोई प्रस्ताव तैयार किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने का सम्पूर्ण प्रश्न जहां तक व्यावहार्य है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है।

Visit of Military Attaches to Sikkim Border

3112. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a group of Military attaches and service advisers from Seven countries visited some of the forward areas in Sikkim during May and June 1968;

(b) if so, the countries to which these attaches and advisers belonged;

(c) the purpose of their visit; and

(d) whether they visited the areas on an Invitation from Government or on their own request ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d) Yes, Sir. A group of foreign Military Advisers and Attaches belonging to Australia, Canada France, Indonesia, Italy, the UK and the USSR were taken on a conducted visit to Gangtok and Nathu La in May, 1968. The visit was made on an invitation by the Government to enable these Military Advisers and Attaches to understand the problems of terrain and logistics which our Army has been tackling in this area.

आयुध कारखानों के असैनिक कर्मचारी

3113. **श्री निहाल सिंह** : क्या प्रति रक्षा मंत्री 1 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9174 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों के बारे में जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) : जी हां। सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1655-68]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Nepali paper's allegation against India

3114. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the press reports to the effect that in the 'Rising Nepal', a Chief Government English daily of Nepal, allegations were made against the Indian newspapers that they have recently published many articles and special reports which indicate that India wants to malign the relations of Nepal with other countries;

(b) whether Government's attention has also been drawn to this news-item also that in the articale published on Editorial page of the publication, it has been stated that Indain newspapers have on sympathy for the realations of Nepal with China and Pakistan; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) As there is a Free Press in India, the Government of India are in no position to control the expression of its views and opinions. They would naturally welcome a truthful presentation of news accompanied by constructive and objective comment.

Effects of Higher Entertainment Tax in Delhi

3115. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of cinegoers in Delhi has gone down from 25 lakhs to 15 lakhs per month consequent on the rise in entertainment tax;

(b) if so, the loss being suffered by Government in entertainment tax receipts per month; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) (a) The rates of entertainment tax were raised by the Delhi Administration with effect from the 10th May, 1968. During the months of May, June and July, 1968 the number of cinema goers was 70,38,485 as against 72,92,192 during the corresponding period in 1967. The Delhi Administration consider that this decrease is due to lack of release of new pictures during this period.

(b) There has been no loss of entertainment tax. The collections for the above periods were Rs. 29,21,300 and Rs. 27,44,380 respectively. But for the film crisis, the receipts during May, June and July, 1968 would have been still more.

(c) Does not arise.

आस्ट्रेलियन ब्राडकास्टिंग कमीशन के लिये भारतीय कमैंटेटर

3116. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारतीय क्रिकेट टीम के आस्ट्रेलिया के दौरे के लिये क्रिकेट के खेल का आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिये आस्ट्रेलियन ब्राडकास्टिंग कमीशन ने एक व्यक्ति को मनोनीत करने का आकाशवाणी से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो किस व्यक्ति का चयन किया गया और उसे किस आधार पर चुना गया और क्या इस प्रसारण के लिये अन्य कमेंटेटरों के नामों पर भी विचार किया गया था;

(ग) क्या चुने गये इस व्यक्ति को उस अवधि के लिये, जिसमें वह बाहर रहा था, वेतन तथा भत्ते दिये गये थे और उसे आस्ट्रेलियन ब्राडकास्टिंग कमीशन से भी पारिश्रमिक तथा विमानभाड़ा मिला था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के आस्ट्रेलिया के दौरे के समाचार देने के लिये आस्ट्रेलियन ब्राडकास्टिंग कमीशन ने अपने प्रसारण दल में सम्मिलित करने के लिए आकाशवाणी के समाचार विभाग ने न्यूज रीडर श्री वी० एम० चक्रपाणि को विशेष रूप से निमंत्रण दिया था। अत: अन्य नामों पर विचार करने और किसी कमेंटेटर के चयन करने का प्रश्न नहीं उठा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। उनका सामान्य मासिक वेतन और आस्ट्रेलिया जाने आने का विमान भाड़ा आकाशवाणी द्वारा दिया गया था, जबकि आस्ट्रेलिया के अन्दर सफर करने और उनके आवास एवं भोजन का खर्चा आस्ट्रेलियन ब्राड़कास्टिंग कमीशन द्वारा किया गया था।

Article in Observer Re: Naga Rebellion

3117. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mr. Robert Dickson Crane has written some objectionable things about Naga rebellion in London Observer of the 23rd June. 1968;

(b) whether it is also a fact that Mr. Dickson Crane is linked with C. I. A. and his article reflects that U.S, A. Policy in respect of Naga rebellion is likely to undergo a change; and

(c) if so the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Nagaland is one of the Consitituent States of the Indian Union. Government of India will not allow any foreign interference in India's demostic affairs.

अधिक ताप वाला थोरियम रिएक्टर

3118. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम जर्मनी ने अधिक ताप वाले थोरियम रिएक्टर प्रणाली का पूर्ण विकास कर लिया है, जिसमें प्लूटोनियम अथवा यूरेनियम जैसी किसी भी आण्विक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय वैज्ञानिकों को इस नवीन आविस्कार से परिचित कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी जर्मनी ने अधिक ताप वाले थोरियम रिऐक्टर का एक प्रारूप विकसित किया है जिसमें ईंधन के रूप में बहुत ज्यादा संघनीकृत यूरेनियम तथा थोरियम इस्तेमाल होते हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में जो ब्यौरे प्रकाशित हुए हैं उनकी जानकारी भारतीय वैज्ञानिकों को है । तथापि अभी इस रिऐक्टर का विकास किया जा रहा है तथापि पश्चिम जर्मनी इसके चलाने से जो अनुभव प्राप्त करेगा उसका परिचय प्राप्त किया जायेगा ।

Manufacture of Arms and Ammunition

3119. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of years by which India is lagging behind in the manufacture of arms and ammunition in comparison to China; and

(b) the number of years by which Government propose to achieve the goal ?

The Minister of State Defence Production in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b) It is not possible to compare the manufacturing capacity stages in terms of number of years.

Kissing and Embrassing on the Screen

3120. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Goverament have acceded to the demand of the film producers to allow the hero and heroine in the Indian films to embrace and kiss each other with a view to enable them to compete with the foreign films;

(b) if so, whether this decision conforms to the Indian culture and traditions; and

(c) if not, the reasons for allowing it ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

आकाशवाणी द्वारा संगीत कलाकारों के साथ अनुबन्ध करने पर प्रतिबन्ध

3122. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात अवधि के दौरान संगीत कलाकारों के साथ अनुबन्ध करने पर आकाशवाणी द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आपात स्थिति के समाप्त किये जाने के बाद अब भी यह प्रतिबन्ध लागू है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) संगीतकलाकारों को बुक करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। परन्तु धन की कमी ने आकाशवाणी की केजुअल आर्टिस्टों को बुक करने की क्षमता कुछ सीमा तक कम करदी गई है।

(ख) तथा (ग) जैसे ही आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आर्टिस्टों को उदारतापूर्वक बुक किया जायेगा।

टी० एम० बी० लारियों में खराब बैटरियां

3125. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 505 आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी में हाल में आई टी० एम० बी० लारियों में 20 बैटरियां खराब पाई गई;

(ख) यदि हां, तो यह पता लगाने के लिये कोई जांच की गई थी कि नई लारियों में बेकार बैटरियां क्यों लगाई गई; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मोटर गाड़ी डिपो, दिल्ली छावनी

3126. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी में मोटर गाड़ी डिपो में मोटरों के पुर्जों की कोई चोरी हुई है;

(ख) पुर्जे किस-किस तारीख को चोरी हुए थे, चोरी किस प्रकार हुई तथा चोरी की गई वस्तुओं का मूल्य क्या था और सरकार को कितनी हानि हुई; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : (क) से (ग) 13 मई, 1968 और 4 जुलाई, 1968 को चोरी के दो मामले सामने आए हैं। चोरी गए पुर्जों में शामिल हैं टी० एम० बी० मेक गाड़ियों के पुर्जे, जैसे कि प्रापेलर शाफ्ट, वाइपर मोटर मशीनें, ब्लेडों सहित वाईपर मोटर के बाजू रिलीज वेल्व, और एन/एस फ्रण्ट बी। और लाईट समंजन, जिनकी कुल लागत लगभग 26041 रुपये होगी। चोरी की रिपोर्ट पुलिस अधिकरणों को करदी गई है, और असैनिक पुलिस तथा सैनिक अधिकरणों दोनों द्वारा जांच अधीन है।

505 आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी

3127. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 505 आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी के चौथे सम्मेलन में संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में वर्क्स कमेटी के प्रति-निधियों को शामिल नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० आर० कृष्ण) : (क) और (ख) अन्यों के अतिरिक्त 505 आर्मी बेस वर्कशाप दिल्ली छावनी की जे० सी०/एम० परिषद का चतुर्थ स्तर, उसकी वर्क्स कमेटी के दो प्रतिनिधियों सहित, पुर:स्थापित किया गया है, कि जिन्होंने उसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया है। इसलिए यह स्थान खाली छोड़ दिए गऐ हैं।

राष्ट्रीय युद्ध ललकार

3128. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना की कोई राष्ट्रीय युद्ध ललकार नहीं है और प्रत्येक रेजीमैंट की अपनी-अपनी युद्ध ललकारें हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक राष्ट्रीय युद्ध ललकार अपनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) युद्ध ललकार का सेना द्वारा मुख्यत: शत्रु को घेरे में लेते समय प्रयोग किया जाता है। परम्परा और रीति के अनुसार इन्फेण्ट्री की भिन्न रेजिमेंटों ने अपनी-अपनी युद्ध ललकार विकसित करली हैं। इनके विस्तार सहज प्राप्य नहीं हैं। सरकार इन परम्पराओं में परिवर्तन करना और एक राष्ट्रीय युद्ध ललकार पुर:स्थापित करना वांछनीय नहीं समझती।

भारतीय भूमि में पाकिस्तान का कब्जा

3129. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सेना ने युद्ध-विराम रेखा के साथ की भारत की 100 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर में कम से कम 12 गांवों में अतिक्रमण किया है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने जिस भूमि पर कब्जा किया है, उसे पाकिस्तान सेना द्वारा बेकरों के निर्माण करने के लिये प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा इस भूमि पर कब्जा करने की सूचना सरकार को सर्वप्रथम कब मिली तथा क्या कारण है कि इन सब वर्षों में अपनी भूमि वापिस लेना सम्भव नहीं हुआ ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) पाकिस्तान ने युद्ध-विराम के साथ साथ कुछ विभिन्न स्थानों पर अधिकार कर रखा है। संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करने का यत्न करते हैं कि पाकिस्तान अपने सैनिक सेवि-वर्ग इन स्थानों पर नहीं भेजता या वह वहां किसी प्रकार का रक्षात्मक निर्माण कार्य नहीं करता, और इन अतिलंघनों को वह खाली कर देता है।

अमरीका की नई आप्रवास विधि के अन्तर्गत भारतीयों का प्रव्रजन

3130. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की नई आप्रवास विधि, जो हाल ही में लागू की गई है, भारतीयों के लिये हितकारी होगी और इससे भारत से बुद्धिजीवियों के अमरीका जाने के मामलों में वृद्धि हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि तकनीकी जानकारी की केवल उसी श्रेणी को प्रव्रजन करने की अनुमति दी जाये जो हमारे देश में फालतू है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के नए आप्रवास नियम के अनुसार, जो 1 जुलाई, 1968 से लागू हुआ था, प्रत्येक देश से आप्रवासियों के नियत कोटे की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इस तारीख के बाद जो भी व्यक्ति आप्रवास करना चाहेंगे, उनको आप्रवास से लिए निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ेगा। ऐसा अनुमान है कि इसके परिणामस्वरूप आप्रवास वीजाओं को प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि वे केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिल सकेंगे जिनके पास प्रतिस्पर्द्धा की दृष्टि से उच्चतमअर्हताएं, अनुभव और योग्यता होगी।

(ख) सरकारी कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि इस नये कानून का भारत पर कितना असर पड़ता है।

विजयन्त टैंक

3132. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवदी में बनाये जा रहे विजयन्त टैंक की प्रवर्तन क्षमता का अमरीका, ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी के क्रमशः पैटन, चीफटन और लियोपर्ड नामक नवीनतम टैंकों की तुलना में अनुमान लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी टैंकों की तुलना में भारतीय टैंक कैसे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) अपने मुख्य गुणरूप और निष्पत्ति में विजयन्त टैंक विदेशी निर्माण के टैंकों से अच्छा लगाव खा सकता है।

मध्य प्रदेश की संयुक्त विधायक दल सरकार के बारे में समाचारों का प्रसारण

3133. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी केन्द्र दिल्ली तथा आकाशवाणी के भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर और रायपुर केन्द्रों ने, पिछले कुछ महीनों से, मध्य प्रदेश की संयुक्त विधायक दल की सरकार के विरुद्ध समाचारों तथा समीक्षा का प्रसारण करने की एक सुनियोजित योजना अपना रखी है और इस सम्बन्ध में प्रेस ट्रस्ट आफ़ इण्डिया का सक्रिय सहयोग भी उन्होंने प्राप्त किया है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश के आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों में गैर-कांग्रेसी लोगों को भाग लेने का कोई अवसर नहीं दिया जाता और न ही उन्हें कोई वार्ता देने के लिये निमन्त्रित किया जाता है, हालांकि वे इसके लिये योग्य होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

भारतीय तथा विदेशी चलचित्रों का सेंसर किया जाना

3134. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चलचित्र निर्माताओं ने शिकायत की है कि भारतीय तथा विदेशी चलचित्रों का सेंसर करने वाले मानकों को लागू करने में भेदभाव रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भेदभाव को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार 'ए' (वयस्कों के लिये) चलचित्र के सेंसर को उदार करने तथा 'यू' (सामान्य) चलचित्रों की अधिक कड़ी समीक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह एक्ट की व्याख्या है जिससे कठिनाइयां उत्पन्न हुई है । इस मामले में जांच की जा रही है ।

(ग) फिल्म सेन्सरशिप पर एक जांच समिति फिल्मों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिये प्रमाणीकृत करने की समूची पद्धति की जांच कर रही है । इसमें फिल्मों को जांचने के विभिन्न स्तरों का प्रश्न भी शामिल है, सरकार इस मामले पर विचार करने से पूर्व समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने का प्रस्ताव रखती है ।

(ग) सलाहकार पैनल और केन्द्री फिल्म सेन्सर बोर्ड के सदस्यों का चयन सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में से किया जाता है और यह लोग इस बात को जांचने के योग्य समझे जाते हैं कि फिल्म का दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

उड़ीसा में सूखे की स्थिति सम्बन्धी समाचारों का प्रसारण

3136 **श्री यशपाल सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य की स्वतंत्र पार्टी ने आकाशवाणी द्वारा अपने समाचार प्रसारणों में उड़ीसा राज्य की सूखे की स्थिति को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बनाये जाने के विरुद्ध आपत्ति उठाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) उड़ीसा राज्य की स्वतन्त्र पार्टी ने आकाशवाणी के कुछ प्रसारणों के विरुद्ध आपत्ति उठाई है।

(ख) और (ग) मामले की जांच करने पर यह पाया गया है कि आलोचना में कोई तथ्य नहीं है।

नागालैंड के मामलों का गृह-कार्य मंत्रालय को हस्तान्तरण

3137. **श्री यशपाल सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम तथा नागालैंड के राज्यपाल ने मत व्यक्त किया है कि नागालैंड से सम्बन्धित मामले गृह-कार्य मंत्रालय को हस्तान्तरित किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन कब तक किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं। नागालैंड सरकार हर मामले में भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से सीधे बातचीत करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को सिनेमा घरों के लिये अनुदान

3138. **श्री यशपाल सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को सिनेमा घरों के बनाने के लिये अनुदान देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं, अभी तक नहीं। सिनेमा थियेटरों की संख्या बढ़ाने का समूचा प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में जनसंख्या के आधार पर विकास परियोजनाए

3139. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राज्यों में जनसंख्या के आधार पर विकास परियोजनाओं के स्थापित किये जाने के विचार का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) राजस्थान के मुख्य मंत्री जनसंख्या के आधार पर केन्द्रीय सहायता के वितरण के विरुद्ध थे। वे इसमें दूसरी बातें जैसे नदी घाटी परियोजना, क्षेत्र आदि को शामिल करना चाहते थे।

संगणकों का निर्माण

3140. **श्री भगवानदास** :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नम्बियार :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स को, आगामी तीन वर्ष में 68 और संगठक बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन संगणकों के निर्माण में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च आयेगी; और

(ग) विभिन्न कम्पनियों में ये संगणक किन-किन शर्तों पर लगाये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 68 कम्प्यूटरों के आयात अंश की लागत 122 लाख रुपये होना प्रत्याशित है, जो आई० बी० एम० द्वारा प्राप्य की जाएगी, और उन द्वारा भारत में बनाई जा रही अन्य कई मशीनों के निर्यात के बदले क्रमशः संमजित की जाएगी।

(ग) जिन शर्तों और हालतों में आई० बी० एम० इन कम्प्यूटरों को किराये पर देंगे या बेचेंगे, उनका निर्णय आई० बी० एम० और उपभोक्ताओं के बीच किया जाएगा।

उड़ीसा में छावनी

3141. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक छावनी स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव अब भी विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस बारे में वर्तमान उड़ीसा सरकार ने कोई अनुरोध किया है, अथवा सुझाव दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) उड़ीसा में एक सैनिक स्टेशन स्थापित करने का एक प्रस्ताव है, यद्यपि छावनी का नहीं। राज्य सरकार के सलाह मशविरे सहित मामला विचाराधीन है।

New Five-Point Formula for West Asia Crisis

3142. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that President Nasser and Marshal Tito have prepared a new five-point formula to solve the West-Asia crises;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Ministr of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Government of India has been press reports about such a formula and also about its denial by the official spokesman of the U.A.R. Government. They have, however, no official confirmation of these reports.

(b) and (c) Do not arise.

Acquisition of Land in Danapur Cantonment

3143. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that land of the farmers of Mubark Pur Mohalla near Danapur Cantonment was acquired for defence purposes in 1964;

(b) whether it is also a fact that compensation has not been paid so far to these farmers;

(c) whether applications for payment of compensation were sent repeatedly by the farmers;

(d) if so, the reasons for not paying compensation to farmers so far; and

(e) when Government propose to make their payment ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Approximately 77 acres of land from village Mubarakpur were requisitioned during the year 1964 for Defence purposes. The lands are still under requisition.

(b) The competent authority has determined an annual rental compensation of Rs.11.730.50 for this land. It is the responsibility of the Land Acquisition Collector and the local revenue authorities of the State Government to disburse the compensation. It has, however, been ascertained that the rental compensation disbursed so far is as follows :—

Amount of Compensation paid	Pertinent year
Rs. 7,137.70	1964-65
Rs. 10,707.82	1965-66
Rs. 9,477.35	1966-67

Payment of rental compensation for the year 1967-68 is in hand.

(c) No such application appears to have been received by Government.

(d) The reasons reported for non-disbursement of the balance of the amount are :-

(i) Some of the parties have failed to turn up for receiving payment;

(ii) Some of the parties are dead and their legal successors have to establish their claim to collect the payment;

(iii) Some of the parties are not satisfied with the compensation fixed and have not accepted the amount offered.

(e) The Competent Authority namely the Land Acquisition Collector has been requested to expedite the disbursements.

News Broadcasts on Strike by Bihar Government Employees

3144. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether reports regarding the state of the strike of two lakhs non-gazetted employees of Bihar, who are on an indefinite strike since 11th July, 1968, were broadcast daily from Delhi, Patna, Bhagalpur and Ranchi Stations of the All India Radio;

(b) if so, whether it is also a fact that only anti-strike statements, news and talks were broadcast from these stations; and

(c) if so, the reasons and propriety thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

छावनी क्षेत्रों में भूमि का अर्जन

3145. श्री रामावतार शास्त्री : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 24 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8338 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह दिखाने के लिये कोई प्रमाण है कि तथाकथित मूल अलाटी को भूमि दिये जाने से पहले सरकार ने कानूनी तौर पर भूमि अर्जित करली थी;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच नहीं है कि इसके कारण जनता के साथ मुकदमेबाजी होती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि लोगों द्वारा छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के नियम 37 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिये बिना सैनिक सम्पदा अधिकारी 'ओल्ड ग्रांट्स' कहलाने वाली भूमि का विनियमन कर सकते हैं तथा इस प्रकार उस भूमि पर काबिज व्यक्तियों को बाध्य कर सकते हैं कि वह विवादग्रस्त भूमि को सरकारी भूमि स्वीकार कर लें; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 3, 4, 103, 127, 133, 143, 185 तथा विभिन्न अन्य धाराओं की ओर दिलाया गया है जिनसे प्रतीत होता है कि गैर-सरकारी व्यक्ति छावनियों के अन्तर्गत भूमि के मालिक भी हो सकते हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जनरल आर्डर नम्बर 179 दिनांक 12 सितम्बर, 1936 में दिए गए विनियम के अनुसार मूल ग्रांटी उस भूमि के लिए प्रार्थना कर सकता था, कि जिसे वह सरकार की संपत्ति मानता हो । यद्यपि सभी सरकारी सम्पत्ति की छावनी भूमियों के स्वामित्व अधिकारों का ठीक-ठीक ऐतिहासिक उद्भव का पता लगा पाना कठिन है, उक्त अधिकार मूल स्वामियों को मुआवजे की अदायगी, शासन के मुख्य के साथ संधि इत्यादि समेत विभिन्न तरीकों से प्राप्त किए गए थे ।

(ख) पूर्व भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कोई मजबूरी या दबाव नहीं है ।

(घ) जी हां । कुछ छावनी, कुछ निजी सम्पत्ति की भूमिएं हैं ।

सैनिक सेवा

3146. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सैनिक सेवा को अधिक आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को पर्याप्त संख्या में सैनिक अधिकारियों की भर्ती में कठिनाई महसूस हो रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्णसिंह):(क) तथा (ख) सेना सेविवर्ग की सेवा की शर्तों में समय समय पर संशोधन किया जाता है ताकि सेना में वृत्तिक को अधिक आकर्षक बनाया जा सके । सरकार द्वारा अगस्त 1967 में नियुक्त की गई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर सेना सेविवर्ग अफसरों और अवर श्रेणियों दोनों के भत्तों और सेवा की शर्तों और हालतों में काफी सुधार हुआ है । कुछ महत्वपूर्ण सुधार इस प्रकार हैं :—

(1) अफसरी पद से नीचे सेविवर्ग के लिए मंहगाई भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते को असैनिक दरों के 2/3 से बढ़ा कर असैनिक दर का 80 प्रतिशत कर देना ।

(2) अफसरी पद से नीचे के सेविवर्ग की हालत में पूर्वके नियमों के अधीन प्रति पांच वर्ष के पश्चात तरक्की के स्थान पर वार्षिक तरक्की ।

(3) अफसरी पद से नीचे सेविवर्ग के प्रतिशत में वृद्धि कि जिन्हें विवाहितों के लिए कुटुम्बवास्य स्थानों की सरकार द्वारा अप्राप्यता पर क्वार्टर के बदले मुआवजा दिया जाता है ।

(4) उस क्षेत्र का प्रसार कि जिसमें अफसरों तथा अफसरी पद से नीचे सेविवर्ग का उच्च स्थानीय/प्रतिकूल वातावरण के लिए भत्ता दिया जाता है ।

(5) अफसरों के औटफिट के नवकिरण भत्ते में वृद्धि । यह 1 मार्च, 1968 से लागू हुए ।

सरकार अफसरों और अन्य श्रेणियों के सम्बन्ध में वर्तमान पेनशनी शर्तों को उदार बनाने के लिए कई प्रस्तावों पर विचार कर रही है, जैसे कि सेवा पेन्शन, अफसरी पद से नीचे सेविवर्ग के लिए उपदान मान, रिजर्विस्टों को कुटुम्ब पेन्शन के दरों में वृद्धि, कमीशन प्राप्त अफसरों के सम्बन्ध में आश्रित पेन्शन प्रदान करने सम्बन्धी दरों और शर्तों, कमीशन प्राप्त अफसरों के सम्बन्ध में कुटुम्ब पेन्शन/मृत्यु उपदान प्रदान करने के सम्बन्धी दर और शर्तें तथा कुटुम्ब पेन्शनी अवार्ड ।

2. सेना में वृत्तिक संभावनाओं में सुधार करने के लिए 1-3-1968 से उच्च पदों में हाल ही में कुछ नियुक्तियों को अपग्रेड किया गया है ।

(ग) सेना की गैर-तकनीकी और तकनीकी दोनो ब्रांचों में अफसरों की कुछ कमी रही है । कुछ समय के अन्दर अन्दर इस कमी पर पार पाने के लिये भर्तों के कार्यक्रम में उपयुक्त समंजन करके सरकार ने उपयुक्त उपाय किये हैं । सेना की तकनीकी ब्रांचों में यह अफसरों की पर्याप्त संख्या प्राप्त करने में पिछले समयों में कुछ कठिनाई रही हैं, परन्तु इस कठिनाई का इस समय सामना नहीं करना पड़ रहा, और भर्त्ती के लक्ष्यों के विरुद्ध उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में आगे आ रहे हैं ।

केरल में चौथी योजना के लिये केन्द्रीय सरकार की योजनाएं

3147. श्री अदिचन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने जुलाई, 1968 के दूसरे सप्ताह में योजना आयोग को दिये एक ज्ञापन या नोट में यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार को चौथी अवधि में केन्द्र के तत्वाधान में कोई योजना नहीं बनानी चाहिये और केन्द्र सरकार का जिन योजनाओं में भाग है उनमें काफी कटौती कर दी जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार द्वारा ज्ञापन में क्या यथार्थ मांगे रखी गई है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती **इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख) जी हां, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने मार्च, 1968 को यह सुझाव दिया था कि केन्द्र के तत्वावधान की श्रेणी में आने वाली योजनाओं को पूर्णतया छोड़ दिया जाय तथा इस प्रकार की योजनाओं में काफी कटौती की जाये और केवल बुनियादी राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं को लिया जाये ।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति के अन्तर्गत यह प्रश्न विचाराधीन है ।

कोलम्बो बन्दरगाह में तूतीकोरिन वोट को रोक लिया जाना

3148. श्री अदिचन : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका के सीमा शुल्क अधिकारियों ने जुलाई, 1968 में माल की कथित हानि के आधार पर कोलम्बो बन्दरगाह में एक तूतीकोरिन वोट को रोक लिया था ।

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीलंका के सीमा शुल्क अधिकारियों ने उस वोट के अधिकारियों पर 10,000 रुपये जुर्माना किया था ; और

(ग) उस वोट को कैसे मुक्त कराया गया था ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) असबाब के 3559 अददों में से 247 बोरे समुद्र में गिराने के बाद नौका नंबर टीटी एन 30 तीन जून को कोलंबो पहुंची थी ; ये माल उसने समुद्र में इसलिये फेंक दिया था कि विक्षुब्ध समुद्र के कारण इस नौका और इसके चालक वर्ग के लिए ही खतरा पैदा हो गया था । इस नौका के मास्टर की सफाई से सन्तुष्ट न होने पर, श्रीलंका के सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने जबानी तौर पर उसे यह बताया कि उस पर 10,000/-रुपये का जुर्माना किया गया है । हमारे हाई कमीशन ने इस मास्टर की ओर से सीमाशुल्क प्राधिकारियों के सामने पैरवी की । चूंकि उन्होंने जुर्माना अदा करने पर जोर दिया, इसलिए इस नौका के एजेंटों ने 1 जुलाई को श्रीलंका के अटार्नी जनरल को यह नोटिस दे दिया कि वे सीमांशुल्क प्राधिकारियों के आदेश के खिलाफ कोलम्बो की जिला कचहरी में अर्जी दायर करेंगे । कोलंबो में इस नौका के एजेन्टों ने इस बात का संकेत दिया हैं कि जुर्माने की अदायगी के बारे में वे उक्त न्यायालय के फैसले को मानेंगे ; इसके बाद श्रीलंका प्राधिकारियों ने 14 जुलाई को इस नौका को छोड़ देने का आदेश दे दिया और वह 15 जुलाई को कोलम्बो से भारत के लिए रवाना हो गई ।

"एप्रोच टु दि फोर्थ फाइव इयर प्लान" सम्बन्धी पत्र

3149. श्री शिवचन्द्र झा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एप्रोच टू दि फोर्थ फाइव इयर प्लान" सम्बन्धी पत्रों में समाज के समाजवादी ढांचे" के आदर्श तथा "आत्म-निर्भरता" के प्रक्रम का कोई उल्लेख नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस पुस्तिका के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक "आत्म-निर्भरता" के प्रक्रम तक पहुंच जायेगी ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं। "समाज के समाजवादी ढांचे" का आदर्श हमारी योजनाओं के व्यापक स्वरुप में शामिल है तथा हमारी योजनाओं का समूचा ढांचा अब भी आत्म निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य पर आधारित है। "एप्रोच" नामक पत्र में सरकारी क्षेत्र को जारी रखने, सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार, विराम की प्रक्रिया में कमजोर वर्गों द्वारा यथासम्भव अधिक भाग लेना तथा विकास के लाभ के अधिक अच्छे वितरण दर्शाये गये हैं ;

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जब अगस्त, 1966 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तो यह अनुभव किया गया था कि छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने तक अर्थ व्यवस्था आत्म निर्भर हो जायेगी। तब से उत्पन्न हुये कारणों की दृष्टि से इस पर पुर्नविचार किया जा रहा है।

(ग) (1) सेना, नौसेना तथा वायुसेना के अधिकारियों का यात्रा भत्ता

(2) शान्ति वाले क्षेत्र में यात्रा करते समय

(एक) अस्थायी ड्यूटी पर–

प्रत्येक दस किलोमीटर अथवा पांच किलोमीटर से अधिक उनके भाग पर 35 पैसे प्रासंगिक व्यय ; अथवा प्रत्येक 24 घंटे अथवा उसके भाग की रेलवे यात्रा पर सामान्य दर से एक दिन का दैनिक भत्ता जो भी कम हो।

(दो) स्थायी ड्यूटी पर––

उपरोक्त (एक) में दिये गये दर से दुगुने दर पर प्रासंगिक व्यय तथा आधे महीने का वेतन परन्तु कुल राशि 150 रुपये से अधिक न हो।

(ख) सामरिक क्षेत्र को / से यात्रा करते समय––

10 रुपये प्रति दिन की दर से यात्र, दैनिक भत्ता।

(2) सेवा के कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी / वारंट अफसर। अन्य पदालियों (अदर रैंकस) तथा नौसेना और वायुसेना की तदनुसार पदालियों के लिये यात्रा भत्ता:––

(क) ड्यूटी पर ।

यात्रा करते समय .... 4.50 रुपये प्रति दिन

(ख) छुट्टी पर ।

यात्रा करते समय.....3.50 रुपये प्रति दिन

टिप्पणी : स्थानान्तरण के समय दोनों स्थानों पर अधिकृत विवाहित संस्थापनाओं के वर्ग में आने वाले अधिकारियों अथवा उन अधिकारियों को जिनके परिवारों को स्थानान्तरण के समय ड्यूटी स्टेशन पर रहने की अनुमति दी गई थी, निम्नलिखित दर पर भी नकद भत्ता दिया जाता है ।

जे पी ओ/ओ पी ओ/एम डब्लयू ओ/डब्लयू जे/ फ्लाईट सार्जेंट.... 40 रुपये

अन्य..... 30 रुपये ।

प्रतिरक्षा पर व्यय

3150. श्री शिवचन्द्र झा : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रतिरक्षा पर कुल कितना खर्च किया जाता है ;

(ख) इस में से अलग अलग कितना और कितने प्रतिशत खर्च स्थल सेना तथा नौ सेना के लिये नियत किया जाता हैं ;

(ख) इसमें से कितना खर्च चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में आधुनिकतम युद्धतकनीकों पर किया जाता है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार आधुनिकतम युद्ध-तकनीकों पर खर्च में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो कितनी और किस तरह से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) 1968-69 का कुल अनुमानित (नेट) रक्षा खर्च 1015.26 करोड़ रुपये है ।

(ख) सेना, नौसेना और वायु सेना पर केपिटल निर्माण कार्यों और इन सेवाओं के लिये पेन्शनों समेत खर्च इस प्रकार है :-

सेना	770.34 करोड़ रुपये	–	75.9 प्रतिशत
नौसेना	56.05 करोड़ रुपये	–	5.5 प्रतिशत
वायु सेना	188.87 करोड़ रुपये	–	18.6 प्रतिशत

(ख) तथा (ग) कुल अनुमानित खर्च समग्रतौर पर देश के किसी संकट से बचाव के लिए है । सेवाओं को पुनः सज्जित करने और आधुनिकीकरण का काम प्रगतिशील है, देश की रक्षा के लिए किसी संकट को सामने रखते यह एक निरन्तर प्रक्रिया है । अब तक उठाए गए पगों के परिणाम स्वरूप, और उन पगों के परिणाम स्वरुप जो विचाराधीन है सशस्त्र सेनाओं की संक्रियात्मक कुशलता बढ़ाने की आशा है ।

Reorganisation of wards in Nasirabad Cantonment

3151. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that reorganisation of wards which have been formed for the elections of Nasirabad Cantonment Board in Rajasthan is under consideration of Government ;

(b) if so, the basis there of ;

(c) whether it is also a fact that seats have not been reserved for Scheduled Castes on the basis of their population ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) if not, the number of Scheduled Castes voters in the said wards and the percentage with which they have been formed ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (e) There are at present six wards in Nasirabad Cantonment. of these one is a double member ward with a seat reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes. According to the 1961 census, the Scheduled Caste/Tribe population of Nasirabad Cantonment was 5105 i. e. approximately 20% of the total population, and accordingly a reserved seat has been provided to the Scheduled Castes/Tribes. The term of the present Board expires on 15th April 1970. It is proposed to constitute as far as possib e only single member wards and provide a reserved seat for Scheduled Castes/Scheduled Tribes also in the proposed delimitation. Proposals, for the delimitation of wards have however not yet been received from the Cantonment Board, Nasi abad.

Talks on Demarcation of Indo-Pak Boundaries

3152. **Shri Bibhuti Mishra** :
Shri R. Barua :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indo-Pak demarcation of boundary talks held in Calcutta on the 16th July, 1968 were called off within ten minutes ;

(b) if so, the reasons therefor and whether the matter was taken up with the Pakistan Government ;

(c) whether talks were held later ; and

(d) if not, whether talks are likely to be held again in the near future ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi : (a) to (d) Talks between the Directors of Land Records and Surveys of West Bengal and East Pakistan were held in Calcutta not only on the 16th July, 1968, but also on the 17th July, 1968. At the end of these talks certain agreed decisions were reached. Among other things, the Dircectors of Land Records decided to take necessary steps to ensure that there was no obstacle in the way of expeditious demarcation of the boundary in accordance with the agreed programme. The D. L. Rs are expected to meet again in Dacca in September. 1968.

चीन द्वारा नेफा लद्दाख सड़क का निर्माण

3153. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सचहै कि चीन ने नेफा से लद्दाख तक एक पक्की डामर की सड़क बना ली है जो सैनिक कार्यवाही में उपयोगी सिद्ध हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सैनिक कार्यवाहियों के लिए सरकार ने भी कुछ पहुंच सड़कें बनाई हैं ;

(ग) इन सड़कों के नाम क्या हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या भारत ने कोई पहाड़ी रेलवे लाइन भी बिछाई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ) उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी के उस पार क्षेत्रों को लद्दाख क्षेत्र के उस पार के क्षेत्रों को मिलाने वाली एक सड़क कुछ समय से विद्यमान हैं । अपनी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले दूसरी ओर के सभी संवर्धनों का अपनी संक्रियात्मक योजनाओं में ध्यान रखा जाता है, और अपनी ओर संचार सुविधाओं के विकास समेत उपयुक्त उपाय किये जाते हैं । उनके विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

जामनगर में प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये भूमि

3154. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामनगर में प्रतिरक्षा सेवाओं की भूमि पर असैनिक अधिकारियों ने कब्जा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भूमि को खाली कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इलेक्ट्रानिक उद्योग

3155. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पंजाब में लुधियाना में इलैक्ट्रानिक उद्योग के विकास के लिए एक विभाग (सैल) स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के औजारों का उत्पादन किया जायेगा ;

(ग) इस विभाग पर कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के स्थान पर ऐसा विभाग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ) लुधियाना या गोरखपुर में ऐसा कोई कक्ष स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

चीन का अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र

3156. श्री रा० की० अमीन : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में चीन की अपने अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र के परीक्षण की तैयारी के बारे में छपे समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह : (क) जी हां ।

(ख) जैसा कि पहले अवसरों पर सदन में बताया जा चुका है चीन द्वारा नाभिकीय आयुधों का विकास, कि जहां तक उसका हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने का सम्बन्ध है सरकार द्वारा आंकन का निरन्तर विषय बना रहा है, और नाभिकीय आयुधों के प्रति सरकार का रवैया भी कई अवसरों पर स्पष्ट कर दिया गया है ।

Broadcast of Film Songs on Request of Pakiston Citizens

3157. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether there is an agreement between India and Pakistan on the programme of songs which are included on the request of the citizens of Pakistan in the Radio Programme of Vividh Bharati ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the justification for broadcasting songs on the request of Pakistani citizens in a programme primarilymeant for Indian citizens ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Citizens of Pakisthan, who request for broadcast of songs of their choice are treated as listeners. Vividh Bharati Service is fairly popular in some neighbouring countries. Requests for films songs received from the citizens of these countries are also considered along with requests received from listeners with in the country.

Broadcasts of Voices and Side-Talks in the Studios

3158. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain voices and side going talks on the Studios of All India Radio Delhi are also broadcast along with the main broadcasts particularly during the course of news broadcasts which are jarring to the listeners ; and

(b) if so, the steps taken to stop them ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir, but such occasions are very rare. These are due to high level programmes in other studios, defects occurring in telephone lines or operational errors attributable to human failure.

(b) All precautisons are taken while using the studios to minimise chances of voices in one studio interfering with programmes in another. The accidental technical faults, including cross talk caused by telephone line induction, are attended to promptly, and a schedule of preventive maintenance, is maintained to keep them down to the minimum.

चीन के सैनिक उपकरण के मुकाबले में भारतीय सैनिक उपकरण

3159. श्री जे० एच० पटेल : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत प्रतिरक्षा उपकरणों पर 1.8 बिलियन रुपये खर्च कर रहा है ;

(ख) क्या भारत के उपकरण सामान्यतः चीन के उपकरणों के मुकाबले के होते हैं अथवा उनसे अधिक आधुनिक होते है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) चालू वर्ष के रक्षा सेवाओं के अनुमानों में आर्डनेंस, एम० टी० गाड़ियों, नोसेना और वायु सेना से संबन्धित सामान और उपकरणों के लिए 200 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

(ख) तथा (ग) : सशस्त्र सेनाओं को पुनः सज्जित करने और आधुनिकीकरण का कार्य प्रगतिशील है, कि जिस में लाजिस्टिक और सक्रियात्मक संक्रियाओं का ध्यान रखा जाता है। देश की सुरक्षा के लिए किसी संकट का सामना करने के लिये सशस्त्र सेनाओं की क्षमता और संक्रियात्मक कुशलता सुनिश्चित करने के लिए यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

तुलिहाल हवाई अड्डा

3160. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के तुलिहाल हवाई अड्डे के विस्तार का कार्यक्रम निश्चित समय के अन्दर नहीं हो सका है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या तुलिहाल हवाई अड्डे के विस्तार के काम में लगे हुए श्रमिकों ने हड़ताल कर दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस की शिकायतें क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब ; वर्षा ऋतु के अन्त तक भूपरत के स्थायीकरण का काम असाधारण भारी वर्षा द्वारा रूका रहना कि जिस पर आधारित अन्य निर्माण कार्यों में विलम्ब हुआ ; और समय पर पर्याप्त जल संभरण के अभाव के कारण तल को पक्का करने में विलम्ब ।

(ग) तथा (घ) सूचना सहज प्राप्य नहीं है । सूचना इकट्ठी की जा रही है, और जभी प्राप्त हुई, सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

टैगोर संगीत के प्रसारण पर पाकिस्तान द्वारा प्रतिबन्ध का लगाया जाना

3161. श्री देवेन सेन : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने टैगोर के संगीत के प्रसारण और उसकी रचनाओं के प्रकाशन पर प्रतिब ध लगा दिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

प्रधान मन्त्री, अण शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) सरकार को ऐसी खबरें मिली है कि पाकिस्तान सरकार ने टैगोर के ऐसे गीतों के रेडियो प्रसारणों पर प्रतिबन्ध लगा दिया हैं जो पाकिस्तान के सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत हैं । सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान सरकार ने टैगोर की कृतियों के प्रकाशन पर ही विशेष रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया है हालांकि पूर्व पाकिस्तान में ऐसी पुस्तकों के पुर्नमुद्रण पर आम प्रतिबन्ध है जो पहले कभी दूसरे देश में प्रकाशित हुई हों ।

(ख) टैगोर के कुछ गीतों का रेडियो पाकिस्तान पर प्रसारण बन्द कर देने के पाकिस्तान सरकार के फैसले से पूर्व पाकिस्तान में आग्रोश फैल गया है । आशा है पाकिस्तान सरकार इस प्रतिबन्ध को उठा लेगी ।

पश्चिमी जर्मनी से टैंक

3162. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिमी जर्मन सरकार से भारतीय विनिर्देश के अनुसार लीयोपार्ड टैंक सप्लाई करने के सम्बन्ध में बातचीत की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब यह टैंक भारत को सप्लाई करने के लिए तैयार हो गये, तो सरकार ने इस प्रस्ताव को त्याग दिया :

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय विनिर्देश के अनुसार पश्चिमी जर्मनी द्वारा तैयार किये गये इन लियोपार्ड टैंक को अब पाकिस्तान सरकार खरीद रही है ;

(घ) यदि हां, तो इन टैंकों को खरीदने के विचार को त्यागने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी में काम

3163. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई विशेष ऐसा अनुमान लगाया है कि विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी में काम करने के लिए इस समय क्या व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक नहीं है ; और

(ग) उन दूतावासों में हिन्दी में पत्राचार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। आजकल अधिकांश मिशन अपेक्षाकृत साधारण पत्र-व्यवहार हिन्दी में कर सकने की स्थिति में हैं। अन्य कामों के लिए जिनमें हिन्दी के ऊंचे स्तर के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है उनके बारे में उनसे कहा गया है कि वे इस मंत्रालय से सहायता लें।

(ख) हिन्दी में किये जाने वाले काम की प्रकृति और मात्रा को ध्यान में रखते हुये वर्तमान प्रबन्ध संतोषजनक हैं।

(ग) विदेश स्थित सभी मिशनों को अनुदेश जारी कर दिये हैं कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर यथा सम्भव उसी भाषा में दिया जाए।

Army Education Corps

3164. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7347 on the 31st July, 1967 regarding Education Corps and state :

(a) the dates on which atlasses, maps, globes, charts and such other articles were requisitioned by the Army Education Corps;

(b) the total amount spent by Government on their purchase;

(c) whether Government are aware that the price per atlas was reduced from Rs. 5/- to Rs. 4/- with effect from the 3rd November, 1966;

(d) if so, whether Government had kept in view the reduced price of atlasses while requisitioning them; and

(e) if not, the action Government propose to take in this connection and the amount of loss that Government had to suffer thereby ?

The Minister of Defence (Shri Sardar Swaran Singh) : (a) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) Rs. 89,850.70 P.

(c) and (d) : It is a fact that the price per school atlas published and printed by the Survey of India was reduced from Rs, 5/- to Rs. 4- w. e. f. 3rd November 1966 but, this fact was not known till 23-3-1968 either to the Army Headquarters or the lower formations who had purchased copies of this Atlas, until a reference was made to the Survey of India in March, 1968.

(e) The loss involved is approx. Rs. 85/- as only 94 copies of this school atlas published and printed by the Survey of India were purchased by the lower formations at Rs. 5/- per copy less certain discount. Action has been initiated to recover from the suppliers the excess amount charged by them.

Foreign Visits of Union Ministers

3165. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to enforce a rule to the effect that no Union Minister will accept the invitation for a foreign visit without the prior approval of the Prime Minister;

(b) whether it is also a fact that the approval of Finance Minister will also be required in case foreign exchange is involved for such a visit; and

(c) if so, the circumstances under which Union Ministers will be allowed to go on a foreign visit ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) All cases of deputation of Ministers abroad come for final approval to the Prime Minister, through the Deputy Prime Minister who is in-charge of the Finance portfolio.

(c) Foreign visits are undertaken by Ministers according to actual requirements, with due regard to the need for economy specially in the matter of foreign exchange.

Asia Foundation office

3166. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Office of Asia Foundation in India will be closed shortly; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The office of the Asia Foundation in India was closed on 31st July, 1968.

(b) Because the Asia Foundation had received part of its funds from a suspect source and there was no guarantee that it would not have done so in future.

Disability of Soldiers Due to T. B.

3167. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether such soldiers of the Indian Army, Navy and Air Force as have been discharged from active service on account of their disability due to tuberculosis will be

allowed to avail themselves of the indoor patient facilities in Military hospitals, in case they are again under grip of tuberculosis; and

(b) if so, the number of such ex-Servicemen who have been given such facilities so far in various Military hospitals in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M R. Krishna) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

Road Linking U. S. S. R., Pakistan, Afghanistan and India

3168. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state

(a) whether Government have received any suggestion from the Governments of U. S. S. R , Pakistan and Afghanistan on the construction of a road linking India, the U. S. S. R., Pakistan and Afghanistan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Ministr of Planniug and Minister of External Affair. (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

व्यापार तथा औद्योगिक आयोजन

3169 श्री म० ला० सौंधी : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी अन्य देश के साथ भारत के व्यापार तथा औद्योगिक आयोजन का तारतम्य स्थापित करने को सहमत हो गई है;

(ख) भारतीय योजना आयोग ने किन-किन देशों को दल भेजे, उन दलों के सदस्य कौन थे, वे दल कितने समय के लिए दौरे पर रहे और उन्होंने क्या-क्या करार और समझौते किये; और

(ग) क्या सरकार ने कुछ यूरोपीय देशों के अनुभव पर विचार किया है जिन्होंने आर्थिक क्षेत्र में आपसी सम्बन्धों की व्यवस्था की थी और जो बाद में इस नतीजे पर पहुंचे कि इसके फलस्वरूप उनकी राष्ट्रीय योजना की स्वायतता समाप्त हो गई ।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सम्भवतः इशारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के आधीन शिष्टमण्डल के रूस के दौरे की तरफ है, दिनांक 24-7-68 के अतारांकित प्रश्न संख्या 718 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है, शिष्टमंडल के गठन, दौरे की अवधि आदि के ब्यौरे को अभी अन्तिम रुप देना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम एशिया के बारे में आकाशवाणी द्वारा समाचारों का प्रसारण

3170 **श्री म० ला० सौंधी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली 'आर्बिट' नामक पत्रिका में हाल में 'आकाशवाणी' द्वारा पश्चिम एशिया सम्बन्धी समाचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटनों में समाचारों का सही प्रसारण किया जाये, क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) रिपोर्ट में दी गई बातें सही नहीं है । पश्चिम एशिया की घटनाओं सम्बन्धी समाचार आकाशवाणी निष्पक्ष रूप से प्रसारित कर रहा है ।

भारतीय वायु सेना का भविष्य संदिग्ध

3171 **श्री म० ला० सौंधी** : क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1968 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपे एक लेख की ओर दिलाया गया है, जिसका शीर्षक था भारतीय वायु सेना का भविष्य सदिग्ध (आई० ए० एफ्स, फ्यूचर इन दी बैलेन्स) ;

(ख) क्या इस लेख में हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त सैनिक विमान बनाये जाने की क्षमता पर सन्देह प्रकट किया गया है: और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : लेख लेखक के निर्धारण के अनुसार आई० ए० एफ० द्वारा आवश्यक विमानों के सम्बन्ध में एच० ए० एल० की अभिकल्पन तथा निर्माण क्षमता के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट करता है। यह विचार उसके अपने है, और उनके सम्बन्ध में रिजर्व से काम लेना चाहिये । विशेषकर एच०ए०एल० के मैनेजिंग डारेक्टर के नाम से उल्लिखित विवरण निराधार है कि आई० ए० एफ० की आवश्यकता पूरी करने के लिए एच० ए० एल० एक विमान का भी उत्पादन नहीं कर सकते ।

एक कांग्रेसी नेता की वार्ताओं को रिकार्ड किया जाना

3172 **श्री टी० पी० शाह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या यह सच है कि आकाशवाणी का प्रसारण अनुभाग कांग्रेसी नेता तथा उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर के एक स्थानीय पत्रकार श्री वाचस्पति की वार्ताएं रिकार्ड कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केवल एक दल विशेष के नेताओं की ही वार्ताएं रिकार्ड की जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) बुलन्द शहर के श्री वाचस्पति की वार्ता का आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा केवल एक बार रिकार्ड किया गया था। उनका भाषण बुलन्दशहर क्षेत्र में किसानों के एक नये सहकारी व्यापार किसान सहकारी मण्डी के उपर स्पाट रिकार्डिग के एक अंश के रूप में रिकार्ड किया गया था ।

(ख) श्री वाचस्पति का किसी दल से सम्बन्धित होने के कारण बुक नहीं किया गया, परन्तु इसलिये बुक किया गया कि वे कार्यक्रम के विषय, जिसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है, के बारे में ज्ञान रखते थे औ उससे उनका सम्बन्ध था। विभिन्न राजनैतिक दलों से सम्बन्धित व्यक्तियों को आकाशवाणी के कार्यक्रमों में किसी विषय में उनके ज्ञान और प्रसारण-कर्ता के रूप में उनकी योग्यता के आधार पर स्थान दिया जाता है ।

Hostile Nagas Preparations for Armed Rebellion

3173. Shri T. P. Shah : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hostile Nagas had stored a large quantity of automatic weapons from China to stage an armed rebellion and to cut off Assam from the rest of India; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) : The Government are aware of the efforts of a certain sections of Under ground Nagas to obtain arms and ammunition from abroad and to establish contacts with foreign powers. It is also known that some of the Underground have returned with arms and ammunition from China. Suitable measures have been taken to strengthen security measures to prevent and counteract such hostile activities.

हथियारों के सौदे के बारे में पाकिस्तानी प्रचार

3175 श्री रा० बरुआ : **श्री सीताराम केसरी :**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री लीलाधर कटकी :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सभी सम्भव स्त्रोंतो से हथियार तथा उपकरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, साथ-साथ वह विदेशों के साथ चुपचाप शस्त्र सौदे करने के रद उद्देश्य से और भारत की ओर से उसकी सुरक्षा को बने खतरे के बारे में भारत के विरुद्ध झूंठा प्रचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में पाकिस्तानी प्रचार को निष्प्रभावी बनाने तथा पाकिस्तान की चालों का भंडाफोड़ करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधानमन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमति इंदिरा गाँधी) : (क) जी, हां ।

(ख) मित्र-देशों की सरकारों को सही तथ्यों की जानकारी देकर, सरकार पाकिस्तान के इस झूंठे प्रचार के बारे में उनको सूचना देती रहती है ।

हथियारों की खरीद के लिये बैल्जियम द्वारा पाकिस्तान को ऋण

3176 श्री रा० बरूआ : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि बैल्जियम पाकिस्तान को दस लाख डालर का दीर्घ-कालीन ऋण मुख्यतया हथियार आदि खरीदने के लिये दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके फलस्वरुप उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : सरकार ने इस विषय की प्रेस रिपोर्ट देखी है, परन्तु इन रिपोर्टों की पुष्टि करने के लिये उसके पास कोई सूचना नहीं है । तदपि विभिन्न देशों से पाकिस्तान को आयुधों की प्राप्ति के अभिप्रेत के प्रति सरकार सजग है । और स्थिति का सामना करने के उचित पग उठाए गए हैं ।

पाकिस्तान द्वारा भारत से खतरे की झूंठी चेतावनी

3177 श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान यूरोप में हथियार खरीदने की कोशिश में अपनी सुरक्षा को भारत से खतरे का पुनः झूठा प्रचार कर रहा है;

(ख) क्या पाकिस्तान की तैयारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी अन्य देशों से हथियार खरीदने की कोशिश की है और इसमें भारत को क्या सफलता मिली है; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर हथियार एकत्र करने को ध्यान में रखते हुये भारत ने अन्य क्या तैयारियां की हैं ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) हमारे विरूद्ध कुछ समय से पाकिस्तान के इस प्रकार के निरन्तर प्रचार का सरकार को ज्ञान है । सरकार को पाकिस्तान की विभिन्न देशों से आयुध प्राप्त करने के प्रयासों और उनकी अन्य सैनिक तैयारियों का भी ज्ञान है ।

(ख) तथा (ग) : सीमाओं पर किसी संकट का सामना करने के लिये रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने उचित उपाय किये है। विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा।

हिमालय के सीमावर्ती देशों की परियोजना को अमरीका द्वारा वित्तीय सहायता देना

3178 **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रतिरक्षा विभाग द्वारा 'हिमालय के सीमावर्ती देशों की परियोजना के वित्तपोषण के बारे में प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा 21 जुलाई, 1968 के 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित समाचार सही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री : (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) : इस विषय पर एक वक्तव्य 5 अगस्त, 1968 को सदन में दिया जा चुका हैं।

Indians from Kenya

3179. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian immigrants possessing British passports who have come to India from Kenya so far;

(b) whether Government have taken or propose to take a decision to rehabilitate these persons permanently in India; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister Minister, of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Approximately 3700.

(b) and (c) : The question of their rehabilitation in India does not arise as they came on short term visas and besides they are the responsibility of the British Government.

चीनी दूतावास के अधिकारियों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध

3180 **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पेकिंग में भारतीय अधिकारियों पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण नई दिल्ली में चीनी दूतावास के अधिकारियों की गतिविधियों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये थे, उन्हें सरकार ने हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी अधिकारियों की गतिविधियों पर लगे हुए प्रतिबन्धों को पारस्परिक आधार पर हटाया गया है;

(ग) यदि हां, तो दोनों सरकारों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों को किस सीमा तक हटाया गया है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' हो तो सरकार द्वारा चीनी अधिकारियों पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारतीय गोरखों की भर्ती

3181 **श्री वासुदेवन नायर** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सेना में भारतीय गोरखों को भर्ती करने का ब्रिटेन की सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री : (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी यूरोपीय देशों से शस्त्रों की खरीद

3182 **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यूरोपीय देशों से रुपयों में भुगतान के आधार पर शस्त्र खरीद रही है;

(ख) यदि हां, तो इन समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि रूसी सरकार को पाकिस्तान को शस्त्रों के सम्भरण के निर्णय के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों ने रुपयों में भुगतान की बजाय विदेशी करेंसी में भुगतान किये जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति का प्रभावी रूप से सामना करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : कुछ रक्षा उपकरण और सामान पूर्वी यूरोपियन देशों से रुपयों में अदायगी के आधार पर नकद खरीदा जाता है या निलम्बित अदायगी की शर्तों पर । कुछ हालतों में आंशिक अदायगी स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा में भी की जाती है, कारनामों के विस्तार देना लोकहित में नहीं है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) तथा (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में जवानों के लिये भूमि

3183 **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने जवानों को खेती के लिये तथा रिहायश के लिये अब तक भूमि दी गई है;

(ख) जवानों के कितने आवेदन पत्र इस समय अनिर्णित पड़े हैं; और

(ग) उन पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एम० आर० कृष्ण) : (क) से (ग) : सूचना गुजरात राज्य सरकार से मांगी गई है और यथा समय सभा के पटल पर रखदी जाएगी।

आदिम जाति विकास सम्बन्धी अध्ययन दल

3184 **श्री छ० म० केदरिया** :
श्री कार्तिक ओराओं :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) योजना आयोग द्वारा नियुक्त किये गये आदिम जाति विकास सम्बन्धी अध्ययन दल ने कितनी प्रगति की है;

(ख) राज्यों के प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप देने से पहले विचार विमर्श के लिये अब तक किन किन राज्यों को निमंत्रित किया गया है;

(ग) राज्यों के प्रतिवेदनों को अन्तिम रुप देने के संबंध में विचार विमर्श के लिये सम्बन्धित राज्यों के किन किन सहयोजित सदस्यों को आमंत्रित किया गया है;

(घ) इस अध्ययन दल पर मानदेय भत्ते, कार्यालय व्यय, दौरों आदि के रूप में अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है; और

(ङ) इस अध्ययन दल का प्रतिवेदन कब मिलने की सम्भावना है और आदिम जातीय विकास सम्बन्धी अध्ययन दल के निदेश पद तथा कार्यविधि क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री : (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) दल ने सभी राज्यों के आदिम जाति क्षेत्रों का और लक्कदिव को छोड़ कर उन सभी संघीय क्षेत्रों का दौरा किया है जहां आदिम जाति की आबादी है। 13 राज्यों और 7 संघीय क्षेत्रों के 20 प्रतिवेदनों में से 10 राज्यों और 6 संघीय क्षेत्रों के प्रतिवेदनों के मसौदे तैयार कर लिये गये हैं। शेष प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) नागालैंड और हिमाचल प्रदेश

(ग) नागालैंड और हिमाचल प्रदेश

(घ) जुलाई 1968 तक 3,43,631 रुपये ।

(ङ) (1) अखिल भारतीय प्रतिवेदन, जिसमें दल के सामान्य निष्कर्ष और सिफारिशें शामिल होंगी, आशा है सितम्बर, 1968 तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा । राज्यवार प्रतिवेदन, आशा है, सम्बद्ध राज्यों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के बाद प्रस्तुत कर दिये जाएंगे ।

(2) अध्ययन दल के लिये निदेश इस प्रकार हैं :

(क) प्रत्येक राज्य के आदिम जाति समुदायों की समस्याओं और आवश्यकताओं का अध्ययन करना;

(ख) आदिम जाति विकास कार्यक्रमों के कार्य का, विशेषरूप से तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान के कार्यक्रमों के कार्य का मूल्यांकन करना;

(ग) अभी तक तैयार की गई स्कीमों से आदिम जाति समुदायों को सामान्य विकास कार्यक्रमों से होने वाले लाभों में उचित भाग प्राप्त करने में कितनी सहायता मिली है, यह निश्चित करना;

(घ) प्रगति में तीव्रता लाने के लिये चौथी योजना की स्कीमों में किस पद्धति से सुधार किया जाय, इस विषय में ब्यौरे वार सिफारिशें करना ;

(ङ) इस सम्बन्ध में उपाय सुझाना कि प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए और आदिम जाति के नेतृवर्ग और संस्थाओं को किस प्रकार कार्य में संलग्न किया जाए जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास में वे निश्चित रूप से पूरा भाग ले सकें ।

(3) दल की कार्यविधि 30 सितम्बर, 1968 तक के लिए स्वीकृत की गई हैं।

लन्दन में हिन्दू मन्दिर बन्द किया जाना

3185 **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में बोर्नेट म्युनिसिपल कमेटी ने लन्दन में गोल्डर्स ग्रीन क्षेत्र में स्थित हिन्दुओं के एक मात्र मन्दिर को बन्द करने का आदेश दिया है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि यह मन्दिर वहां पर पिछले अनेक वर्षों से विद्यमान है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मन्दिर को गिराने के बारे में ब्रिटिश सरकार से विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख : जिस मन्दिर का जिक्र किया गया है वह एक निजी मकान है जिसमें श्रीमती बनारसी नाम की एक महिला ने भोजनालय खोल रखा है, जो संभवतः भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। कुछ महीने पहिले इस महिला ने इसके स्वागत कक्ष में कई मूर्तियां लगा दी। ऐसा समझा जाता है कि पिछले कुछ महिनों में बाहर के कुछ लोगों को भी पूजा के लिए इस मकान में बुलाया गया है। स्थानीय म्युनिसिपल कानूनों के अन्तर्गत समुचित अधिकारियों की अनुमति पहले लिए बिना किसी भी रिहायशी स्थान को पूजा स्थान में नहीं बदला जा सकता। ऐसा लगता है कि इस महिला ने आवश्यक अनुमति पहले नहीं ली और इस सिलसिले में बार्नेट म्युनिसिपेलिटी ने उन्हें नोटिस दे दिया है कि वे अपने मकान का इस्तेमाल मन्दिर के रुप में न करें। ऐसा समझा जाता है कि उक्त महिला और म्युनिसिपिल प्राधिकारियों के बीच लिखा-पढ़ी चल रही है। गोल्डर्स ग्रीन में 1961 से ही एक हिन्दू सेन्टर था जो नियमित रुप से वहां चल रहा था और हाल ही में करीब के चाक फार्म क्षेत्र में स्थायी रुप से चला गया है।

आगरा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र "सैनिक"

3186 श्री मु०अ० खां : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1968 के आरम्भ से आगरा से दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्र सैनिक नाम से प्रकाशित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कौनसा समाचारपत्र प्रेस अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा पत्र दिए बिना प्रकाशित किया जा रहा है; और

(ग) प्रेस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये अनधिकृत 'सैनिक' के मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) आगरा से प्रकाशित एक हिन्दी दैनिक 'सैनिक' 1925 में श्री एस० के० डी० पालीवाल द्वारा स्थापित किया गया था। उनकी 6 जून, 1968 को मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद न्यासधारियों ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें श्री पूरणचन्द अग्रवाल को, श्री प्रेम दत्त पालीवाल की जगह पत्र का मुद्रक और प्रकाशक नियुक्त किया। तदनुसार श्री पूरण चन्द अग्रवाल ने मुद्रक और प्रकाशक के रुप में सिटी मजिस्ट्रेट, आगरा के सामने घोषणा पत्र दाखिल किया। सिटी मजिस्ट्रेट आगरा ने श्री प्रेमदत्त पालीवाल को सुने जाने का उचित अवसर देने के बाद 4 जुलाई, 1968 को घोषणा पत्र प्रमाणीकृत किया और 8 जनवरी, 1968 को श्री प्रेम दत्त पालीवाल के पक्ष में प्रमाणीकृत किए गए पहले घोषणा पत्र को रद्द कर दिया।

श्री प्रेम दत्त पालीवाल ने सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा बाद में प्रमाणीकृत किए गए घोषणा पत्र के विरूद्ध सिविल जज, आगरा की अदालत में मुकदमा दायर किया है। जज ने यथा पूर्व स्थिति रखने के लिए अन्तरिम आज्ञा जारी की है।

(ग) क्योंकि मामला अदालत में है, अतः सरकार के लिए इस समय कोई कार्रवाई करना सम्भव नहीं है ।

पश्चिमी बंगाल में भूमि का अर्जन

3187 **श्री वि० कु० मोडक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1964–65 में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बीजापुर थाने के अन्तर्गत मौजा पलासी, नागदे आदि में भूमि अर्जित की है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि अर्जित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या भूमि के मालिकों को प्रतिकर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिकर की दर क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि बेकार पड़ी भूमि का एक बड़ा टुकड़ा कुछ व्यक्तियों को कृषि के लिये दिया गया था;

(च) यदि हां, तो भूमि कृषि के लिये किस आधार पर दी जाती है;

(छ) क्या भूमि पहिले मालिकों को दी गई है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) मौजा पलासी और नागदेह में, कि जो 24 परगना जिला के पुलिस स्टेशन बिजेनौर के अन्तर्गत हैं, लगभग 198 एकड़ भूमि 1964 और 1965 में अधिग्रहीत की गई थी, और अब तक अधिग्रहण अधीन है ।

(ग) तथा (घ) : सम्बन्धित व्यक्तियों के देय वार्षिक किराये के रूप में मुआवजा अभी सक्षम अधिकरण द्वारा अन्तिम तौर पर निर्धारित नहीं किया गया । इस बीच 1967 अन्त तक की अवधि के लिए निर्धारित की जाने वाली संभावित राशि के 80 प्रतिशत के रूप में 89000 रुपये की तदर्थ अदायगी करदी गई है ।

(ङ) से (ज) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रखदी जाएगी ।

नांगलोई, दिल्ली में आकाशवाणी ट्रांसमिशन भवन में आग लगना

3188, **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **सूचना प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के नांगलोई गांव में आकाशवाणी के टावर के अहाते में सूखे घास में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिये एक जांच समिति बनाई गई है;

(घ) क्या यह सच है कि यह अग्निकांड अप्रैल और मई, 1968 में आकाशवाणी के अहाते में हुए अग्निकांडों की श्रृंखला में से एक है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के०के० शाह) : (क) जी, हां। 13 मई, 1968 को।

(ख) आग प्रतिष्ठानों से कुछ दूर सूखी घास तक ही सीमित रही थी, और सरकार को कोई हानि नहीं हुई।

(ग) जी, नहीं। यह आकस्मिक आग थी और किसी जांच समिति की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझी गई।

(घ) इस वर्ष के दौरान नांगलोई में इस प्रकार की यह पहली घटना थी। हां, दिल्ली के निकट खामपुर के परिषण केन्द्र के अहाते में 19 अप्रैल, 1968 को आकस्मिक आग लगी थी।

उत्तर प्रदेश का विकास

3190 **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने मई, 1968 में दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में अपने भाषण में उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बताए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने उन पहाड़ी जिलों के लिये जिन की तिब्बत से सीमा मिलती है कोई विशाल विकास कार्यक्रम बनाने का अनुरोध किया था और पूर्वी जिलों में पटेल समिति की सिफारिशों की तुरन्त कार्यान्विति के लिये निवेदन किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधानमंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री : (**श्रीमती इंदिरा गांधी**) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकार द्वारा राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के विस्तृत प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अतः फिलहाल यह प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक श्रवण योजना, उत्तर प्रदेश

3191 **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में सामुदायिक योजना समाप्त करदी गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना के कर्मचारियों ने गत 15 वर्षों में जन साधारण में शिक्षा के माध्यम के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि योजना के लिये अपेक्षित उपकरणों में विनियोजित लाखों रुपये, जिसमें ग्राम अभिरक्षकों द्वारा दिये गये 20 लाख रुपये भी शामिल हैं बेकार जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले पर सरकार का पुनर्विचार करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के अतिरिक्त अपने प्रदेश में सामुदायिक श्रवण योजना को समाप्त करने का निर्णय किया है।

(ख) योजना के व्यक्ति तकनीकी व्यक्ति हैं जो रेडियो सैटों की उचित देखभाल के लिये जिम्मेवार थे। प्रत्यक्ष रूप से जन साधारण में शिक्षा के माध्यम का काम उनके करने का नहीं था।

(ग) जी, नहीं। धन बेकार नहीं जायेगा, क्योंकि सैटों का स्वामित्व उन संस्थाओं को दे दिया जायेगा जिनको वे बांट दिये गये हैं।

(घ) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार को दी हुई सूचना के अनुसार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाले देश

3192 **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीका तथा रूस के अलावा कौन कौन से देश पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं; और

(ख) इस खतरे का सामना करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान अन्य कई विभिन्न देशों से आयुध प्राप्त करता रहा है, जिनमें मुख्य है चीन और फ्रांस।

(ख) सरकार इन संवर्धनों के प्रति सजग है और अपनी सुरक्षा पर आने वाले किसी संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर गोली चलाया जाना

3193. **श्री श्रीधरन** :
श्री गजदत्त शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने गुलमर्ग क्षेत्र में हेलेन में युद्ध विराम रेखा के पार भारतीय सैनिकों पर गोली चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय सैनिकों ने उसके बदले में क्या कार्यवाही की थी; और

(ग) सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) 17 जुलाई, 1968 को हमारे सुरक्षा गश्ती दल ने गुलमर्ग के दक्षिण पश्चिम में 7 मील पर एक स्थान में युद्ध विराम रेखा के अपनी ओर पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के 4 चरवाहों को पशु चराते देखा। हमारे

सुरक्षा गश्तीदल को देख चरवाहे युद्धविराम रेखा के पार भाग गए। ठीक उसी समय पास छुपे लगभग 8 व्यक्तियों ने हमारे सुरक्षा गश्तीदल पर गोली चला दी। हमारे गश्तीदल ने गोली का जवाब गोली से दिया। इस क्षेत्र में वर्तमान सुरक्षा पग पर्याप्त समझे गए हैं।

मवीद्दापुरम, जाफना (श्रीलंका) में मन्दिर प्रवेश हेतु सत्याग्रह

3194. **श्री सिद्दया :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि श्रीलंका में बसे भारत मूलक हरिजनों ने हाल ही में जाफना में मवीद्दापुरम मन्दिर में प्रवेश हेतु सत्याग्रह किया था और एक भूतपूर्व मन्त्री के नेतृत्व में सवर्ण हिन्दुओं ने उन्हें लाठियों तथा पत्थरों से पीटा था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध श्रीलंका के आंतरिक मामलों से है। इसकी लपेट में सम्भवतः कोई भारतीय राष्ट्रिक नहीं आया।

टेलिविजन सेट

3195. **डा० कर्णी सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत सी किस्मों के टेलीविजन सेट खतरनाक रेडियो धर्मिता छोड़ते हैं; और

(ख) यदि हां, तो लोक रक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए देश में बने तथा आयात किये जाने वाले सभी टेलिविजन सैटों का 'गेजर कांउटर' परीक्षण करने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) टेलिविजन सेट संकटजनक तेजोद्गिरण पैदा नहीं करते।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन का विकास

3196. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या प्रधान मन्त्री 6 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4779 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र के विकास सम्बन्धी प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) योजना अभी विचाराधीन है;

(ख) इस समय ऐसा प्रश्न नहीं उठता ;

अमरीका से संचार उपकरण

3197. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 27 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2013 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार के एक उपकरण देने के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार के प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यू० एस० सरकार के साथ ऋण प्रबन्धों के बारे में एक उदारतापूर्वक समझौता तय पाया है, परन्तु इस तरह की उनकी विस्तृत पेशकश अभी प्राप्त नहीं हो पाई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फिल्मी अभिनेताओं का विदेश यात्रा के लिये आचार संहिता

3198. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या सूचना तथा प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के फिल्मी अभिनेताओं ने हाल में मलयेशिया में एक मृत्य मंडली के रूप में यात्रा की थी;

(ख) क्या मलयेशिया सरकार ने उनके द्वारा वहां पर एकत्र की गई राशि पर देय कर के बारे में उनके विरुद्ध कोई आरोप लगाये हैं; और

(ग) क्या फिल्म अभिनेताओं द्वारा इस प्रकार की यात्राओं के बारे में कोई आचार संहिता तैयार की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां, गैर सरकारी दौरे पर ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आयकर देने के बारे में दौरे का प्रबन्ध करने वालों की गलती थी जो बाद में आंशिक रूप से कलाकारों द्वारा अतिरिक्त शो देकर दोस्ताना तौर पर दूर की गई ।

(ख) सरकार इस प्रकार के गैर सरकारी दौरों का प्रबन्ध करने वालों तथा उनमें भाग लेने वाले सभी भारतीयों से यह आशा करती है कि वे उस देश में होते समय वहां के कानूनों का पालन करें।

हिन्द महासागर में रूसी नौसेना का जमाव

3199. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथन** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रूस हिन्द महासागर में नये सिरे से नौ सेना का जमाव कर रहा है;

(ख) क्या रूसी नौसेना हिन्द महासागर में किसी तटीय अड्डे से तेल लेने की आवश्यकता के बिना ही हिन्द महासागर में घूम फिर सकती है;

(ग) क्या रूसी नौसेना का यह नया जमाव हिन्द महासागर से ब्रिटिश सेना के हट जाने से उत्पन्न हुई रिक्तता को भरने की रूसी योजना का एक अंग है; और

(घ) क्या रूस भू-मध्यसागर में अपने नौसैनिक बेड़े की अपेक्षा हिन्द महासागर में अपनी नौसेना के जमाव को अधिक प्राथमिकता दे रहा है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) सरकार उस क्षेत्र की ऐसी गतिविधियों पर ध्यान रखती है जिनसे हमारे हितों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस क्षेत्र में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ द्वारा जमाव किए जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

सैनिक स्कूल

3200. **श्री श्रीधरन** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों को सीनियर केम्ब्रिज के साथ मिलाने की प्रथा को समाप्त करने और उसकी बजाय इन स्कूलों के लड़कों को देश के विभिन्न बोर्डों की उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के लिये तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) इस समय सैनिक स्कूल, (कि जो सैनिक स्कूल समिति द्वारा चलाए जाते हैं (लड़कों को एन० डी० ए० की प्रवेश परीक्षा के लिए तथा इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट (आई० एस० सी०) परीक्षा के लिये तैयार करते हैं। कुछ सैनिक स्कूल इनके साथ साथ संबंधित राज्यों की बोर्ड परीक्षा के लिए भी उन्हें तैयार करते हैं। समिति के बोर्ड आफ गवर्नर्ज ने फैसला किया है कि सैनिक स्कूलों को आई० एस० सी० पाठ्यचर्या के स्थान पर सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकडरी एजुकेशन नई दिल्ली, अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की पाठ्यचर्या को अपना लेना चाहिये।

1969 में एच० एस० सी० पाठ्यचर्या को अपना लेने का विचार है। इस परिवर्तन के लिये विस्तार बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन के सचिव और राज्य सरकार की सलाह से समिति के आनरेरी सचिव द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

चलचित्र उद्योग के बारे में विधान

3201. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चलचित्र उद्योग को विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिये विधान लाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इसे कब संसद में प्रस्तुत किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित विधान का विवरण अभी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि सारे मामले के सभी पहलुओं पर सम्बन्धित पक्षों के साथ विचार विमर्श करके विचार किया जा रहा है। इसमें कितना समय लगेगा, यह कहना कठिन है।

नाथूला के निकट चीनी टेलीस्कोप

3202. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्षेत्र की चौकसी रखने के लिये चीनियों ने नाथूला के निकट अपनी एक चौकी पर एक शक्तिशाली टेलिस्कोप लगाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जब किसी दूतावास के सैनिक सहचारियों ने हाल में नाथूला क्षेत्र की एक अग्रिम चौकी का दौरा किया तो चीनियों ने उन्हें अपने टेलिस्कोप से देखा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) दुरबीनों और टेलस्कोपों द्वारा हमारी ओर की गतिविधि का पता लगाने का, चीनी सैनिक प्रयास करते पाए गये हैं। उन्होंने उस समय भी देखने का प्रयत्न किया था, कि जब कुछ दूतावासों के सैनिक अतिथियों ने हाल में नाथूला में अग्रिम चौकियों का भ्रमण किया था। इस क्षेत्र में अपनी गतिविधि चीनियों से सुगुप्त रखने के यथा संभव उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं।

साम्यवादी संसद सदस्यों द्वारा साम्यवादी देशों की यात्रा

3204. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने साम्यवादी संसद सदस्यों ने साम्यवादी देशों की यात्रा की ;

(ख) उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि उनकी यात्राओं के लिये कोई विदेशी मुद्रा नहीं मांगी गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों में उनका खर्चा कैसे पूरा किया गया ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सुलभ होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

साम्प्रदायिक मेल मिलाप संबन्धी अपीलों का आकाशवाणी से प्रसारण

3205. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की कार्यवाही को दृष्टि में रखते हुये, देश में साम्प्रदायिक मेल-मिलाप के लिये अपील सम्बन्धी प्रसारणों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) इस समय साम्प्रदायिक मेल-मिलाप के बारे में प्रति सप्ताह कितने कार्य-क्रम प्रसारित किये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) कई वर्षों से आकाशवाणी साम्प्रदायिक मेल-मिलाप का कार्य-क्रम प्रसारित कर रहा है और साथ ही साथ भारत के लोगों का संस्कृति और मिलीजुली प्रथाओं को प्रतिबिम्बित कर रहा है । हाल ही में राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी के केन्द्रों ने इन कार्यक्रमों में और वृद्धि कर दी है ।

(ख) इन कार्यक्रमों के लिये यह निश्चित नहीं है कि वे कितने अन्तर के बाद किये जायें इस विषय पर प्रसारणों की संख्या हर सप्ताह और हर केन्द्र में सम्बन्धित क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

छिपे नागाओं के नेता श्री कैंतो सेमा की कथित हत्या

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

"छिपे हुए नागाओं के नेता, श्री कैंतो सेमा की कथित हत्या ।"

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : 3 अगस्त की रात को दिल्ली पहुंचने वाली खबरों के अनुसार उस दिन शाम को साढ़े छह बजे कोहिमा में एक अज्ञात हत्यारे ने श्री कैतो सेमा पर गोल चलाई, श्री कैतो सेमा गम्भीर रूप से घायल हो गये। उन्हें सैनिक अस्पताल ले जाया गया जहां उनका आपरेशन हुआ और खून चढ़ाया गया। उन्हें बचाने की हर कोशिश नाकामयाब हुई और 4 अगस्त की शाम के 5 बजे वे चल बसे। हत्यारा पकड़ा नहीं जा सका है लेकिन उसका पता लगाने की कोशिश जारी है।

जैसा कि आपको मालूम ही होगा श्री कैतो सेमा छिपे नागाओं के एक महत्वपूर्ण नेता थे। लेकिन, कुछ मतभेद के कारण उन्होंने फिजो-समर्थक उग्रतावादी दल से अपना नाता तोड़ लिया था।

हम नागालैंड से विस्तृत रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत सरकार हत्या के इस कुकृत्य की निन्दा करती है और छिपे नागाओं के कुछ वर्गों की कोशिशों की भी जो उन लोगों को हिंसा से धमकाना चाहते हैं जिनमें उनकी बात न मानने का हौसला है। हमें उम्मीद है कि शांति चाहने वाले अधिकांश नागा लोग इस घटना की निन्दा करेंगे। सरकार कार्रवाई बन्द रखने के समझौते के हर प्रकार के उल्लंघनों को रोकने, कानून और व्यवस्था को मजबूती से लागू करने के लिये और कानून तोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दण्ड देने के लिये कृतसंकल्प है। कोहिमा में और नागालैंड में अन्यत्र सुरक्षा के प्रबन्धों को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री कैतो सेमा ने छिपे नागाओं के आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण भाग लिया और वे दो मूल सिद्धान्तों पर उस आन्दोलन से अलग हो गये थे। एक तो यह कि नागाओं की समस्या शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा हल की जानी चाहिये और दूसरी यह कि चीन के साथ कोई सहयोग नहीं होना चाहिये। क्या सरकार उनकी हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं बताया यह सच है कि छिपे हुए नागाओं के ढांचे में श्री कैतो सेमा का एक विशिष्ट स्थान था, किन्तु चीन की सहायता के प्रश्न पर वे उग्रवादी ग्रुप से अलग हो गये थे। हम भी यह चाहते हैं कि नागालैंड की समस्या शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जाये।

श्री देवकी नंदन पाटोदिय (जालोर) : उस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में अब तक 10 महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तियों की हत्याएं की जा चुकी हैं। इन तीनों हत्याओं में श्री फिजो का हाथ था। हमारी सरकार श्री फिजो और उनके परिवार के सदस्यों की इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने में बुरी तरह असफल रही है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हत्या की इकी-दुकी घटनाएं तो अच्छे से अच्छे समाज में भी होती हैं। सभी नागरिकों को पर्याप्त संरक्षण देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। श्री कैतो ने राज्य सरकार से संरक्षण के लिये नहीं कहा था। सामान्य संरक्षण नागालैंड के प्रत्येक नागरिक को दिया जाता है।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : May I know whether Government of India was aware of the fact that there was denger to his life, if so, the steps taken by Government to ensure the security of his life ? Secondly, did he write to the Government of India that Nagas should be prevented from going to China and that he wanted to solve this problem peacefully ?

Shri Surendra Pal Singh : Although he never worte specifically to the Government of India to stop those Nagas from going to China, we, however, know his views from his public utterances that he was against the Nagas proceding to China. We liked his approach. But we had no information whatsoever that his life was in danger.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या यह सच नहीं है कि जनरल कैंतो द्वारा जनरल जेटो का गिरफ्तार किया जाना एक पर्याप्त चेतावनी थी कि जनरल कैंतो का जीवन सुरक्षित नहीं था, और यदि उनका जीवन सुरक्षित नहीं था तो उन की जान की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सरकार को जब तक किसी खतरे की सूचना न दी जाये, तब तक सरकार कोई कार्यवाही कैसे कर सकती है ? छिपे नागाओं की कार्यवाहियों को रोकने के लिये हमारी सुरक्षा सेनाएं तथा नागालैंड की सरकार उपयुक्त कदम उठा रही है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि श्री जेटो के अधीन युनाइटेड नागा पार्टी के कुछ सदस्य चीन के साथ नागा विद्रोहियों की सांठ गांठ को उचित ठहराने के लिये प्रचार कर रहे हैं, यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : नागालैंड में ऐसे अनेकों लोग हैं जो चीन की सहायता प्राप्त करने के लिये जाने वाले इन लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं । यह संभव है कि वे इस प्रकार का प्रचार कर रहे हों । भारत सरकार, स्थानीय नागा नेताओं तथा चर्च के नेताओं ने इसकी कड़ी निन्दा की है । इसी प्रयोजन के लिये वे यह सम्मेलन बुला रहे हैं ।

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

34 वां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर (स्वेड) ; मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 34 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

संसद् सदस्यों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन
REPORT OF JOINT COMMITTEE ON SALARY, ALLOWANCES AND OTHER AMENITIES TO MEMBERS OF PARLIAMENT

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, I beg to present the report of Joint Committee on Salary, Allowances and other Amenities to Members of Parliament.

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

तीसरा प्रतिवेदन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

साक्ष्य

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Evidence given before the Committee on Government Assurances.

कोचीन शिपयार्ड के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE.COCHIN SHIPYARD

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : 18 अगस्त, 1967 को मैंने राज्य सभा में जो वक्तव्य दिया था उसमें मैंने उस सभा को सूचित किया था कि भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा संघटक सहित 36 करोड़ रुपये के प्राक्कलित उद्व्यय से कोचीन शिपयार्ड परियोजना को स्वीकृति दे दी है, जिसमें 66000 डी०डब्लू०टी० के पोतों के लिए निर्माण गोदी और 85000 डी० डब्लू टी० के पोतों के लिए मरम्मत गोदी की व्यवस्था होगी। मैंने यह भी सूचित किया था कि शिपयार्ड को स्थापित करने में तकनीकी सहयोग के लिए और उस सहयोग की शर्तों के बारे में वार्ता करने के लिए मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लि० को आमंत्रित करने का प्रस्ताव है।

(2) मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लि० ने कोचीन शिपयार्ड के निर्माण में अपने तकनीकी सहयोग के लिए मई, 1968 में अपने अन्तिम प्रस्ताव भेज दिये हैं। इस मामले में उनके प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है। जैसी मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लि० की इच्छा थी, जून–जुलाई, 1968 में एक तकनीकी दल और तत्पश्चात एक समझौता वार्ता दल टोकियो मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज से विचार-विमर्श करने के लिए प्रति नियुक्त किया गया था।

(3) मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि 17 से 24 जुलाई, 1968 के बीच टोकियो में समझौता वार्ता दल द्वारा विचार-विमर्श किए जाने के परिणामस्वरूप दो प्रलेखों पर हस्ताक्षर किये गये और उनकी दोनों पक्षों ने आपस में अदला-बदली की। पहला औपचारिक ठेका है जो प्रारम्भिक डिजाइन और परियोजना रिपोर्ट के पुनरीक्षण के बाबत है, दूसरा शिपयार्ड की डिजाइन और निर्माण में मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लि० द्वारा दी जाने वाली सहायता, सलाह, तकनीकी सहयोग सम्बन्धी समझौतों के शीर्षकों पर एक ज्ञापन है। इसमें एक ओर भारत सरकार की अनुमति तथा दूसरी ओर मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लि० के निदेशक मंडल तथा जापान सरकार की अनुमति होगी।

(4) यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि अपनी ओर से भारत सरकार ने समझौतों के शीर्षकों पर ज्ञापन का अनुमोदन कर लिया है और मेरे मंत्रालय को अधिकार दे दिया गया है कि वह वित्त मंत्रालय की सलाह से शिपयार्ड निर्माण में मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लि० के तकनीकी सहयोग के बारे में उचित समय पर अन्तिम ठेका कर ले।

(5) परियोजना रिपोर्ट के पुनरीक्षण के ठेके के अनुसार, ठेके के प्रभावी होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर पुनरीक्षण के काम के पूर्ण हो जाने की आशा है। पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदित हो जाने के बाद शिपयार्ड के निर्माण के दौरान डिजाइनों, रेखाचित्रों और विशिष्टयों की तैयारी में तथा सलाह के लिए सहायता की दो श्रेणियों की पूर्ति करने वाले समझौते के शीर्षक के ज्ञापन पर आधारित शिपयार्ड निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लि० से प्रशासनिक ठेका करने का प्रस्ताव है। इस आधार पर आशा की जाती है कि भवन गोदी और एक 'की' के निर्माण के लिए डिजाइनें और रेखा चित्र प्राप्त हो जायेंगे और निविदा की औपचारिकतायें पूरी हो जायेंगी जिससे इस ठेके के होने के एक वर्ष में काम शुरु किया जा सके।

(6) इस बीच निर्माण-कार्य प्रारंभ करने के प्रयोजन के लिये, मिट्टी सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण, बिजली और पानी की व्यवस्था इत्यादि के बारे में कार्यवाही पूरा कर लेने का विचार है। निर्माण की अवस्था से संबद्ध निर्माण-कार्य की तैयारी का काम भी प्रारंभ कर दिया जायेगा। परियोजना स्थल पर एक पूर्णकालीन अधिकारी नियुक्त करने का भी प्रस्ताव है।

(7) शिपयार्ड के पोतों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता उचित समय पर भारत सरकार और मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लि० के बीच अलग बातचीत और समझौते के आधीन दी जायगी। मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लि० ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में भी पूरा सहयोग देगी।

(8) मुझे प्रसन्नता है कि मैंने जो ऊपर रूप रेखा बतलाई है उससे परियोजना क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए निश्चयात्मक स्थिति पर पहुंच गयी है।

निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा उसके सम्बन्ध में सरकार का उत्तर

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND GOVERNMENT'S REPLY THERETO

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): On the 25th of July, 1968 attention of the Home Minister was drawn to the lathi charge by the Police on the non-Gazetted Government employees in Patna and Ranchi and towards the death of a woman employee of Patna Medical College. The State Minister Shri Vidya Charan Shukla had repudiated these allegations.

Shri Shukla had given a wrong statement by saying that he had received no information about the woman employee of Patna Medical College having sustained some injuries. The fact is that the General Secretary of the Bihar non-Gazetted Employees Union had written to the Chief Secretary of Bihar Government that several women had been injured due to Police lathi charge. Shrimati Gulabia succumbed to her injuries in the early hours of the 19th July, 1968.

Several people had received severe injuries in the lathi-charge perpeterated by the Police near Mental Hospital in Ranchi. This fact is borne out by the Departmental Report of the Police itself. On the 21st July itself 19 non-Gazetted employees were treated in the Ranchi Sadar Hospital On the 28th July, 47 Government employees were interned in the Ranchi Central Jail and 8 of them received grievous injuries.

The State Ministers blatant denial of the lathi-charge has completely disillioned the people about this so-called democratic set up. A judicial inquiry should be immediately instituted into the lathi-charge and compensation paid to the children of Shrimati Gulabia.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : After receiving a copy of the statement of Shri Bhogendra Jha, we have ascertained the facts from the State Government. According to the information received from the State Government, the body of Shrimati Gulabia had been handed over to her husband on 19th July, 1968. The facts contained in Shri Gops' letter are being ascertained from the State Government. As already stated in the statement given on 25th July, 1968 that under section 200 of the I. P. C. a magistrate is already investigating a personal complaint.

Regarding Ranchi incident the Central Government have asked for a detailed report. The information contained in the hon. Members statement will be passed on to the State Government so that we may be able to get a fuller report on all this questions raised here.

On the basis of the information so far made available to us a judicial inquiry is not considered necessary.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till fourteen of the Clook.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

उप-प्रधान मंत्री के विरुद्ध सूचनाओं के बारे में

RE : NOTICES AGAISST DEPUTY PRIME MINISTER

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I had given notice of a motion regarding Shri Morarji Desai. He has held the House into contempt. I would like to know the position in regard thereto.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं है। आप यह मामला अध्यक्ष महोदय के समक्ष उठा सकते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The Short Notice Question regarding the strike in newspapers should be admitted.

The Minister of Parliamentary Affairs and Commwnications (Dr. Ram Subhag Singh) : Two questions have been entered in the lists for Friday and Monday.

सरकारी परिसर (अप्राधिकृत दखल कर लेने वालों की बेदखली) संशोधन विधेयक—जारी

PUBLIC PREMISES (EVICTIN OF UNAUTHORISED OCCUPANTS AMENDMENT BILL-Contd.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्री जगन्नाथ राव द्वारा पुनःस्थापित किये गये इस विधेयक के खण्ड 2(ख) में दी गई परिभाषा ऐसी है जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। केन्द्रीय सरकार सरकारी क्षेत्र के विस्तार के लिये उत्तरदायी है तथा उसे अपने कारखाने, वर्कशाप तथा छावनियां आदि बनाने के लिये भूमि की आवश्यकता है। परन्तु कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब एक ऐसे समवाय को, जिसके कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त अंश केन्द्रीय सरकार के पास हैं, ऐसे परिसरों में सम्मिलित किया जाता है। सरकार के पास 51 प्रतिशत अंश हो सकते हैं परन्तु 49 प्रतिशत अंश वाले लोग समवाय का कार्य चलायेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि वे सभी वस्तुयें धीरे-धीरे गैर-सरकारी लोगों के हाथ में आ जायेंगी। अतः केन्द्रीय सरकार के अंशों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 75 प्रतिशत कर दी जानी चाहिये ताकि इस उपबन्ध का दुरुपयोग न किया जा सके।

इस अधिनियम को क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति कौन होंगे ? ऐसे अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के पास न रह कर केवल केन्द्रीय सरकार के पास ही होने चाहिये। स्थानीय प्राधिकार कृषकों को हानि पहुँचाने के लिये ही इसका प्रयोग करेंगे। वे अनाज पैदा करने वाली भूमि को अपने अधिकार में ले लेंगे। ऐसे उपबन्ध विधेयक से निकाल दिये जाने चाहिये। एक दिन मैंने चंडीगढ़ में देखा कि एक व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि इस वृक्ष के पास उसकी भूमि थी और वह उससे छीन ली गई है। मैं श्री जगन्नाथ राव से निवेदन करूंगा कि वह लोगों से भूमि लेकर उन्हें भूमि दें, प्रतिकर नहीं।

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य विधि में अनधिकृत दखल देने वालों को निकालने के लिये उपबन्ध हैं और 1958 के अधिनियम 32 में सम्पदा अधिकारियों को भी सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये शक्तियां दी गई हैं। दुर्भाग्य से उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अधिनियम की धारा 52 मनमानी है और संविधान की शक्ति से परे है।

अतः यह संशोधन आवश्यक हो गया है और इस विधेयक को ठीक ही समय में प्रस्तुत किया गया है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये धारा 10(ङ) में दीवानी न्यायालय के पूरे क्षेत्राधिकार को छीन लिया गया है ताकि कोई सम्पदा अधिकारी ही नहीं अपितु पीड़ित पक्ष भी दीवानी न्यायालय में न जा सके। यह बात आपत्तिजनक है। आपका उद्देश्य केवल सम्पदा शुल्क अधिकारी को न्यायालय में जाने से रोकना है। परन्तु इसकी शब्दावली के अनुसार सम्पदा अधिकारी अथवा पीड़ित पक्ष पर दीवानी न्यायालय में जाने पर प्रतिबन्ध लग जायेगा। अतः यदि आप सगंत खण्ड में सम्पदा अधिकारी के कहने पर शब्द जोड़ दें तो ऐसा कारणों तथा उद्देश्यों के विवरण के अनुरूप होगा।

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा) : श्रीमान, मैं अनुभव करता हूँ कि कुछ सदस्यों ने विधेयक को ठीक तरह नहीं समझा है। मूल अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय में अपील करने का अधिकार अब भी है। प्रस्तावित धारा 10(ङ) में यह अधिकार समाप्त नहीं किया गया है :

यह प्रश्न भी उठाया है कि भूमि अर्जित की जायेगी तथा कृषकों को कठिनाई होगी। मैं नहीं समझता कि विधेयक में अर्जन का प्रश्न कैसे पैदा होता है। इस विधेयक में केवल अप्राधिकृत दखल देने वालों की बेदखली का उपबन्ध है। अतः यह आलोचना गलतफहमी से की गई है।

जहां तक नगरपालिकाओं तथा दिल्ली विकास प्राधिकार को यह शक्तियां दिये जाने का सम्बन्ध है, उनके पास वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही यह अधिकार है। इसमें नई बात यह जोड़ी गई है कि ऐसा समवाय सरकारी समवाय बन जाता है जिसमें 51 प्रतिशत से अधिक अंश सरकार के हों और यह बात ठीक ही है। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : So for this Bill is concerned, there can hardly be any difference of opinion regarding the question of right of the Government to evict such persons, who have illegally occupied the Government property. No attempt has been made in the Bill to acquire any body's land. An attempt to being made through this Bill to evict only such persons who have illegally occupied the Government land. The local bodies enumerated in the Bill should also be given this right.

The language of the Bill should be modified in such a manner that it should reflect the intention for its introduction. Clause 4 needs to be modified in such a manner so as to express clearly the intention of the Government. It appears from the persent Phraseology of the Bill that neither Government, nor the Court, can go to the Court. Since it is intended only to impose a curb on the Government, it should be made perfectly clear. Imposing restrictions on an individual will amount to the violation of funda mental-rights.

The house of such Muslims of Delhi who have migrated to Pakistan have been allotted to others. Those who were allotted those houses or those who have purchased them are naturally entitled to the right vested in the original owners who have migrated to Pakistan, but those people are being evicted and they are being asked to give damages, which is very unfair. The Government can only recover such lease money as was lavia-

ble on the persons previously in possession. I fully support the Bill, except clause 4, which needs to be amended.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : This Bill is very necessary. Those who have unlawfully occupied any Government premises must be evicted. The Government should also provide alternative accommodation to such persons. They may be in illegal occupation but they have done it bonafide. A majority of such persons is that of displaced persons. The hut dwellers in Delhi are helpless refugees from Pakistan and it is for the Government to provide alternative accommodation to them.

Before any factory is set up, the Government acquires the land and there after the Corporation or the institution wants them to be evicted. No alternative accommodation is provided to them. That is why I have tabled an amendment that the question whether a person is in legal or illegal possession should be within the jurisdiction of civil court.

श्री एस० कन्डप्पन (मैदूर) : सार्वजनिक भूमि को खाली कराने सम्बन्धी सरकार की चिन्ता के बारे में मैं अवगत हूं । दिल्ली में विशेषकर भारत के विभिन्न भागों से लोग जीविका अर्जित करने के लिए बड़ी खराब स्थिति में आये हुए हैं । 1953 में लगभग 10,000 बुनकर मद्रास राज्य छोड़कर देश के विभिन्न भागों में फैल गये थे और उनमें से अधिकांश बुनकर दिल्ली में बस गये थे और उन्होंने कुछ स्थानों पर कब्जा भी कर लिया था । उनके पास भूमि खरीदने तथा पक्का भवन बनाने आदि के लिए साधन नहीं थे ।

जैसा कि श्री कंवर लाल गुप्त ने बताया दिल्ली में लगभग एक लाख झुग्गियां है । हो सकता है कि यह आंकड़े सच हों, क्योंकि मुझे ठीक आंकड़ों के बारे में पता नहीं है । अब प्रश्न यह है कि समस्या को किस प्रकार हल किया जाये ? मेरे विचार में यह एक मानवीय समस्या है । मुझे इस मूल बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार को अपने प्रयोजनों हेतु कई बार भूमि अर्जित करनी होती है । परन्तु मेरा निवेदन है कि भूमि अर्जित करते समय माननीय मंत्री इस बात की जिम्मेदारी लें कि लोगों को अनावश्यक तौर पर परेशान नहीं किया जायेगा और कि लोगों को आवास के लिए पर्याप्त वैकल्पिक स्थान दिया जायेगा । इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस कार्यवाही से लोगों की जीविका पर बुरा प्रभाव न पड़े । इस समस्या को इस प्रकार निपटाने में यदि कोई तकनीकी कठिनाइयां हो तो उनको भी दूर किया जाना चाहिए ।

मद्रास, केरल तथा बंगाल से आये लोगों में ऐसी भावना फैल रही है कि उनको दिल्ली से बाहर निकाला जा रहा है । यह अच्छी चीज नहीं है । इस बात के लिए मैं कुछ सीमा तक जनसंघ को भी दोष दूंगा, परन्तु अधिकतर यह जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है कि वह लोगों में इस प्रकार की भावना उत्पन्न न होने दे । सरकार को गरीब तथा छोटे काम करने वालों के लिए सुविधायें प्रदान करने हेतु सभी प्रयत्न करने चाहिए ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Jan Sangh cannot be blamed for eviction because slum clearance and eviction come under the purview of the Central Government. Southerns are as good citizens of this country as the northern. We don't discriminate between them.

श्री एस० कन्डप्पन : मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि निगम द्वारा कुछ स्थानों पर 'शोपिंग सेन्टर' बनाये गये है । इन स्थानों पर दक्षिण भारतीय रोजगार करते थे परन्तु इन दुकानों का पट्टा अन्य लोगों को दे दिया गया है और कि इस मामले में दक्षिण भारतीयों को प्राथमिकता नही दी गई है । ऐसी बातों को नगर निगम हल कर सकता है ।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): It is essential to study the causes which have lead this unoccupation of Government land. There are several persons in our country which have no land and which have also no source of livelihood. It is true that people should not do anything illegal but we should also try to study the causes for which people are forced to commit these illegal acts. Some people occupy this land illegally because they are forced by the circumstances. Some people occupy these lands to earn their livelihood. If these people are to evicted some alternative arrangements should be made for them.

Civil Courts should be empowered to give their judgements on the eviction of unauthorised occupation and their jurisdiction should not be reduced in any way in this matter.

Proper compensation and employment opportunities should be provided to those farmers in the factory whose land is acquired for establishing any such factory.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon): This Bill is meant for evicting the poor people from the premises they have occupied for earning their livelihood.

These people have no other source of their livelihood. It is, therefore, improper to evict them from the premises they have occupied for the purpose. These people have ever been deprived of the right of making appeal against the eviction in this Bill. I would, therefore, say that this Bill is most undemocratic in character. Moreover after eviction these premises will be used for parking cars of the big people.

In reply to unstarred question No. 1495 it was told on the 29th July, 1968 that 101 unauthorised colonies are there in Delhi and in most of these colonies no amenities have been provided, These colonies have been neglected and no special steps have been taken by the administration to provide amenities, This is a matter of regret that people are hamarred in this way in this democratic country.

Government have not enforced even one of the laws evacted for the benefit of the country. Many instances can be quoted in this respect.

If the unauthorised occupation is not declared authorised, people will occupy the other vacant premises illegally. People will dislodge the present Government of it continue its present policies.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं नहीं समझ सकता कि खण्ड 4 में धारा 10क को क्यों जोड़ा जा रहा है । इसमें सिविल न्यायालय में अपील करने का कोई उपबन्ध नहीं है ।

धारा 4 में अधिकारी द्वारा भूमि पर कब्जा करने वाले को नोटिस दिया जाता है और यदि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा व्याख्या दी जाती है तो अधिकारी को उसको सुनने की शक्ति है ।

दूसरी ओर यदि मूल अधिनियम की धारा 5 में यदि 45 दिन के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा व्याख्या नहीं दी जाती तो उसको सम्बन्धित परिसर से निकाल दिया जाता है।

धारा 9 में सम्बन्धित व्यक्ति को जिला न्यायालय में अपील करने की शक्ति है। मूल अधिनियम के अन्तर्गत जिला न्यायालय एक न्यायाधिकरण का काम करती है और उसका निर्णय अन्तिम होता है। यही मूल योजना है। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि सिविल न्यायालयों की इस शक्ति को लेने के लिए धारा 10ङ को क्यों विधेयक में शामिल किया जा रहा है? मंत्री महोदय ने इस बात की व्याख्या नहीं की कि अधिकारी को इस प्रकार विवेकजनक शक्ति क्यों दी जाती है जिसको कि सिविल न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। लोकतंत्रात्मक ढांचे में प्रत्येक व्यक्ति को सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार है। परन्तु इस धारा द्वारा इस अधिकार को समाप्त किया जा रहा हैं। अतः इस नये सिद्धान्त को लागू किये जाने का मैं पूरी शक्ति से विरोध करता हूं।

लोगों को उनके स्थानों से निकालने से पूर्व वैकल्पिक स्थान दिये जाने चाहिए। इस विधेयक में इस प्रकार का उपबन्ध शामिल किया जाना चाहिए कि लोगों को उनके स्थानों से निकाले जाने से पूर्व न केवल वैकल्पिक स्थान ही दिये जायेंगे बल्कि वहां पर सभी सुविधायें भी उपलब्ध की जायेंगी। ऐसी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने बिजली अथवा पानी जैसी अत्यावश्यक सुविधायें भी कुछ मामलों में उपलब्ध नहीं की हैं। अतः मेरी सरकार से अपील है कि वह इस सिद्धान्त को स्वीकार करे कि लोगों को सुविधाओं सहित वैकल्पिक आवास दिया जायेगा।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण) : यह विधेयक उन लाखों गरीब लोगों के विरुद्ध है जो सरकारी उपक्रमों के आस-पास गन्दी बस्तियों में अथवा नगरों तथा कस्बों में नगरपालिकाओं की भूमि पर रहने के लिए मजबूर है। इन लोगों को सरकार अथवा निगम अधिकारियों अथवा सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों द्वारा आवास की कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने बाध्य होकर अपने परिवारों के लिए कुछ झोंपड़ियां बनाली हैं। उदाहरण के रूप में भिलाई में नया टाऊनशिप बनाने की बहुत बातें की गई है परन्तु व्यवहारिक रूप में कुछ नहीं किया गया। परिणामस्वरूप लाखों लोग गन्दी बस्तियों में रहने पर बाध्य हैं जहां कि कोई मानवीय सुविधायें उपलब्ध नहीं है।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार जो कि स्वयं को कल्याणकारी राज्य का अभिरक्षक कहती है वह गरीब लोगों के लिए अधिक मकान बनाने तथा आवास सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए कार्यवाही नहीं कर रही है। मुझे आशा है कि सरकार लोगों को इन छोटी-छोटी झोंपड़ियों से बेदखल करने से पूर्व वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करेगी।

जहां तक दिल्ली की स्थिति का सम्बन्ध है सरकारी कर्मचारी भी गन्दी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। इस विधेयक द्वारा अब उन सब लोगों को उस भूमि से बेदखल कर दिया जायेगा जिसको अब सार्वजनिक भूमि घोषित कर दिया है और जिस पर लोगों ने रहने के लिए छोटी-छोटी झोंपड़ियां बनाली थी। दिल्ली क्लाथ मिल्स को उसके वर्तमान स्थान से हटाने का प्रस्ताव था। परन्तु उसको वहां से हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस विधेयक से सरकारी उपक्रमों के नौकरशाहों तथा नगरपालिकाओं को तानाशाही के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। यदि विधेयक को अधिनियम का रूप दिया जाता है और उसको लागू कर दिया जाता है तो इस पर गरीब लोगों की प्रतिक्रिया होना स्वभाविक ही है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे लोगों को वैकल्पिक स्थान दे तथा उचित मुआवजे का उपबन्ध करें। उनको ऐसा विधेयक लाना चाहिए जिसका सभी समर्थन कर सकें।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I appreciate the intention of the Bill. The persons who have occupied the Government premises can be divided into different categories. First of all there are persons who have migrated from Pakistan, Barma and South Africa. They have not yet been rehabilitated. There is no doubt that these people have occupied the Government premises illegally, but I would request the Government to consider the circumstances under which they were compelled to occupy the premises illegally. I think the Government was itself not prepared for the crisis they had to face with and that is why Government had itself occupied some land including the grave yards unauthorisedly. Thausands of acres of land where acqired for defence purposes on the nominal compensation. I can bring many such cases in the notice of the Prime Minister as well as Defence Minister.

Secondly many persons come to Delhi in search of their livelihood. Most of these people are living in huts. It would have been better had the Govenment given them alternative accommodation.

Thirdly, they are people whose cases are pending in the Civil Courts. If a decision in regard to the fact whether an occupation is authorised or unauthorised is left over the Civil Courts it will take a long time. It takes many years to decide a case as the case can be taken to the High Coruts. I would therefore, say that the hon. Minister has done a good thing as he had introduce a provision in the Bill where by cases can be disposed of quickly.

Shri Mloahu Prasad : It is true as the hon. Member has stated that it takes twenty years to decide a case in the Civil Court. I would, therefore, request the hon. Minister to bring a bill in place of the present one where by cases could be disposed of within three months.

निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : सदस्यों द्वारा इस वाद विवाद में अत्यन्त रुचि दिखाई जाने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा यह एक साधारण विधेयक है। सर्वोच्च न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायायिक घोषणाओं के कारण इस विधेयक को लाना आवश्यक हो गया था। इन्हीं घोषणाओं के कारण मुझे सिविल न्यायालयों की शक्तियों में कटौती करनी पड़ी है। सभा में संशोधन प्रस्तुत करते समय मैंने यह भी आवश्यक समझा कि सरकारी परिसरों में सरकारी निगम तथा उन समवायों को जिनमें सरकार के 51 प्रतिशत शेयर हैं, शामिल कर दिया जाये।

अधिकांश सदस्यों ने विधेयक को ठीक तरह से नहीं समझा है। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ी वालों को बेदखल किया जा रहा है। परन्तु ऐसा नहीं है। यद्यपि उन्होंने अनाधिकृत रुप से कब्जा किया हुआ है तथापि उनको वैकल्पिक स्थान दिया जा रहा है। ताकि वे अपनी जीविका अर्जित कर सकें।

श्री रनधीर सिंह जैसे कुछ सदस्यों ने किसानों आदि के बारे में कहा है। इस विधेयक के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहण तथा अर्जित करने जैसी कोई बात नहीं है। इस विधेयक का क्षेत्र बहुत ही सीमित है।

जहां तक समवायों आदि का सम्बन्ध है सरकार ऐसे सभी समवायों के बारे में कानून में सक्षम है। जिस पर सरकार का पूरी तरह अथवा आंशिक रुप से नियंत्रण है।

मुख्य आपत्ति सिविल न्यायालयों की शक्ति को लिए जाने के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने कहा है कि संपदा अधिकारी जब संक्षिप्त प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करना चाहे तो उसके पास सिविल न्यायालय का यह वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं होता। इसलिए यदि वे शक्ति सिविल न्यायालय को दी जाती है तो इसका अर्थ उस अधिनियम को समाप्त करना होगा जिसके अन्तर्गत यह शक्ति ली जाती है। अतः सिविल न्यायालयों से मुझे यह अधिकार लेना पड़ा है।

यदि मूल अधिनियम की धारा 8 को देखा जाये तो इसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी को सिविल न्यायालय की साक्षियों को बुलाने, दस्तावेज देखने आदि की शक्ति दी जाती है और विरोधी पक्ष को बेदखली के विरुद्ध गवाही आदि देने का अधिकार है। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात सम्पदा अधिकारी निर्णय देता है। धारा 9 के अन्तर्गत इस निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील करने का अधिकार है। जहां न्यायाधीश का अर्थ उस व्यक्ति से जिसको इस अधिनियम के अन्तर्गत नामोष्टि किया जाता है। अतः सिविल न्यायालय की शक्ति को लेने के लिए ही धारा 105 को शामिल किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है बेदखल किये जाने वाले व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। यदि निर्णय उसके विरुद्ध जाता है तो उसको अपील का अधिकार है।

जिस मामले में इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है, उसमें सम्बन्धित व्यक्ति को, जिसका कब्जा अनधिकृत होता है, कारण बताने के लिये 30 दिन का नोटिस दिया जाता है। उसके बाद गवाही ली जाती है और राज सम्पत्ति अधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है; वह दस्तावेज देखता है और उस सम्बन्ध में निर्णय लेता है। फिर संसद सिविल न्यायालय का अधिकार छीन सकती है। सरकार का ध्येय नागरिकों के लिए कठनाई पैदा करना नहीं है परन्तु इसके साथ साथ संक्षिप्त कार्यवाही का अधिकार भी आवश्यक है। इसका कारण यह है कि कुछ सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत होने पर अपने क्वाटरों को खाली नहीं करते हैं। इस प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में हम बेदखली की कार्यवाही करते हैं और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली के लिये डिग्री जारी की जाती है। फिर वह जिला न्यायाधीश के पास जाता है और "स्टे आर्डर" प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह अधिनियम लागू किया जाना है, संक्षिप्त कार्यवाही करनी है।

वर्ष 1968 से आज तक इस अधिनियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में भेदभाव पूर्ण व्यवहार किये जाने की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

श्री कंवरलाल गुप्त : दिल्ली विकास अधिकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और उनकी कार्यवाही के कारण बहुत से लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है ।

श्री जगन्नाथ राव : इस सम्बन्ध में गृह कार्य मन्त्री एक बैठक बुला रहे हैं । हम इस अधिनियम का मनमाना प्रयोग करने की अनुमति नहीं देंगे ।

श्री कंवरलाल गुप्त : उपरोक्त बैठक में झुग्गी झोपड़ी योजना पर चर्चा की जायेगी । मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सरकार से मकान खरीदे हैं या उन लोगों से खरीदे हैं जिन्हें सरकार ने मकान अलाट किये हैं । उन्हें मकान खाली करने के लिये मजबूर किया जारहा है । अतः इस मामले की जांच करने हेतु संसद सदस्यों की एक समिति बनाने के बारे में सरकार को आश्वासन देना चाहिये ।

श्री जगन्नाथ राव : इस मामले की जांच की जावेगी ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली मे बहुत से लोगों ने सरकार से भूमि ली है । उन्होंने यह भूमि पट्टे पर ली है और उस पर इमारतें बना ली है । यद्यपि उन्होंने एक प्रतिशत अथवा चार आने भुगतान किया है फिर भी तकनीकी रूप से वे पट्टेदार हैं । इस आधार पर यदि सरकार यह कानून के अनुसार सोचती है कि वह बेदखली के अधिकार का प्रयोग कर सकती है तो इसका अर्थ दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ करना है । अतः यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा ।

श्री जगन्नाथ राव : मेरे विचार में इस कानून का दुरुपयोग नहीं हुआ है । यदि कोई ऐसे मामले हैं तो हम उनकी जांच करेंगे ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि सरकारी परिसर (अप्राधिकृत दखल कर लेने वालों की बेदखली) अधिनियम 1958 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा की जायगी ।

खण्ड 2 (धारा 2 का संशोधन)

CLOUSE 2 (AMENDMENT OF SECTION 2)

श्री बलराज माधोक : मैं संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4 (नयी धारा 10 ङ का रखा जाना)

CLOUSE 4 (INSERTION OF NEW SECTION 10 E)

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) ; में संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कंटक) मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री बलराज मधोक : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री विक्रम चन्द महाजन : इस विधेयक के खण्ड 4 में सिविल न्यायालयों से शक्ति छीन ली गयी है । उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह था कि सरकार इस समस्या का समाधान दो तारीकों से कर सकती है : वह अपने अधिकारियों के माध्यम से भी कार्यवाही करके बेदखली करवा सकती है और वह सिविल न्यायालय से भी इस बात का निर्णय करवा सकती है कि अमुक व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुए हैं या नहीं । मेरे विचार में सरकार को दूसरा तरीका अपनाना चाहिये । इसके दो लाभ हैं । एक तो सरकार का खर्च कम होगा क्योंकि उन्हें इस कार्य के लिये एक अधिकारी नियुक्त करना होगा जबकि सिविल न्यायालय पहले से ही कार्य कर रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि एक अधिकारी और सिविल न्यायालय के दृष्टिकोण में भी भारी अन्तर होगा ।

तीसरी बात यह है कि लोक तंत्र में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होने की व्यवस्था है, इस लिये कार्यकारी अधिकार को न्यायिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिये। इन कारणों से मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री बलराज मधोक : मैं श्री विक्रम चन्द्र महाजन के संशोधन का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं।

श्री श्री निवास मिश्र : इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं -एक यह कि इस बात का निर्णय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होना चाहिये कि अमुक व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है या नहीं। परन्तु अन्य मामलों के बारे में किसी अधिकारी द्वारा निर्णय किया जाना चाहिये। मेरे विचार में मंत्री महोदय यह नहीं चाहते कि हक के सभी मामले राजसम्पत्ति अधिकारियों द्वारा संक्षिप्त कार्यवाही करके तय न किये जायें। अतः उन्हें यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is not understood as to why the aggrieved party is not being allowed to go to the Court of Law? There are about five thousand cases in my constituency who have been declared unauthorised by D. D. A. whereas the land has been allotted to them or they have purchased it from the Government. How can we expect justice from the Estate Officer who is paid by the Government ? It is not fair to deprive the aggrieved party from seeking justice from the court of Law. It has no where been mentioned in the decision given by the Supreme Court of India that aggrieved party should not be allowed to go to court in such cases. The Government should atleast assure the House that they would settle these cases in consultation with Members of Parliament of Delhi. If this is also not agreed to, then we cannot expect justice.

Shri Bibhuti Mishra : Clause 10E of the Bill is very harsh. If the powers sought under this clause are vested in the Government then our Government and the democracy itself would get a bad name. It would mean that judiciary powers are being given to the executive which is not proper. The Civil Court should remain open for one and all. The hon'ble Minister should therefore reconsider this matter otherwise it would be a great injustice to the public.

In so far as the question of unauthorised occupatien is concerned, it is just because of negligence on the part ot Government officials. I would, therefore, suggest that the officials responsible for such unauthorised occupation should be penalised. Keeping in view these facts either Government should accept my amendment or move a similar amendment on behalf of the Government.

श्री जगन्नाथ राव : सभी संशोधनों का सार एक ही है और वह यह कि इन मामलों को सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में रखना चाहिये। यदि मैं इन संशोधनों को स्वीकार करता हूं तो इस विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

जिस व्यक्ति के विरुद्ध अनधिकृत कब्जे के कारण कार्यवाही की जाती है, उसे कारण बताने का अवसर दिया जाता है और राज सम्पत्ति अधिकारी के सामने साक्ष्य देने का अवसर दिया जाता है। उसे अपना मामला जिला न्यायाधीश के पास ले जाने का अधिकार है। इसके

बाद के आदेश अन्तिम होंगे। अतः सम्बन्धित व्यक्ति को अपने बचाव के लिये पूरा अवसर दिया जाता है। राज सम्पत्ति अधिकारी को सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त है। अनधिकृत कब्जे की अनुमति देना सामाजिक न्याय नहीं होगा। इस अधिनियम अथवा विधेयक का आशय कि गरीब लोगों को परेशान करना नहीं है। दिल्ली में अथवा जहाँ औद्योगिक कारखाने स्थापित हो गये है, बसे हुए हजारों मजदूरों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। जिन मामलों में इस अधिनियम को लागू करना अनिवार्य हो, वहीं इसे लागू किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार को प्रमाणित कर सकता हो अथवा उसके पास लाइसेन्स हो तो उसे वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता।

दिल्ली में रहने वालों में से यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अन्याय हुआ है तो मैं इस संबन्ध में आश्वासन देता हूं कि ऐसे मामलों की जांच की जायेगी और न्याय किया जायेगा।

मैं संशोधनों का विरोध करता हूं।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 4,5,7,10 और 11 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत निभाजन हुआ
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 73 **विपक्ष में 35**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड दिया गया
Clause 4 was added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 5 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :-

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 1. अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clause 1. the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

Shri Balraj Madhok : It is basic principle of democracy that an officer who imposes penality should not review that case. In view of this Estate Officer should not review the cases decided by him, I, therefore, suggest that the law should be established.

Many people in Delhi have purchased land on lease and built structures worth Rs. 40-50 thousand on them but D. D. A. is now harassing them.

In view of this Government should reconsider the whole affair lest the public should raise banner of revolt. Government should convene a meeting of Members of Parliament of Delhi and exchange views about the practical difficulties likely to be faced in this matter.

In so far as the question of Jhugi Jhoupri is concerned, I am of the view that either those people should be allowed to live on the places where they are living or if they have to be shifted to some other place, it should be done immediately. In case they are shifted they should be provided with all the civic amenities. With these words I oppose this Bill.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपने दल का पक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं । हम चाहते हैं कि इस कानून के अन्तर्गत कार्यवाही के मामलों पर न्यायालय शुल्क नहीं होना चाहिये । यह इस लिये है ताकि लोगों को वास्तव में कुछ राहत दी जा सके ।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : I feel for this a separate civil judge should be appointed. He should be in place of the executive officer. This will be in tune with the policy of separation of judiciary from Executive. The civil judge will be in a position to decide the cases expeditiously. If the work is assigned to executive officer, the aggreeved party cannot expect justice at his hands.

I feel Government is not anxious to separate judiciary from executive. Congress Party has appointed all those congressman on high posts, who were defeated at the polls. Their positions are safe. I again request that a civil judge should be appointed to try such cases.

श्री जगन्नाथ राव : इन सभी बातों का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है । सम्पदा अधिकारी को एक सिविल अदालत के सभी अधिकार प्राप्त होंगे । जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही होगी उसे अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा । इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रश्न नहीं आता । सम्पदा अधिकारी एक दण्डाधिकारी नहीं होगा जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त होते हैं । सरकार उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी, जो इस कार्य के लिये योग्य और दक्ष होगा । दिल्ली नगर के बारे में जो बातें उठायी गयी हैं उन्हें मैं स्वास्थ्य मन्त्री तक पहुंचा दूंगा । यह विषय उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक
ADVOCATES (AMENDMENT) BILL.

सभापति महोदय : अब सभा अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक पर विचार करेगी ।

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद यूनस सलीम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

1961 के अधिनियम के अन्तर्गत खण्ड 3 की धारा 1 के अनुसार विभिन्न राज्यों में भिन्न प्रकार के उपबन्ध लागू थे । जब 1961 के अधिनियम का अध्याय संख्या तीन लागू हुआ तो अधिवक्ताओं के अनुसूची में दर्ज करने सम्बन्धी उपबन्धों का निरसन हो गया था । परन्तु मैसूर राज्य अधिवक्ताओं का अनुसूची में दर्ज करना जारी रहा । उन्होंने एक शब्द का अर्थ भिन्न प्रकार से निकाला । उच्च न्यायालय द्वारा अर्थ निकालने के अनुसार लगभग 174 व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये । उन्होंने बार कौंसिल द्वारा निर्धारित परीक्षा पास नहीं की थी । फिर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई और नामों के दर्ज किये जाने के विषय पर विचार हुआ । न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्याय संख्या 3 का लागू किया जाना ठीक नहीं । भारत की अधिवक्ता परिषद ने इस बारे में आदेश जारी किये और मैसूर राज्य की अधिवक्ता परिषद को उन वकीलों के नाम दर्ज नहीं करने दिये गये जिन्होंने अपने नाम 31 दिसम्बर, 1961 के बाद दिये थे ।

कुछ समय बाद भारत की अधिवक्ता परिषद ने इस विषय पर विचार किया और एक प्रस्ताव द्वारा मैसूर परिषद को आदेश दिया कि उपरोक्त 174 व्यक्तियों के नामों के दर्ज किये जाने को रद्द कर दिया जाये । सम्बन्धित व्यक्तियों ने इस पर उच्च न्यायालय से रोक आदेश प्राप्त कर लिया और इस प्रस्ताव के वैधता को चुनौती दी, और वे अधिवक्ता के रूप में कार्य करते रहे । फिर 1964 में अधिवक्ता अधिनियम को संशोधन हुआ और वकीलों के नाम दर्ज करने की शर्त को हटा दिया गया । इसके फलस्वरूप मैसूर के 174 अधिवक्ताओं को स्वत: ही अधिकार मिल गया । एक न्यायालय को प्रशासनिक मामलों में और न्यायिक मामलों में भिन्न-भिन्न प्रकार का निर्णय करने का पूरा अधिकार है । इस प्रकार देखा जायेगा कि मैसूर उच्च न्यायालय ने 174 वकीलों के अनुसूची में दर्ज करने का निर्णय प्रशासनिक पीठ के रूप में दिया था । इन वकीलों ने बीच के समय कुछ मामलों में वहां के न्यायालयों में पैरवी की । इस गलती

को ठीक करने के लिये मैसूर सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। उसी को कानून का रूप देने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसे राज्य सभा पहले ही पारित कर चुकी है।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : इस विधेयक से किसी को हानि नहीं होगी। परन्तु इसके सभी पहलुओं पर हमें विचार करना चाहिये। एक तो राज्य सरकारों को चाहिये कि कानून बनाते समय केन्द्रीय सरकार के कानूनों को ध्यान में रखें। मैसूर के उच्च न्यायालय तथा अधिवक्ता परिषद ने केन्द्री कानून का उल्लंघन करने दिया। केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिये।

हमारे कानूनों से जनसाधारण को कभी-कभी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मामलों के निर्णय होने में बहुत विलम्ब हो जाता है। यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि इस समय 2½ लाख मामले न्यायालयों के समक्ष पड़े हुए हैं। क्या इससे जनसाधारण को मुश्किल नहीं होती है ?

मैं स्वयं अपने निजी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि न्यायालय शुल्क आदि के रूप में मुकदमा चलाने का खर्च बहुत ज्यादा आता है। यद्यपि न्यायालय शुल्क सम्बन्धी विषय राज्यों से सम्बन्धित है, फिर भी सरकार को उसे कम करवाने के लिये कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.* }

हमारे लिये न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाये रखना जरुरी है। मुझे इस बात का हर्ष है कि अन्तर्राज्यीय नदी-जल विवाद विधेयक में सरकार ने मेरे इस संशोधन को स्वीकार किया है कि सेवा-निवृत्त किसी भी न्यायाधीश को किसी आयोग में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि सरकार तथा यह संसद न्यायाधीशों की पदस्थिति तथा निष्पक्षता के बारे में चिन्तित हो, तो उन्हें सेवा-निवृत्ति के पश्चात् किसी किस्म का रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy Speaker. Sir, as a vakil, I can appreciate the hardship of these 174 of the Mysore High Court who had to suffer for no fault of theirs. As a result of this amendment these 174 advocates of the Mysore High Court automatically become entitled to be enrolled as advocates. The Bill deserves unanimous support of the House because it validates the admission of these persons as advocates and thus removes their hardship and anguish.

Secondly, the condition of the advocates in different courts is bad due to overcrowdedness in the profession. This condition deserves consideration on humanitarian grounds. The Government should take steps to improve their condition.

The advocates are harrassed by the courts. At present the relationship between the bench and the bar is not cordial. Judges do not behave properly with the advocates. They are harrassed by courts by way of accusing them of contempt of court.

Advocates are the brain of the country. They have to address the judges as "My lord" and "Your honour". It is a British legacy and is not in consonance with our democratic set up. It should change and discontinue.

I hope the Bill will receive unanimous support of the House.

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : I strongly support the Bill because the objective sought to be achieved by this measure is good. These 174 advocates of the Mysore High Court had to suffer for no fault of theirs. At that time it was necessary for a person to receive a practical training and pass the examination conducted by the bar council in order to get himself enrolled as an advocate. Any way this is a very serious lapse on the part of the Mysore High Court if at all due to an oversight they had admitted these 174 persons as pleaders. It is, therefore, necessary to enquire under what circumstances this High Court committed the mistake of admitting them as pleaders. Those who are responsible for this mistake should be taken to task.

This question was raised several times in this House, through Call Attention Notices etc. But the matter was delayed. The Bill should have been brought much earlier why has it been brought so late.

Secondly, when there is no restriction of training for entering different professions, it is not proper to impose the restriction of practical training before a Law Graduate can get himself enrolled as an advocate.

So far as junior advocates are concerned, a provision should be made which should ensure the engagement of such advocates with the senior advocates. It will enable the junior advocates to earn their livelihood.

It is obligatory for a Supreme Court or High Court advocate to put on a hand. In this connection, I would like to say that now we are a free country and it should not be obligatory for the advocates to part on a hand. Now this practice should be allowed to be discontinued.

The Government should also pay attention to the proper education of the lawyers. Lastly, I would like to suggest that there should be a fund for providing legal aid to the poor, who cannot afford to bear the expenses of litigation.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : प्रस्तुत विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने से पूर्व मैं मैसूर उच्च न्यायालय के अपने भाई वकीलों के प्रति सहानुभूति की भावनाएं प्रकट करता हूँ। इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि मैसूर उच्च न्यायालय ने असावधानी तथा भूल के कारण 174 व्यक्तियों के नाम वकीलों के तौर पर दर्ज कर दिये थे। यदि न्याय करने वाले लोग ही न्याय करना छोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में इस सभा को ऐसे मामलों पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

इसके अलावा, भूल का भी यह एक अनोखा ही उदाहरण है, क्योंकि कानूनी शब्दावलि में नजर से चूक करने की गलती को एक ऐसी गलती माना गया है जिसमें मनुष्य किसी बात को याद न रख सकने के कारण भूल जाता है या देख नहीं पाता। लेकिन मैसूर न्यायालय ने यह गलती एक-दो बार नहीं बल्कि 174 बार की है।

मेरे पास महाराष्ट्र बार कौंसिल द्वारा पारित संकल्प तथा अभ्यावेदन की प्रति मौजूद है। इस कौंसिल ने अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन की तारीखें बढ़ाये जाने पर अनेक बार आपत्ति की है। लेकिन हम नेक बार छूट देते रहे हैं और इस सम्बन्ध में अन्तिम छूट उस अन्तिम बार संशोधन करने वाले अधिनियम द्वारा दी गई थी जो 16 मई, 1964 को लागू हुआ था। जब यह सभा कोई कानून पास करती है तो सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे लागू करेगी। लेकिन सरकार संशोधन के बाद संशोधन पेश करती रहती है, जिससे उसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है या फिर मूल कानून ही प्रायः समाप्त हो जाता है। यह मामला-कानून बनाने वालों द्वारा कानून को विधिमान्य मानने का वैध कारण दिये जाने के बाद भी कानून मानने से इन्कार करने का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

इस सरकार ने एक अधिनियम को विधिमान्य ठहराते हुए एक अध्यादेश जारी किया था जिसे आरम्भ में ही गैर-कानूनी समझा गया था, कई बार कार्यवाही स्थगित करने के बाद, उच्च न्यायालय ने आगे कार्यवाही स्थगित रखने से इन्कार कर दिया, यदि इसे अविलम्बनीय (अर्जेन्सी) कहा जाये, तो सामान्य अंग्रेजी भाषा में 'अर्जेन्सी' का क्या अर्थ होगा ? कार्य-पालिका को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के स्पष्ट दुरुपयोग का यदि कोई साफ मामला है, तो वह मामला है। यह अधिनियम आरम्भ से ही अवैध है, इस अधिनियम को विधिमान्य ठहराने के पीछे कुछ स्वार्थ निहित है। कार्यवाही स्थगित रखने के अनुरोध के पीछे भी जरुर कोई स्वार्थ निहित है। इतना ही नहीं, इस बात की भी चुनौती दी जा सकती है कि अध्यादेश जारी करने के पीछे भी स्वार्थ निहित है, यदि इस विधेयक को पारित किया जाता है, तो वह भारतीय परिनियमन में सबसे बड़ा काला कानून होगा। इस अध्यादेश को विधिमान्य ठहराने की अपनी स्वीकृति देने से पहले इस सभा को उस पर केवल एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि कई बार सोचना चाहिए क्योंकि यह विधान की मखौल है।

यदि इन 174 व्यक्तियों के सम्बन्ध में चाहे वे कितने ही विद्वान क्यों न हों, अपवाद स्वरूप हम ऐसा कर रहे है, तो फिर श्री क० लकप्पा के इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि जिस किसी व्यक्ति ने भी एक अवधि विशेष के दौरान कानून की परीक्षा पास की हो उसे सम्बन्धित बार कौंसिल के अधिवक्ता के रूप में आरम्भ से ही रजिस्टर्ड समझा जायेगा।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : प्रस्तुत विधेयक विधि मंत्रालय की अकुशलता का स्पष्ट प्रमाण है। 1961 में अधिवक्ता अधिनियम के पारित किये जाने के बाद कई संशोधन किये गये और रजिस्ट्रेशन की तारीखों को भी प्रायः आगे बढ़ाया जाता रहा है। ये कदाचार क्यों होने दिये गये ? जब विधेयक 1961 में पारित किया गया तो उसकी पूरी तरह क्रियान्विति जरुरी थी और सरकार ने उसे समुचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया।

उद्देश्य और कारणों के विवरण में इन 174 व्यक्तियों को गलती से वकीलों के रूप में रजिस्टर करने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय पर ठहराई गई है। इस मामले में विधि मंत्रालय और मैसूर बार कौंसिल ने क्यों नहीं कोई कदम उठाया ? वे यह अधिसूचित कर सकते थे कि ये व्यक्ति अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अधिवक्ता नहीं बनेंगे। लेकिन ये लोग एक साल से भी अधिक अवधि तक सोये रहे।

मैं इस सारी स्थिति के लिये विधि मंत्रालय तथा मैसूर बार कौंसिल को दोषी तथा जिम्मेदार ठहराता हूं। वे इस बात को मैसूर राज्य के महाधिवक्ता के माध्यम से बता सकते थे। उच्च न्यायालय को जिम्मेदार ठहराने के बजाय उन्हें सरकार तथा मैसूर बार कौंसिल को अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी।

अन्त में, मैं कनिष्ठ अधिवक्ताओं की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कनिष्ठ अधिवक्ताओं का पारिश्रमिक केवल 50 रुपये अथवा 75 रुपये माहवार है। सरकार को यह सुनिश्चित करने का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए कि किसी वकील की मासिक आय कम से कम 300 रुपये हो।

प्रस्तुत विधेयक में विधि मंत्रालय द्वारा की गई गलतियों को ठीक करने तथा गैर-कानूनी अधिनियम का अनुसमर्थन करने की व्यवस्था है, इसलिये मैं इसका स्वागत नहीं करता।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : प्रस्तुत विधेयक केवल नेत्री अथवा दस्तूरी मामले से सम्बन्ध रखता है। लेकिन बावजूद इसके, सरकार निन्दा का भाजन बनती है क्योंकि विधान के प्रारुप में कई त्रुटियां हैं। हम इस बात का कतई विरोध नहीं करते कि मैसूर राज्य में कुछ वकीलों को अधिवक्ता के रूप में अपने दर्ज करने के अवसर दिये गये हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि मूल विधान में जिसमें कई संशोधन किये जा चुके हैं, ऐसा कोई उपबन्ध क्यों नहीं किया गया जो दीर्घ-काल तक चल सकता था।

हमारे देश में अब भी एक किस्म का वर्ग-भेद है। इस देश में प्रशिक्षण-प्राप्त वकीलों तथा इंगलैंड में 'बार' में बुलाये गये वकीलों के बीच मेरा नाम इंगलैंड में "किंग्स बैंच" में दर्ज था, लेकिन मैं फिर भी यह महसूस करता हूं कि इस वर्ग-भेद को बनाये रखने का कोई कारण तथा औचित्य नहीं है। यह वर्ग-भेद केवल इसलिये है कि हम अपने देश में कानून या न्यायिक प्रशासन अथवा उन वकीलों की पदस्थिति की जो व्यावसायिक अधिवक्ता हैं, समस्या हल नहीं करते। 'ओरिजनल साइड" तथा "अपीलेट साइड" में भेद-भाव है। जब तक हम भारतीय-अंग्रेजी विधिशास्त्र के संदर्भ में काम करते रहेंगे और अंग्रेजी पूर्वोद्धारण देते रहेंगे और जब तक हमारा विधिशास्त्र खिचड़ी बना रहता है, और विदेशी स्रोतों पर आश्रित रहता है, हम न्यायपालिका का प्रशासन हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं चला सकते और न्यायिक व्यवस्था में कोई आमूल अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन कभी नहीं कर सकते।

प्रस्तुत विधेयक से 174 व्यक्तियों को फायदा हो रहा है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस विधेयक से जाहिर होता है कि सरकार उन समस्याओं को, जो देखने में तो केवल न्यायिक समस्याएं लगती हैं परन्तु जो सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के वृहत् प्रश्नों से सम्बद्ध हैं, हल करने तथा उनके बारे में मूल रूप से सोचने में असफल रही है और न ही उसने इस सम्बन्ध में कोई दिलचस्पी ली है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह महसूस करते आ रहे हैं कि हमारी न्याय-व्यवस्था में देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना आवश्यक है। हमारे देश में आज भी इंगलैंड में प्रशिक्षित तथा भारत में प्रशिक्षित वकीलों के बीच भेद-भाव रहता है।

{ श्री रा० द्वो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair* }

आज हम स्वतंत्र हैं और हमारे वकीलों को अपना कर्तव्य उस राष्ट्रीय भावना क लेकर निभाना पड़ता है, जिससे हमें जनता की सेबा करने की प्रक्रिया के माध्यम से कानून के उद्देश्य की पूर्ति करनी पड़ती है । इस समय लोग कानूनी व्यवस्था के नौकर हैं । जिस समाज को कानूनी व्यवस्था से बांध दिया जाता है वह कभी तरक्की नहीं कर सकती और उसका कभी पुनरुद्धार नहीं हो सकता । कानून जनता की भलाई के लिये होता है और जनता की सेवा के लिये होता है, न कि जनता कानून की सेवा के लिये ।

प्रस्तुत विधेयक जिसका नेत्री अथवा दस्तूरी मामले से सम्बन्ध है, पारित किया जाना चाहिए । लेकिन आज कानूनी व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जो हमारे लिये खतरे का विषय है । लेकिन इसका कारण यह भी है कि आज के कानून की बुनियाद कुछ दूषित सिद्धान्तों पर जिनमें गुलामी की बू भरी है, आधारित है, इसलिये हमारे विधि मंत्री को एक भारी कर्तव्य निभाना है । उन्हें देश की कानूनी व्यवस्था तथा उसके प्रशासन में हमारे न्यायालयों के माध्यम से आमूल परिवर्तन लाना है ।

इन 174 अधिवक्ताओं के पंजीकरण को विधिमान्य बनाने वाले प्रस्तुत संशोधी विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन राज्य के हमारे भाग में कई अधिवक्ता हैं। सरकार को उनके बारे में भी उदारता से सोचना चाहिये । जिन वकीलों का पंजीकरण रोक दिया गया है उन्हें न्यायालयों में वकालत कर रहे वकीलों के रूप में नाम दर्ज कराने की कुछ गुंजाइश होनी चाहिये ।

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ जिसमें मैसूर बार कौंसिल द्वारा 174 अधिवक्ताओं के नामांकन को प्रमाणित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने का उल्लेख है ।

जैसा कि व्यक्ति के लिए कानून है उसी प्रकार संस्था तथा निगम के लिए भी कानून है । अगर यह संस्था तथा निगम कानून का उल्लंघन करती है तो व्यक्ति का इसके बारे में क्या कहा जा सकता है ?

जैसा कि प्रोफेसर मुखर्जी ने कहा है कि ये सब गल्तियां इस कारण से उत्पन्न हुई हैं कि उच्च न्यायालयों का न्यायपालिका प्रशासन में विदेशी भाषा में किया जाता है । हमें वैधानिक पद तथा शब्दावली की व्याख्या में होने वाली गल्तियों को दूर करने के लिए इसकी कार्यवाही अपनी ही भाषा में करनी चाहिए ।

मैसूर का उच्च न्यायालय तथा बार कौंसिल इसके प्रति लापरवाह थे और तभी इतनी गम्भीर गल्तियां इसमें आ गई थी ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : राज्यों तथा केन्द्र में कुछ ऐसे विधान पारित किये गये हैं जिन्हें न्यायालयों ने रद्द कर दिया है । हमें अन्ततः विधि के शासन को बनाए रखना है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विधि के शासन का सम्मान किया जाना चाहिये । लेकिन

दुर्भाग्यवश इस देश में विधायकों तथा भारत सरकार ने असंवैधानिक तथा गैर-कानूनी विधान पास करके बहुत कष्ट दिये हैं। हमें अनुभव के आधार पर अपने संविधान में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिये ताकि विधि के शासन को बनाए रखा जा सके।

मैसूर राज्य में युवक अधिवक्ताओं की दशा खराब है। राज्य के कुछ भागों में कुछ रूढ़ियां तथा बार कौंसिल (अधिवक्ता परिषद्) के नियम हैं जिनसे ऐसे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अभी तक उनमें सुधार नहीं किया गया है। उड़ीसा राज्य में उत्कल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्राइवेट रूप से कानून की डिग्री लेने की अनुमति दी जाती है। लेकिन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् अधिनियम के अनुसार उस डिग्री को मान्यता नहीं दी जाती है। इन चीजों को ठीक करना होगा। प्रस्तुत विधेयक का मैं स्वागत करता हूँ। मंत्री महोदय को यह संशोधन काफी पहले लाना चाहिये था। एक गलती के कारण अधिवक्ताओं का नाम दर्ज किया गया है। उन्होंने कुछ मुकदमों में पैरवी की है। अब एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक संशोधन पेश किया गया है कि जिसके अनुसार इन अधिवक्ताओं का पंजीयन एक विशेष तारीख से विधिमान्य समझा जायेगा। उनका पंजीयन आरम्भ से ही विधिमान्य समझा जाये जब से कि उन्होंने पंजीकरण कराया था।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : This Bill mainly relates, the tomysore hon Minister is going to bring forward another comprehensive amending Bill to set right the various discrepancies in the present Advocates Act. will he assure us while replying that Bill would be Passed in this very session ?

श्री श्रीनिवास मिश्र : ऐसे कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में प्रश्न उठाया गया है जो प्राइवेट छात्रों को कानून की डिग्री देती हैं। अधिवक्ता परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत उनका पंजीकरण नहीं किया जा सकता। यदि सरकार इस स्थिति को दुरुस्त करने का आश्वासन दे तो मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं दूंगा।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम): ऐसा एक भी अधिवक्ता नहीं है जिसका दिनांक 28 फरवरी, 1963 से पहले, जिसका कि विधेयक में उल्लेख किया गया है, पंजीकरण किया गया हो। इसलिये प्रभावित अधिवक्ताओं के पंजीकरण को किसी पहले की तारीख से विधिमान्य मानने का प्रश्न ही नहीं उठता।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

उन अधिवक्ताओं का प्रश्न जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया लेकिन अधिवक्ता परिषद् के संकल्प के बावजूद कानून की उपाधियां प्राप्त कर लीं, इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आता। यदि हम सम्बन्ध में कोई अलग प्रस्ताव किया जाता है तो मंत्रालय उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो इस सम्बन्ध में एक विधेयक पेश किया जायेगा। हम अन्य मामलों पर विचार करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो एक उपयुक्त विधेयक पेश किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 विधेयक जोड़ दिया गया ।
Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4, 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 4, 1, reacting formula and the Title were added to the Bill

श्री मुहम्मद यूनस सलीम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

---

* पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिये निवास स्थान

* HOMES FOR FREEDOM FIGHTERS IN WEST BENGAL

Shrimati Sucheta Kripalani (Gonda) : In all civilised countries the freedom fighters are very much respected. they are treated with all honour in public functions. Their services are praised in literature and museums are set up to cherish their memories. But it is regrettable that in our country not much has been done in this regard. Although in some states pensions are given to political sufferers yet the amount is so meagre that it is hardly sufficient to meet their needs. Moreover, this pension is being given only to those political sufferers who had participated in the non-violent struggle. But there are also large number of revolutionaries who suffered more and made greater sacrifices in our freedom struggle. These people have been completely ignored.

Some of these revolutionaries are facing a very hard time. They are aged people and some of them have nobody on whom they can depend. They do not get even two meals a day, One such revolutaionary is Hem Chandra Ghosh who is 85 years old. He is unmafried and there is no one to look after him. Those revolutionaries who are married are finding it difficult to maintain their families as they have no means of livelihood.

---

* आधे घण्टे की चर्चा

* Half an-Hour Discussion

Recently these revolutionaries held a conference and submitted a memorandum to the Prime Minister asking for financial assistance. Their other demands included construction of a samll museum to show to the people how they had lived and suffered for the cause of independence; renaming Andaman Island as Swarajiya Deep , construction of a suitable memorial for Netaji Subhas Chandra Bose and assistance to the famlies of the INA. martyrs. These demands should be sympathetically considered.

In reply to a question about construction of homes for the revoluntaries, the Home Minister had stated that a home will be constructed where 60 persons can live. But the question is when will it be constructed and who will bear the maintenace expenses.

In regard to pensions, the State Government pursue a policy of discrimination. Therefore, these people asked the Central Government to take up this responsibility. Those of them who had entered Government service are about to retire and since they had entered the service late they are not entitled for full pension. Such people should either get extension of service or their be pendents Should be provided with suitable Jobs

In Bengal there are a large number of revolutionaries from East Bengal where they had some land on which they lived. Now they have lost even that land and have no means to earn a living. Something should be done for these people also.

In regard to the ex-INA prisoners, at-last a decision has been taken to give some assistance. This deicsion however late it may be is welcome. But there are some civilian personnel also in the INA about whom nothing has been done, some of them have already died. A list of the surviving personnel should be prepared and all possible help should be given to them.

The nation should be grateful to its freedom fighters. They suffered a lot for the country. Therefore, it Is necessary that their demands are met as far as possible.

सदस्य की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBER

श्री किकर सिंह

अध्यक्ष महोदय : मुझे भटिण्डा के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त दिनांक 6 अगस्त, 1968 के एक वायरलैस सन्देश की सूचना सभा को देनी है जिसमें बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य श्री किकर सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/161 के अन्तर्गत दिनांक 5 अगस्त, 1968 के डी. डी. आर. संख्या 28 के अनुसार गिरफ्तार किया गया है ।

---

*पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिये निवास स्थान-जारी
* HOMES FOR FREEDOM FIGHTERS IN WEST BENGAL-Contd.

Shri Rabi Ray (Puri): I congratulate hon. Member Shrimati Sucheta Kripalani for raising this Half-an-Hour D.scussion regaraing the rehabilitaion of our brave freedom

---

* आधे घन्टे की चर्चा

* Half an-Hour Discussion

fighters. It is really shameful on the part of the Government not to have taken any action in this matter on their own All the countries have always honoured their freedom fighters We can see memorials perpetuating their memory in those countries. But it is deplorable that we have not raised any memorial or museum in the memory of our martyrs who laid down their lives in fighting for the freedom of the country. Many of the freedom fighters who are alive are leading a miserable life. The Minister should give an assurance that the revolutionaries who have spent 15 or 20 years in jail and who are more than 60 years old will be given some assistance in the form of pension. medical aid, education of their children etc. In this connection particular mention may be made of the mother of martyar Bhagat Singh and the wife of Shri Jiten Mukerjee. The case of freedom fighters is a national question and should not be left to the States. A fund should be created for this purpose. In Orissa one tribal youth Shri Lakshman Nayak had been hanged in the Behrampur jail becuase of his participation in the 'Quite India Movement of 1942'. All possible help should be given to the members of his family.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Shri Chandra Sekhar Azad sacrificed his life for this country but it is a matter of great shame that the mother of such a great martyr should go a begging for her living. There is also the case of a revolutionary from Madras, now living in Delhi, who is living in extremely difficult circumstances. But the Government has done nothing so far for him. I have written about this case to the Home Minister with the cutting from the "National Herald". If Government can provide accommodation for all these freedom fighters it is well and good. Otherwise they should open a few Revolutionary Ashrams in the different parts of the country where these old revoluntaries and freedom fighters can be accommodated and cared for.

The family of Netaji Subhas Chandra Bose should be brought from Austria to India and the Government should take full responsibility for looking after them.

Government should assure us that such Ashrams would be opened and maintained by them where these revolutionaries will be well cared for.

Shri Shinkre (Panjim) : An all-India Committee comprising representatives of the various States should be set up to prepare a list of our political sufferers who fought for freedom. It is wrong to depend upon police report as to who are the revolutianries. After such a list has been prepared, Government should formulate a scheme for assistance to these people.

One Kamlakant Khalap was arrested in 1954 for distributing pamphlets in connection with the 'quite Goa movement'. When the list of political sufferers was prepared after Goa became independent, he was left out of that list on the plea that he sold those pamphlets and there by earned his livelihood. So I submit that we should not depend on verification of the police and entrust this thing to a committee.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : A nation which forgets its heroes and martyrs is bound to grow weak. My hon. friend Shrimati Sucheta Kripalani had done a service to us all by raising this issue. About 26 thousands INA personnel sacrificed their lives for the cause of the country's independence. The British Government used to make a gift of land to those soldiers who performed deeds of gillantry on the battlefield and also raised their memorial. Has any land been given to their relations by our Government ? So many soldiers died fighting bravely for their country during the conflict with China and Pakistan. Do Government propose to raise any memorial tower to perpetuate their memory ?

Government are at present providing certain facilities to the families of the soldiers guarding our frontiers. Those facilities should also be provided to the families of the freedom fighters and a definite scheme should be formulated for their maintenance instead of giving them adhoc relief.

The Minister of State in the Ministery of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Shrimati Sucheta Kriplani deserves our congratulations for raising this question here. Majority of those who worked for the freedom of the country are so self-respecting persons that they do not want to seek help from the Government. Some others certainly had to seek help from the Government because of their family circumstances or so, I may plainly say that the help that should have been extended to them has not been actually extended. We should have done much more for them. As most of the revolutionaries have now reached an advanced age, they all the more need help from us.

All these questions had been discussed more than once in 1950 in this House. In this connection the then Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru had said that although the freedom fighters did not like to accept any assistance, it was our duty to do the maximum possible for them. The Cabinet had decided that the question of giving land and medical and educational facilities to the freedom fighters or members of their family was within the Jurisidiction of the State Governments. With this view, the Central Government took to itself the responsibility of formulating the policy and its execution was entrusted to the States. Subse quently, almost every State Government chalked out their own scheme and granted assistance accordingly. Although some discrimination might have been made in giving help to the freedome fighters, the fact remains that some assistance has been given to them.

Then, It was thought that the Central Government should also have a source where from it could grant some help on an ad hoc basis to those freedom fighters who did not receive the appropriate help from the State Governments. A discretionary fund to be operated by the Home Minister was created and we have been granting assistance to the freedom fighters on an ad hoc basis from this found. Besides, we have been advising the States that maximum possible help should be given to these people.

There is no doubt that the revolutionaries who had been sent out to Andaman and Nicobar Islands had done a great service to the country. But they should not be categorised separately. They served the country in their own way but all the freedom fighters are alike and all of them should be respected equally.

The efforts of the West Bengal Government to construct a Home for the freedom fighters deserve appreciation. We have decided to ask the other State Governments that they should also consider the question of taking care of the old and unattached freedom fighters and also to provide a Home for them.

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : मेरा सुझाव है कि संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये ।

Shri Vidya Charan Shukla : We shall consider over this suggestion and if it is found necessary, we shall not have any objection to it.

A question was raised about the civil employees of the Indian National Army. We have no information in this regard but we shall find out as to what their problem is and what can be done for them.

So far as the case of Shri Vijayaraghavachari from Madras is concerned, he has been given help from the Centre from time to time. He also gets pension from the Madras Government which has been stopped on account of certain reasons. We have referred this case to the Madras Government and I hope they will consider it sympathetically.

I shall also call for information about the Goa case and assure the hon. Member that the needful will be done in that case as well.

It has been suggested that a memorial should be putup for perpetuating the memory of the freedom fighters. Many memorial towers are already there in the country. Even then we have tried to maintain the Andaman jail and its central tower as a memorial. We also want that names of all the prisoners who had been lodged there are engraved on metal plates so that one can know about the persons, the period of their imprisonment and the way in which they had served the country.

The INA personnel are treated like other freedom fighters and no discrimination whatsoever is made in respect of providing financial assistance or other facilities to them or their children. If there has been any slackness in this regard, that would be removed as a result of this discussion.

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 9 अगस्त, 1968/18 श्रावण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday the 9th August, 1968/Sravana 18, 1890 (Saka).